ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REPORT OF LOWER ORR DAM, MADHYA PRADESH, UNDER KENBETWA LINK PROJECT (PHASE-II)



VOLUME-IV PUBLIC HEARING PROCEEDINGS



NATIONAL WATER DEVELOPMENT AGENCY


(Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Government of India)



CONSULTANT:

WAPCOS LIMITED

(A Government of India Undertaking) email: environment@wapcos.gov.in



CONTENTS

PUBLIC HEARING PROCEEDINGS

1.	General	1
2.	Proceedings of Public Hearing Held in District Shivpuri	3
3.	Proceedings of Public Hearing Held in District Ashoknagar	9
4.	Proceedings of Public Hearing Held in District Datia	17

LIST OF FIGURES

Figure-1: Project Location Map

PUBLIC HEARING PROCEEDINGS

PUBLIC HEARING PROCEEDINGS

1. GENERAL

The Lower Orr dam which is a part of Ken-Betwa link Project Phase-II and envisages construction of a composite dam (Earthen and Concrete) across the Orr river near Didauni village on the border of Shivpuri and Ashok Nagar districts in Madhya Pradesh. Lower Orr river is a tributary of Betwa River in Yamuna Basin. The main aim of the Lower Orr project is to provide irrigation and domestic water supply to water deficit areas of Shivpuri and Datia districts of Madhya Pradesh (MP). The proposed dam site is located at a distance of about 6 km from Chanderi town near Lalitpur. The total catchment area of Orr river up to Lower Orr dam is 1843 sq. km. The 75% and 50% dependable annual yield of the sub-basin up to the proposed dam site has been assessed as 362.53 MCM and 501.15 MCM respectively. In the proposed composite dam, the concrete dam portion is 487 m long with 247 m long spillway and 240 m long non overflow blocks. The earthen portion of dam is 1731 m long with a maximum height of 45.0 m. A 91.26 km long main canal has been proposed on the left bank of river. The FRL of the Lower Orr project is kept as 380 m. The submergence area at FRL is 2723.7 ha. The proposed project will provide annual irrigation to 67,570 ha in Shivpuri and Datia districts of MP with 150% irrigation intensity utilizing 329.67 MCM. Beside 6 MCM water will be provided for drinking water supply to the enroute villages and towns in the vicinity of the canal. About 1.65 lakh people will get drinking water at a consumption rate of 100 lpcd. The project location map of proposed Lower Orr irrigation project is enclosed as Figure-1.

The submergence area of the proposed Lower Orr Reservoir is 2723.70 ha which affects 12 villages of Ashok Nagar and Shivpuri districts. Seven villages of Ashok Nagar district will be fully submerged while 3 villages of Ashok Nagar and 2 villages of Shivpuri shall be partially submerged. In partially affected villages, only agriculture land is coming under submergence and no homesteads shall be acquired. A total of about 944 families will be affected due to reservoir submergence. A total of about 408 families will be losing 1006 ha of land due to land acquisition for canal network. Thus, a total of 1352 PAFs will be losing land, of which 870 will be losing homestead.

The Environmental Impact Assessment (EIA), Social Impact Assessemnet (SIA), Environmental Management Plan (EMP) and Executive Summary reports for the proposed Lower Orr irrigation project were submitted to Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB), Bhopal for conducting the Public Hearing. Most of the land acquisition for construction of dam, submergence and canal network will be in Shivpuri

and Ashok Nagar districts. However, some land acquisition will be required for canal portion in Datia district also. Therefore, MPPCB conducted the public hearing in all the three districts, in accordance of the provisions laid down in EIA Notification issued by Ministry of Environment and forest (MoEF) on 14.09.2006.




Figure-1: Project Location Map

The advertisement for conducting the public hearing in Shivpuri and Ashok Nagar districts was published on 18.08.2015 in the following newspapers:

- Patrika
- Nai Duniya
- Hindustan Times

The advertisement for conducting the public hearing in Datia district was published on 18.08.2015 in the following newspapers:

- Dainik Bhaskar
- Times of India

The first public hearing was organised in Unnayan Primary School Kanchanpura, village Didavani district Shivpuri on 17.09.2015, followed by public hearing in Junior High School, Piraud district Ashok Nagar on 18.09.2015. Public hearing for Datia district was organised in village Nauner 19.09.2015.

The detailed proceedings of all the three Public Hearings with relevent documents i.e. Letters issued by District Collectors and MPPCB regarding public hearing, xerox copy of public notices published in news papers, duely signed Minuts of Meeting (MOM) in Hindi and English, xerox copy of attendance sheets of the participants, xerox copy of written observations received during public hearings, phtographs of public hearing are given in Annexures I to III.

2 PROCEEDINGS OF PUBLIC HEARING HELD IN DISTRICT SHIVPURI

Public notice for conducting the public hearing in Shivpuri districts was published in Patrika, Nai Dunia and Hindustan Times on 18.08.2015. Public Hearing for district Shivpuri was organised in Govt. Unnayan Primary School Kanchanpura, Gram Panchayat- Didawani, Tehsil- Khaniyadhana, Distt- Shivpuri (MP). The meeting was organised by Mr. P.C. Uchariya, Rigional Officer, MP Pollution Control Board, Vijaipur, Distt-Guna on 17.09.2015.

The Public Hearing meeting was chaired by Mr. Z.U.Sekh, Additional District Collector, Shivpuri. Mr. Mukesh kumar Sharma, SDM Pichor and Mr. J.P.Gupta, Tehsildar Khaniyadhana were also present during the Public Hearing. Senior officers from NWDA i.e. Mr. O .P. Singh Kushwaha, Superintending Engineer, New Delhi, Mr. S. C. Awasthi, Superintending Engineer, Gwalior, Mr.S.S.Nayak Superintending Engineer, Bhopal, Mr. C .P. S. Sengar Executive Engineer, Jhansi, Mr. Afroz Alam, Dy director, Lucknow, Mr. Sanjay Singhal Assistant Executive engineer, Gwalior, Mr. Suresh Babu and Mr.P.K. Mishra, Assistant Engineer attended the Public Hearing.

Mr. Z.U.Sekh, Additional District Collector, Shivpuri started the meeting with brief introduction of the proposed project and anticipated socio-economic impacts of the Lower orr irrigation project. Mr. O .P. Singh Kushwaha, Superintending

Engineer from NWDA presented the details of the various project components for the participants. Mr. S. M. Dixit, Dy Chief Engineer and Mr. Amit Sharma, Engineer from EIA Consultants M/s WAPCOS Limited gave a presentation on the EIA/EMP study conducted for the project and presented the anticipated Environmental and Social impacts of the project and suggested Environmental Management Plan for mitigation of adverse impacts and enhancement of positive impacts. Mr. S. M. Dixit, also appraised the Panel members and a large number of gathering from the Project area about the compensation benefits proposed to be given to the Project Affected families as a part of the R&R plan for the project.

The participants in the Public hearing were invited to give their comments & suggestions regarding the project. Some of the participants appreciated the proposed project and requested for early implementation, while some of them raised their concerns on some issues. A total of 65 persons participated in the discussions and sought some information mainly regarding the land acquisition. Additional District Collector, Shivpuri and Mr.O.P. Singh Kushwaha, Superintending Engineer from NWDA classified on land acquisition related issues, while Mr. S. M. Dixit clarified on environmental and social aspects of the project. The details of public hearing are given in Annexure-I of the Report. The key issues raised during the public hearing organised in Govt. Unnayan Primary School Kanchanpura, Gram Panchayat- Didawani, Tehsil- Khaniyadhana, Distt- Shivpuri (MP) are showen in Table-1.

Table-1. Key issues raised during the public hearing at Didawani, Shivpuri

S.No	Name of Person	Issues Raised	Response
1.	Mr. Dayaram Lodhi	Please, Start the work of	Construction of the dam
	s/o Mr. Ramcharan	construction of Dam very soon.	shall start, after getting all
	Lodhi Village-		the statutory clearances
	Didawani, Dist		from concerned
	Shivpuri		authorities.
2.	Mr. Jagat singh	Please, Canal should pass	Possibility of the
	sarpanch s/o Mr.	through Khularkhera,	alignement of the canal
	Ramdas Lodhi	Kalipahari, Erawali,	shall be investigated for
	Village- Rajapur	Hanumankhera, Harshpura,	supply of water in
	TheKhaniyadhana	Rajapur, Gudar, Devkho and	mentioned villages before
	Dist Shivpuri	Khaniyadhana.	the construction stage.
3.	Mr. Prakash s/o Mr.	Nibouda, Erawali, Gudar,	Employment to project
	Sirnaam Village-	Devkho, Khaniyadhana etc.	affected families shall be
	Rajapur The	villages are under drought	made as per the eligibility

5

S.No	Name of Person	Issues Raised	Response
	Khaniyadhana Dist Shivpuri	prone area so please provide any job to villagers of these affected area.	and government policy. The provision for providing jobs for the affected PAFs is given in Livelihood Plan in Environmental Management Plan for the project.
4.	Mr. Jaydev Singh s/o Mr. Jashrath Singh Lodhi Village- Rajapur The Khaniyadhana Dist Shivpuri	Canal should be extended beyond Eravali to the villages Sularkheda, Kali Pahadi, Nibauda, Hanumanakhedi, Gudar Rajapur, Devko Motta, Khaniya Dhana and Sinaval Devri.	Possibility of the alignement of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages before the construction stage.
5.	Mr. Arvind s/o Mr. LakshmiNarayan Sharma Village- Gudar The Khaniyadhana Dist Shivpuri	About 50-60 villages are not covered in the command area. The earlier alignement of canal covering villages Bular, Eravali, Nibodha, Gudar may be kept intact. This will enable about 50 villages to be benefited.	Possibility of the alignement of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages before the construction stage.
6.	Mr. Sahab singh s/o Mr. Shripat Parihar Village- Bharsula, Dist Shivpuri	Employment to be given as per his eligibility. Preference for land for land to be given, incase this is not possible, then Rs.50 lakh to be given for the construction of house and Rs.7000 for livestock. At least Rs.70 lakh/ acre should be compensation for land. Preference should be given in employment for the project affeceted area.	Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transperancy in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".
7.	Mr. Ramswaroop Pandey s/o Mr. Ramdeen Village- Bharsula, Dist Shivpuri	The people of Bharsula Village may be given employment/works.	Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transperancy in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".
8.	Mr. Gomati Bai Ex. Sarpanch, Village- Gudar The Khaniyadhana Dist Shivpuri	Sular, Nibauda, Gudar, Naya Gaon, Devkho, Mota, Khanidhana, Mayapur.	Possibility of the alignement of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages before the construction stage.
9.	Mr. Mohan singh s/o Mr. Ravraja Yadav Village- Ratvas, Dist Shivpuri Mob 9098933249	At least 50% land for land should be given alongwith the compensation for the remaining 50 % of the land for the project affected families of the Naghori	Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transperancy in Land Acquisition, Rehabilitation

6

S.No	Name of Person	Issues Raised	Response
•		dam. Employment to be given as per his eligibility to the PAFs. Markets should be adopted for compensation.	and Resettlement Act, 2013".
10.	Mr. Chandrapaal singh Lodhi s/o Mr. Rajaraam Lodhi Village- SinawalKala TheKhaniyadhana Dist Shivpuri	We are facing droughts since last 10 years due to the lack of water availability source such as rivers, streams, ponds etc. the situation is very bad, hence its is suggested that irrigation facilities may be provided.	After construction of dam, possibilities of water will be diverted to the needy areas other than the envisaged in the project and such possibility shall be explored.
11.	Mr. Rajpaal singh Yadav s/o Mr. Jandel Singh Yadav, Mob 9479344906	Adeqaute compensation should be given to PAFs of village Narauni. Compenstaion of Rs. 10 lakh/Bigha for land and Rs. 5 lakh for houses should be given. Adeqaute facilities fro satying should be done. Seperate compensation towards loss of trees, wells shall be given along with employment.	Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transperancy in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".
12.	Mr. Sultan Singh Yadav s/o Mr. Kalyan Singh Yadav, Village- Didawani, Dist Shivpuri	Compensation to be given to right land holders.	Appropriate measures shall be taken at district administration level to give compensation to the right land holders.
13.	Mr. Anil Sharma s/o Mr. RamNarayan Sharma, Village- Narouni, Dist Shivpuri Mob 8435809750	The canal should be linked to Bhudna dam project and the construction of canals of Bhudna dam may be takenup. This will be enable the increase in the command area of Bhudna dam and eradicate the problem of water shortage in the Bhudna dam.	The matter shall be discussed and further action will be taken accordingly.
14.	Mr. Jaypaal s/o Mr. Pitambar Jatav, Village- Narouni, Dist Shivpuri Mob 7746981653	Our lands are in the name of our father's sister in the revenue record books, who is no more. After that the land has been transferred to their son's name. We could not get our names in the record books. It is suggested that all the stakeholders should be considered during compensation.	Appropriate measures shall be taken and Compensation shall be awarded as per the norms of "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".
15.	Mr. Bhansingh, Mr. Rajveer, Mr. Kalyan, Mr. sarman, Mr. Tilakraam, Mr. Raajpal and All Villagers Village-	Compenstaion of Rs. 10 lakh/Bigha for land and Rs. 5 lakh for houses should be given for the village Narouni. At lest one member of the PAFs to be given employment. Adequate	Suggestion shall be taken for consideration and compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transperancy in Land

S.No	Name of Person	Issues Raised	Response
•	Narouni, Dist Shivpuri	arrangement for staying for self and livestock should be provided. Seperate compensation towards loss of trees, wells shall be given.	Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".
16.	Mr. Ashok Singh s/o Mr. Govind Singh, Village- Rajapur, Dist Shivpuri Mob 8959872790	A per the new survey canal is passing through the village Rajapur. At least 10 villages shall be benefited if the old alignment of the canal is considered.	Possibility of the alignement of the canal shall be investigated before the construction stage.
17.	Mr. Bhattulaal, Village- Kalipahari, Dist Shivpuri	The Patta land beraing Sl No.95 of Kalipahari is not enterd in the computerized records. The same may be done.	Appropriate measures shall be taken at district administration level.
18.	Mr. Neelam Singh s/o Mr. Pyare Laal Ahirwar, Village- Narouni, Dist Shivpuri Mob 8959663098	Compensation of my land of 3.5 bigha shall be given.	Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transperancy in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".
19.	Mr. Veeran s/o Mr. Preetam Singh Adiwasi, Dist Shivpuri Mob 9753937673	Land for resettlement and employment shall be given.	Suggestion shall be taken due consideration and compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transperancy in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".
20.	Mr. Vijay Singh Jatav s/o Mr. Nathuram Jatav, Dist Shivpuri Mob 7694889294	I am an unemployed resident of Village Narouni coming under submergence. Employment and land for resettlement may be given	for consideration and compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transperancy in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy
21.	Mr. Hariram Paal s/o Mr. Karanju Paal, Village- Didawani, The Khaniyadhana, Dist Shivpuri	My land is about 3000 ft distance from canal route. We are not using the water in the canal and paying the cess. Please remove the cess.	Corrective measures shall be taken by the concerned authorities.
22.	Mr. Karan Singh Yadav jila panchayat member, Mr.	It is unjustified to omit the villages Pura, Darampura, Badli, Mehrauli, Devri,	Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of

S.No	Name of Person	Issues Raised	Response
•	Bhagwan Singh (Ex. Sarpanch - Mayapur),Mr. Rajendra Singh, Village- Devari, Dist Shivpuri	Peepalgheda, Banota, Mayavur, Nagarela, Badarvaha, Ahar, Bhandpur, Reravani, Nibodha, Sularkhla, Pachara etc. from the command of orr dam projct. It is suggested to kindly adopt the old survey alignment covering the entire area which is justifiable.	water in mentioned villages before the construction stage.
23.	Mr. Kaptan Singh Yadav and All Villagers, Village- Narouni, Dist Shivpuri	We should be given land for land. Present market rate is Rs.6-7 lakh/bigha and our compensation should be fixed at Rs.10 lakh/ bigha. House for house should be given. compensation towards loss of trees, wells, ponds shall be given. Rs.50,000 for shifting allowance, Rs.500/sq.ft for the open spaces shall be given. Preferance for eligible persons for employment. Employment in the lines of Rajghat project to be adopted. Arrangement for schools should be done.	Suggestion shall be taken in consideration and compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transperancy in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".
24.	Mr. Jagbhan Singh Lodhi s/o Mr. Harnam Singh, Village- Rajapur, Teh Khaniyadhana, Dist Shivpuri	Canal should come up.	We appreciate the comment.
25.	Mr. Avdhesh Sen s/o Mr. Ramsevak Sen, Village- Bharsula, Dist Shivpuri Mob 9630762275	Preference to local persons for employment	Employment shall be given as per eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to improve the quality of life of PAFs.
26.	Mr. Komal Singh Lodhi s/o Mr. Balchand Lodhi, Village- Bharsula, Teh Khaniyadhana, Dist Shivpuri Mob 9755047669	Employment to one person from each PAFs from submergence area.	Employment shall be given as per eligibility and government policy. In addition, Livelihood Plan has been provided with a view to provide additional benefits to the PAFs.
27.	Mr. Arjun Adiwasi s/o Mr. Janaka Adiwasi, Village- Kalipahari Chanderi Thana BamourKala,Teh Khaniyadhana, Dist Shivpuri	Employment should be given.	Employment shall be given as per eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs.

S.No	Name of Person	Issues Raised	Response
28.	Mr. Mohan Laal Lodhi s/o Mr. Ramcharan Lodhi, Village- Didawani, Post Bharsula, Dist Shivpuri	Employment should be given.	Employment shall be given as per eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment in care for PAFs.
29.	Mr. Sarman Jatav s/o Mr. HarSingh Jatav, Village- Narouni, Dist Shivpuri Mob 7772881901	Employment should be given.	Suggestion shall be considered.
30.	Mr. Brahamaraja Yadav, Mr. DeviSingh, Mr. Raajveer Yadav and All Villagers Village- Lakhari Dist Shivpuri	Every villagers are of the opinion that due to Lower Orr project, Gram Panchayath Didorakhedi should come under irrigation and all persons are satisfied with the project.	Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned village.
31.	Mr. Prakashchand Yadav s/o Mr. Harbhan Singh Yadav, Village- Silpura, Dist Shivpuri Mob 9755499281	This is the last dam proposed in the Khanikhana region, if Gudar is omitted from the canal alignment, our area will devoid of any future development due to lack of irrigation facilities.	Appropriate measures shall be taken and possibility of the alignment of the canal shall be investigated before the construction stage.
32.	Mr. Suresh Jatav s/o Mr. Nathuram Jatav, Village- Narouni, Dist Shivpuri Mob 7354849633	We are unemployed from Narouni village coming under submergence. Employment shall be given.	Employment shall be given as per eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to improve the quality of life of PAFs.
33.	Mr. Dayaram Lodhi s/o Mr. Ramcharan Lodhi, Village- Didawani, Dist Shivpuri Mob 9669663142		Suggestion shall be taken for consideration and compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".
34.	Mr. Shishupal Singh Lodhi s/o Mr. Ramdayal Singh Lodhi, Dist Shivpuri Mob 8120220026	Suggested to start the work and irrigation water to be supplied to the farmers at the earliest.	Suggestion shall be taken for consideration.

3. PROCEEDINGS OF PUBLIC HEARING HELD IN DISTRICT ASHOKNAGAR

The Public notice for conducting the public hearing in Shivpuri district was issued through advertisement in *Patrika*, *Nai Dunia* and *Hindustan Times*, which was

published on 18.08.2015. The Public Hearing for district Ashoknagar was organised in Govt. Middle School Piparoud, Block-Chanderi, Distt- Ashoknagar (MP). The meeting was organised by Mr. P.C. Uchariya, Rigional Officer, MP Pollution Control Board, Vijaipur, Distt-Guna on 18.09.2015. The Public Hearing meeting was chaired by Mr. S.K.Seble, Additional Collector and A.D.M.Ashoknagar (M.P.).

Mr. Shiv Shanker Singh Gurjar, Nayab Tehsildar Chanderi was also present during the Public Hearing. Senior officers from NWDA i.e. Mr. H. N. Dixit, Chief Engineer, NWDA, Lucknow, Mr. O .P. Singh Kushwaha, Superintending Engineer, New Delhi, Mr. S. C. Awasthi, Superintending Engineer, Gwalior, Mr.S.R. Mohar Superintending Engineer, Gwalior, Mr.S.R. Mohar Superintending Engineer, Gwalior, Mr. C .P. S. Sengar Executive Engineer, Jhansi, Mr. Afroz Alam, Dy director, Lucknow, Mr. Sanjay Singhal Assistant Executive engineer, Gwalior, Mr. Suresh Babu Mishra, Assistant Engineer attended the Public Hearing.

The Chairman of the meeting Mr. S.K.Seble, Additional Collector and A.D.M.Ashoknagar briefed the partocipants about the proposed project and anticipated socio-economic aspects of the Lower Orr Irrigation project. Mr. O.P. Singh Kushwaha, Superintending Engineer from NWDA presented the details of various project components for the participants. Mr. S. M. Dixit, Dy Chief Engineer from WAPCOS Limited gave a detailed presentation on the EIA-EMP study carried for the project and summarized anticipated Environmental and Social impacts of the project and the proposed measures outlined as a part of Environmental Management Plan. Mr. S. M. Dixit, also appraised the Panel members and the participants of Public Hearing about the details of compensation proposed to be given to the Project Affected Families as a part of the R&R plan for the project.

The participants in the Public hearing were invited to give their comments & suggestions regarding the project. Some of the participants appreciated the proposed project and requested for early implementation, while some of them raised their concerns on some issues. A total of 71 persons participated in the discussions and sought information mainly regarding the land acquisition. Additional District Collector, Shivpuri and Mr. O .P. Singh Kushwaha, Superintending Engineer from NWDA replied on land acquisition related issues, while Mr. S. M. Dixit clarified on environmental and social aspects of the project. The details of public hearing are given in Annexure-II of the Report.

The key issues raised during the public hearing organised in Govt. Middle School Piparoud, Block-Chanderi, Distt- Ashoknagar (MP). are showen in Table-2.

Table-2. Key issues raised in public hearing at village Piparoud dist. Ashoknagar

S.No	Name of Person	Issues Raised	Response
1.	Mr. Jawahar Singh Parihar s/o Mr. Toran Singh Parihar Village- Lighora MohanPur Chanderi, Dist. AshokNagar Mob 7697031953	One Member of my family should be given employment. Land for resettlement to be given. Rs. 10 lakh/ bigha compensation and for Kutcha and Pucca houses, market rate (sq.ft) may given.	Employment to project affected families shall be given as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to further benefit for the PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Land cost shall be decided by the district administration.
2.	Mr. Jagrath Singh, Mr. Ramdin s/o Mr. Gyarasa Aadiwasi Village- Daang Bairasia, Dist. AshokNagar	Compensation should be made for trees such as Mango tree, Guava, Lemon, sugar apple trees etc.	Compensation of trees shall be given as per the government policy.
3.	Mr. Chandrabhan singh Rajpoot s/o Mr. Preetam singh Rajpoot Village- Khyavada, Dist. AshokNagar Mob 9407200102	Land for land and house for house to be provided for PAFs of submergence. Compensation should be given at least one year befor the commencement of project so that they can start their works. Compensation should also be given for trees.	Availibity of land shall be decided by district administration. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Compensation of trees shall be done as per the government policy.
4.	Mr. Parmal singh Rajpoot s/o Mr. Raghuveer singh Rajpoot Chanderi Dist. AshokNagar	Compensation for land should be given above market rate. Pacca houses should be given. one member per family of every PAFs to be given employment. Compensation should also	Land cost shall be decided by district administration. Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. Compensation of trees shall be given as per the

S.No	Name of Person	Issues Raised	Response
		be given for trees.	government policy.
5.	Mr. Ompal singh Kewat s/o Mr. Naththulaal Kevat Village- Piprouda, Dist. AshokNagar Mob 8989242594	I have no objection for construction of dam and I suggest to give employment to villagers.	Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood Plan shall also be provided to PAFs.
6.	Mr. Vishwanath singh solanki s/o Mr. Komal singh Solanki Village- Khyawada, Teh- Chanderi, Dist AshokNagar	A compensation of Rs.15 lakh should be given. Employment, house for House should be given. Registration fees should not be taken for buying of new land. Compensation for our livestock should be given. Provide all facilities at the time of resettlement.	Land cost shall be decided by district administration. Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transperancy in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013"
7.	Mr. Sangram singh s/o Mr. Mojilaal Village- Khyawada, Teh- Chanderi, Dist AshokNagar	How much compensation is given? Is land for land adopted? Do we get land for our houses and schooling facility?	The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transperancy in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Availability of land shall be decided by district administration.
8.	Mr. Dashrath s/o Mr. Eshwar singh Village- Koopgad, Teh- Chanderi, Dist Ashok Nagar	Our village is getting submerged. What we will do without land. Therefore dam should not come. If dam has to come then, alternate same quality of land to be given at nearby village. One member per family of every PAFs to be given employment.	Availability of land shall be decided by district administration. Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan has also been recommended for the PAFs
9.	Mr. Shishupal singh Gurjar s/o Mr. Nihal Singh Rajpoot	Our land and entire village is getting submerged. Hence, appropriate	Compensation of trees, wells shall be given as per the government policy.

S.No	Name of Person	Issues Raised	Response
•	Village- Beethala, Teh- Chanderi, Dist AshokNagar	compensation of trees ,wells, houses and land to be given.	Land cost/compensation shall be decided by district administration.
10.	Mr. Mahendra singh s/o Mr. Kalyan Singh Village- Rakhtoura, Teh- Chanderi, Dist AshokNagar	Our village is getting submerged which will affect our livelihood. One member per family of every PAFs to be given employment. Land for land and compensation at Rs. 6 lakh/ bigha.	Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. Availability of land shall be decided by district administration.
			Land cost/compensation shall be decided by district administration.
11.	Mr. Imrat singh s/o Mr. Bhagun laal Gurjar Village- Khyawada, Teh- Chanderi, Dist AshokNagar	We have 10 biswa land and we are 5 brothers. Land for land to be given.	Availibity of land shall be decided by district administration.
12.	Mr. Jashrath singh Aadiwasi s/o Mr. Gyarasa singh Aadiwasi Village- Bairasiya, Teh- Chanderi, Dist AshokNagar	Either compensation of Rs. 10 lakh or land in lieu of land should be given. If land of city level is not feasible then atleast compensation should be of city level.	Land cost/compensation shall be decided by district administration.
13.	Mr. Veer singh Gurjar s/o Mr. Lalaram Gurjar Village- Bhaandri, Teh- Chanderi, Dist AshokNagar	My family has 15 members and do not have any jobs. My occupation is farming. My family will be ruined as the land is coming in submergence area. Hence, it is requested to kindly give the maximum compensation possible.	The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transperancy in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013"
14.	Mr. Mahesh Kumar Ahirwar s/o Mr. Nathuram Ahirwar Village- Lidhoura, Dist AshokNagar	We do not have any problem. But we want compensation equal to that of city level, member of every family should be given a job and place to live. Wells, trees and shrubs should be given free of cost in record. Compensation amount should be deposited directly to bank account.	Land cost/compensation shall be decided by district administration. Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to the PAFs. Compensation of trees, wells shall be done as per the government

S.No	Name of Person	Issues Raised	Response
•			policy. Mode of disbursement of Compensation shall be done as decided by govt.
15.	Mr. Pawan singh Yadav s/o Mr. Shripat singh Village- Lodhoura, Dist AshokNagar Mob 9424725231	It is requested that is Dam is constructed then compensation of Rs. 12 lakh/ bigha should be given. The decision to benefit lakh of people by this Save water stop water campaign of Indian government is right. Works related to revenue department should be made free. Compensation amount should be deposited directly in the account.	Land cost/compensation shall be decided by district administration. The rate for compensation of land shall be decided by the district administration.
16.	Mr. Chandrapal Singh Gour s/o Mr. Jagdish singh Village- Bithala, Teh Chanderi, Dist AshokNagar	It is requested that the land of 12 villages that is coming under submergence area should be given land only in lieu of it.	Availability of land shall be decided by the district administration.
17.	Mr. Monu Raja s/o Mr. Sitaram Singh Village- Bithala, Teh Chanderi, Dist AshokNagar	It is requested that leave us on our own and Lower Orr dam should not be constructed.	The project is required for the development of the area. A detailed Environmental Impact Assessment Study has been conducted and a detailed impact assessment has been done. An Environmental Management Plan has been prepared for mitigation of adverse impacts.
18.	Mr. Pawan Yadav s/o Mr. Shripat Yadav Village- Lidhora, Teh Chanderi, Dist AshokNagar	We do not need dam.	The project is required for the development of the area. A detailed Environmental Impact Assessment Study has been conducted and a detailed impact assessment has been done. An Environmental Management Plan has been prepared for mitigation of adverse

S.No	Name of Person	Issues Raised	Response
•			impacts.
19.	Mr. Sedpal ji Bundele s/o Mr. Shankar singh, Village- Lidhora, Teh Chanderi, Dist AshokNagar	Compensation of our house should be given as per sq. ft rate in Chanderi Tehsil. We do not have land in our name. Who will take care of our children? We have to till forest land forcefully.	The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transperancy in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".
20.	Mr. Gokul singh s/o Mr. Bhagun singh, Village- Lidhora, Teh Chanderi, Dist AshokNagar	We do not need dam because we will have to face lot of problems because of it.	The project is required for the development of the area. A detailed Environmental Management Plan has been prepared for mitigation of adverse impacts.
21.	Mr. Gabbar singh Bundela s/o Mr. Sardar singh Bundela, Village- Lidhora, Teh Chanderi, Dist AshokNagar	We all villagers say that we don't want the dam to be constructed as we don't want want to leave our birthland. If we do so our as well as the future of our children will be uncertain.	The project is required for the development of the area. A detailed Environmental Management Plan has been prepared for mitigation of adverse impacts. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transperancy in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".
22.	Mr. Siyaram Ahirwar s/o Mr. Hardas Harijan, Village- Lidhora, Teh Chanderi, Dist AshokNagar	It is requested that the Compensation of Rs. 10 Lakh per bigha to be given for my land.	Land cost/compensation shall be decided by district administration.
23.	Mr. Shivraj singh Yadav s/o Mr. Dhiraj singh Yadav, Village-Pagara, Teh Chanderi, Dist AshokNagar	We all villagers of Village- Pagara are not willing for the construction of this Dam.	The project is required for the development of the area. A detailed Environmental Impact Assessment Study has been conducted and a detailed impact assessment has been done. An Environmental Management Plan has been prepared for

S.No	Name of Person	Issues Raised	Response	
			mitigation of adverse impacts.	
24.	Mr. Veer singh Lodhi s/o Mr. Gokul singh Lodhi, Village- Lidhora, Teh Chanderi, Dist AshokNagar	My village is coming under submergence therefore Compensation of Rs. 10 Lakh per bigha to be given. Also one member per family of every PAFs to be given employment to earn their living as earlier.	Land cost/compensation shall be decided by district administration. Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided for PAFs, which will also improve their quality of life.	
25.	Mr. Jasman singh Yadav s/o Mr. Shankar singh Yadav, Village- Lakhari, Teh Chanderi, Dist AshokNagar	As per this scheme Village- Lakhari is coming under submergence. It is therefore requested that enough compensation is given. One member per family of every PAFs to be given employment.	Land cost/compensation shall be decided by district administration. Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs.	
26.	Mr. Palluram Ahirwar s/o Mr. UddaramAhirwar, Village- Lidhora, Teh Chanderi, Dist AshokNagar	Compensation of Rs. 10 Lakh per bigha to be given. Resettlement should be provided. One member of our family to be given employment. Compensation to be deposited in our bank accounts. We don't have any problem.	Land cost/compensation shall be decided by district administration. Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to the PAFs. The mode of disbursement of Compensation shall be done as decided by govt.	
27.	Mr. Netaram Ahirwar s/o Mr. Bhaiyalaal Ahirwar, Village- Lakhari, Teh Chanderi, Dist AshokNagar Mob 8989143360	Compensation of Rs. 10 Lakh per bigha to be given. Resettlement should be provided. One member of our family to be given employment. Compensation to be deposited in our bank accounts. We don't have any problem.	Land cost/compensation shall be decided by district administration. Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan shall be provided to PAFs. The mode of disbursement of Compensation shall be done as decided by govt.	

4. PROCEEDINGS OF PUBLIC HEARING HELD IN DISTRICT DATIA

Public notice for conducting the public hearing in Datia district was issued in Dainik Bhasker and Times of India on dated 18.08.2015. Public Hearing for Datia district was organised in Govt. High School, Village Noner, district Datia (MP). The meeting was organised by Mr. Alok Kumar Jain, Rigional Officer, MP Pollution Control Board, Gawlior on 19.09.2015. The Public Hearing meeting was chaired by Mr. Bhasker laxkar, District Collector, Datia (M.P.).

Mr. Shiv Shanker Singh Gurjar, Nayab Tehsildar Chanderi was also present during the Public Hearing. Senior officers from NWDA i.e. Mr. H. N. Dixit, Chief Engineer, NWDA, Lucknow, Mr. O .P. Singh Kushwaha, Superintending Engineer, New Delhi, Mr. S. C. Awasthi, Superintending Engineer, Gwalior, Mr.S.R. Mohar Superintending Engineer, Gwalior attended the Public Hearing.

Chairman of the meeting Mr. Bhasker laxkar, District Collector, Datia, briefed the partocipants about the proposed project and anticipated socio-economic aspects of the Lower orr irrigation project. Mr. O .P. Singh Kushwaha, Superintending Engineer from NWDA presented the details of the various project components for the participants. Mr. S. M. Dixit, Dy Chief Engineer from EIA Consultants M/s WAPCOS Limited gave a detailed presentation on the EIA/EMP study carried for the project and summarized anticipated Environmental and Social impacts of the project and suggested Environmental Management.

The participants in the Public hearing were invited to give their comments & suggestions regarding the project. Some of the participants appreciated the proposed project and requested for early implementation, while some of them raised other issues. A total of 9 persons submitted there observations in writing and 4 perons participated in discussions regarding the project. Mr. Bhasker Laxkar, District Collector, Datia and Mr. O .P. Singh Kushwaha, Superintending Engineer from NWDA replied on land acquisition related issues, while Mr. S. M. Dixit clarified on environmental and social aspects of the project. The details of Public Hearing are given in Annexure-III of the Report. The key issues raised during the public hearing organised in Govt. High School, Village Noner, district Datia (MP) are showen in Table-3.

Table-3. Key issues raised in public hearing at village Noner, district Datia

S.No	Name of Person	Issues Raised	Response
1	Mr. Anand Singh Vill- Raipursani	Project will benefit the poor farmers, we support the project.	Welcome the support
2	Mr. bahadur Singh Bundela Vill- Noner	Welcome the project and requested to provide culverts in the canal	Welcome the support
3	Mr.Jashwant Singh Chouhan Vill Noner	We all will be benefitted by the project	Welcome the support
4	Mr. Harnam Singh Vill- Noner	Asked about the names of the villages in canal/command area	The list of total 17 villages of command area was presented
5	Mr. Chadameel Ahirwar Vill- Noner	Requested to provide the irrigation facility up to higher elevation areas	Since, canal is designed based on gravity flow, it will not be possible to provide the water at high elevation. However, farmers may lift and use the canal water

ANNEXURES-I

PROCEEDINGS OF PUBLIC HEARING HELD IN DISTRICT SHIVPURI

232 17 Regional

Regional Office, Madhya Pradesh Pollution Control Board

ही की या कार्या लया, महस्यम्बेश कृत्युवाचा विश्व जागा तो ई Tanker Parking Area, Gail Complex Vijaypur, Distr-Guna (M.P.) 473112, ६ -07544-274898 Email- ra,mpycbyona28@qmail.com

कमांक । कन्द

हो.का / भ.नि.बो. / 2015

विजयपुर दिनांव 📆 ।। २०१६

प्रति.

सिवस्य साथिव महोदय, गप्रप्रदूषण नियंत्रण बोर्च भोपाल (मप्र)

विषय:- राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की केम-बेतव लिक प्रोजेक्ट फेस-2, के अंतर्गत लोजर छर बांध परियोजना प्राम-विवायमी जिला-शिवपुरी /असोकनगर हेतु भारत सरकार से पर्यावरण स्वीकृति प्राम्त करने के संबंध में दिनांक 17.09.2015 को सम्पन्न लोक सुनवाई की कार्यवाही।

सन्दर्भ:- 1, आएका पत्र कमारु 4728 दिनाव 12,08,2015

2 इस कार्या. का पत्र कमांक 604 दिनांक 14.08.2015, पत्र कमांक 632 दिनांक 17.08.2015, पत्र कमांक 635 दिनांक 17.38.2015, .

भारत सरकार, पर्धावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ध्यांवरण प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए.) अधिनुवन क्यांक एस.ओ. 533 (ई.) विनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय जल दिकारा अमिकरण की कंन-देतव लिंक प्रोजेक्ट केस-2, को क्षंवर्गत लोकर उर गांव परियोजना ग्राम-दिचावनी, जिला-शिवपुरी /अशोकनगर हेतु लीक सुनवाई दिनांक 17.09.2015 दिन-गुरुवार को प्रात 11:00 बजे से शासकीय सन्तयन प्राथमिक दिशालय कंशनपुरा, ग्राम पंचायत-दिचावनी, तहसील-खनियाधाना, जिला-शिवपुरी में सम्पन्न हुई।

लोक सुनवाई जिला अपर कलेवटर श्री जेड्यू,शेख की अब्यक्ता एवं पर्यवेक्षण में आयोजित हुई 'क्समें राष्ट्रीय जल दिवास अभिवल्य की और से श्री ओ.पी.सिंह कुशवह, अधीक्षण अभिवता, नई दिस्ती, श्री एस.सी.अवस्थी अधीक्षण अभियता ग्वातिग्रर, श्री एस.कार.माहोर, अधिशाची अभिग्रता, ग्वातियर, श्री ए.एस.नाप्यर, अधिशासी अभियता, भाषाल एवं अन्य अधिकारी, श्री मुसेंश कुमार शर्मा, एस.डी.एन, पिछोर, श्री जे.पी.गुप्ता, तहसीलवार, त्यनिर्योधाना, अमीण के नागरिकाण साहित क्षेत्रीय कार्यालय म.प्रप्रदूष्ण नियन्नण वोर्ड विकारपुर, गुना के अधिकारी /कर्मचारी उपस्थित थे।

लोक सुनवाई का कार्यवाई विवरण निग्नलिखित मूल सलमको सहित सलम्न है-

- णिला कलेक्टर क्र'रा लोक सुनवाई हेवु नियत दिनांक, स्थल तथा स्थान। (०१ पृथ्क)
- समावार पश्री में प्रकाशन (हेन्दुस्तान टाइम्स, नई सुनिया तथा पत्रिका) की प्रति। (७३ पृथ्व)
- 3 है आई.ए अिल्ज्यमा के अनुसार आवश्यक दस्तावेज र मधिम प्रार्थालयों में एखे जाने की पायती । (32 पृथ्त)
- लीक सुनवाई के मिनिद्स, सार उपस्थिति पत्रक तथा आपत्तियाँ सुक्षय संबंधित कार्यालयाँ में रखे जान की पावती । (६१ पृथ्ड)
- अस्येवाही विवरण की द्रति । (03 पुछ)
- जोक सुनवाई के वौरान उठायें गए गुद्दे एवं उनका समाधन। (हिन्दी एवं अंग्रेजी) (पृथ्व 11 ± 10)
- उपस्थित अधिकारियों की सूची । (n2)
- सचिश्यत नागरिकनणों की सूची। (68)
- लोक मुनदाई के गीपान प्राप्त सुझाव / टीका टिप्पणी आदि मूलाः, (का मृष्ठ) ।
- 10 कार्यकरो तिनगण की वीठियाँ सीडी.एव फोटोग्रागस । (c) नग एवं फोटो—11 पृथ्ठ)

मंस्रग-उपयोद्यानुसार ।

कारीसाम्बर्भा की राष्ट्री ए जाल विकास अमेरका किलीप मत्त, 12- साउट जनन, हि. पेसेंट ट्रम्मिन र - (पी.धां स्थापिका) विजय अधिकारी, विजयपुर, गुना

A LANGE

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिरट्रेट शिवपुरी म0प्र0 क्रमांक/आरडीएम/2015/ २२५५ शिवपुरी दिनांक/ !५/08/2015

//विज्ञाप्ति//

क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय म००० प्रदूषण निर्मन्नण वोर्ड टेंकर पार्किण रेरिया गैल काम्मलेक्स विजयपुर, गुना म००० द्वारा एन कमांक 603/क्षे. कां/प्रनिवें। 2015 दिनांक 14.08.2015 से अवगत कराया है कि मेससे नेशनल घाँटर बेव्ह्रवर्णमेंट ऐजेन्सी की केन-बेतचा लिंक प्रोजेक्ट फेस-2 जिला शिवपुरी हेतु भारत अरकार की पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना ईआईए नोटिफिकेशन कमांक एराजों/1553 दिनांक 14.09.2006 के तारतम्य में जनता के सुड़ाब, विचार एवं टीका टिप्पणी तथा आक्षेप आमंत्रित किये जाने हेतु लोंक सुनबाई के लिये दिनांक 17.09.2015 स्थल ग्राम पंचायत दियावनी तहसील अनिधांधाना जिला शिवपुरी निधांतित की गई है। जिस किसी व्यक्ति को स्थल प्रोजेक्ट के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह निर्धारित दिनांक 17.09.2015 को स्थान ग्राम पंचायत दियावनी तहसील खन्यांधाना जिला शिवपुरी पर उपस्थित हो कर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं एवं उवत परियोजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रापा कर संबंध है। तत्थरधात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

कलेक्टर एवं जिला मजिरट्रेट नु जिला शिवपुरी म०प्रः) शिवपुरी दिनांक/14/08/2015

पृश्कः / आरडीएम / २०१५ / २ २ ५ ५ प्रतिलिपः –

सदस्य सचिव म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोषाल को और रूचनार्थ।

 कार्यपालन यंत्री नेशनल पॉवर डेव्हलपमेंट ऐजेन्सी द्वितीय तल 12-साडा भवन सिटी सेन्टर खालियर की और मुचनार्थ।

अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय मठ्यठ प्रदूषण नियंत्रण बार्ड टॅकर पार्किंग ऐरिया गैल कॉम्पलेक्स विजयपुर, गुना मठाठ को ओर एनके पत्र कमांक 803 द्विनांक 14.08.2015 के संदर्भ में रायनार्थ।

पुलिस अधीक्षक शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

 अनुविभागीय दण्डाह्मिकार पिक्रीर की ओर सूब्नार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु।

 तहसीलदार खनियांधाना की ओर संबंधित ग्राम पंचायत में जन सामान्य के प्रचार-प्रसार हेतु कोटवार के माध्यम से मुनादी कराई जाने हेतु।

 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खनियांधाना की और संबंधित ग्राम पंचायत में जन सामान्य के प्रचार-प्रसार हेतु सचिवों के माध्यम से मुनादी कराई जाने हेतु।

9. सहायक संब्रालक सूचना एवं प्रकाश विभाग शिवपुरी की और शेजकर लेख हैं कि लोक सुनबाई हेतु उक्त परियोजना के संबंध में प्रचार-प्रश्नार हेतु दो समाचार पत्र जिनमें एक राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र एवं एक क्षेत्र्य स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

> कलेक्टर एवं जिला गजिस्ट्रेट है-

5.(~

[atterfile (1) 2014

विकारित वर

vera my more and 12 thm Lat I Olefinsku erfinic behoo s d trattic

of The Ingl WWW TUNE ribibilities ng out to declared

aple hre

n English b Ealkote. offig Rotin ng iron 1981. ##05 Cf Basoni

e-died) MEYE 180 10年10年 of tence. out full es

Farand. by eligibi the top hos 14 大田大村 tec with at III the reaning.

Action West d jolen in 115. Ko II

my less n morta

EXPLOSIVES FOUND.

Similar A Tracer was a vertea by Emery a steel on a spirit in a sp Ganderhol districts write arractetima arragio (i co sunta tepta a illaria market il Salanna brandi in districtio targili di ordea sudapanto (illa bri)

Depote Commonstates Force News formed Ward salt that schools have only depolosed in the third have


berrolesed in the thick whose seaso apprehantiary remaining the bill of largers are constantly tenth doctor orang makes. The trial largers are constantly tenth doctor orang makes a present a present a product apprehant apprehant apprehantial and the larger of a fact that are in a solute that it is the larger of a fact that are in a solute that is a proved that is the larger of a fact that are in a solute that is proved that is provided in the parties of the parties o m (then Narvillage to Sundity

Horning Hwate has have the gove hor village was hit, but shill-kedi early polosubuots, we exist feed our rivestool and Plecoldy provisional store Lumphywer Price Evillen Refers a molise (porthwe-kane in believ, Saud) kally though a common it is not have been which is less than the kill. motificancy contributine of

Ind has 3,00,000 troops comprising four Aurit. Coms. 51 battallors of Indo-Tibelan Border Police (TBP), and the military tikel Adakh, Americal and Sixkim Scouls - o counter a Chinese threat, Half of them are deployed within 100 km of the indistinct Line of Setun) Chrisol (LAC) scoami-ing India and China-controlled That The 9,488 km LAC at an are rous of 15,500 ft, runs from the Katakoram Pers in Ladash to Jackey La in Arunachal Product. More than the terroin and subsern temperatures, poor infrastructure and accessibility funder proper pollong along this

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given



Colony, Near Noorbri Paga, Dhar Road, Indon-52301 (Cell No \$229163672) has abaridon d tie style's o STP Lid. wie fiath July 2015 and Is no longer in employment of \$TP Lis. He is not mathenised to represent STP little in any matter whitsaven An person of spend, dealing with hom shall so that higher own nsk and pently

Nathula and Tewang in Acusacial Prodeshbeveroads unlike much of the border, particularly 10 trouble spots often targeted by Chinese troops Even the traditional route to Kailash vin Pithoragach ir. Uttarakhund s peerly main found, besides being landstide

prese Connectivity affects tractly reaction.

(TB2 personnel had to trok 76 km from their Chaglag on octored in A streament Predesh's Anjaw district when Thinese trangerumo or ker inche India in Apprist 2013

fleri "La Oteliko deres h deeper donesis trusted in

1.0

P h

PATE

1.8

(4)

1 1

Dall

JHARKHAND SPACE APPLICATIONS CENTER

Department of Information Technology, Gost, of Jharkmand 24 Floor, Engineers Hossel-I, Dharkmand Tel. 0651-74(1719), Fax: 0651-740(1729)

DL 18 (8:2015 Advertisement No. USAC/2015/57/05 Recruitment Notice

Jharktend Space Applications Certer, DolT GoJ invites applications from the eligible cardigmes for remaining to contraction basis for the post of Junior Research Fellow (JRF).

General Terms & Conditions of engagement, required qualification, and experience for the respective position and other details may be viewed and devilloaded from the websits http://sac.jbarkhandi.gov.in or http:// http:// recruitment. harkhand, gov.in.

Sd/ - Director, PSA



NATIONAL INSTITUTE OF BIOLOGICALS

to community for the Ministry of Easth & Fundy Wester) GOI, A-31, Section - 62, Australian of Area Pind, NOIDA - 201309 U.P Phone: 0120-1400012772 Fair: 0120-2403014.

CANCELLATION

Reference Recruitment Natice for filling up of one post of Jr. Scientist published vide Adve User/ert No. A.2-52/2014 dated 18-07-2014 and in Employment News dated 19 - 25 July, 2014 may be treated as cancelled due to admir istrative reacons

Director No. NIB

[| Tudor t - 18 | 8 | 2015

iumes ooner

augen Lie micesper

Ut 3 dirtok hout⊊o:: stor With my a hiso heat apone poliespur als Menta TO TOTAL dry night, ice ourly. ne in the 100/8

meent in and strict heir poly

and alean

क्षेत्रीय कार्यातयः म.1 पद्यमानियंत्रण खर्ड.

देकर पाकिन शेरिया, जेल काम्प्रलेखन, विजयहर, जिलानुना

लाक समवाई के स्वामा

The first of the first of second (Second Second Sec The first of the control of the cont

and the wind of the main that a control of the quarter pro- theo na mani anggan sa anggan sa manggan anggan sa manggan s

(4) (4) (3 (4) (3) (4)

शेभीय कासीलय,

गण, पद्धण निर्देशिय कोर्र टैकर पाकिम सेरिया, जेल काम्पलेक्स, विजयपुर, जिला जुना

लोक सनवाई की सुबना

प्रति के प्रति है के स्वार्य के स्वर्य के स्वार्य के स

क्षेत्र है स्वयं के स् रोजा-रिक्को १५ क्यांक से दर प्राकृत से सकते है।

(their eurfest) बोर्चन्द्र श्रीचकर्ता na operfrancij. firsting final-go



व नव सहस्य शास होते हुन

।र) किए ग्री, कास्य के रूपोख्य माति की। कविस प्रकटीवरी र योगा पचले थेर से रामा यो जिकसामी को दूध थे इकिल न सुनने में उच्चम जेतार गोला के महाहुर ना नाम का गशाह थे एहं।

eth ad the me he as मेणांनी प्राप्ती के विकास के एक है। के बातान करेंक जाता है करते 10 में सर्वाधिक क्षेत्र वास करते अले राजात सम्बा सङ्ग्रास १२ में सर्वाधिक अन्य पाचन करने थाने सर्पम गुन्ता को प्रशासन क्षेत्र है के ह रामानित किया कर्तन्द्रक आ के



संदेश एक्टिक्टी कहीतान मध्य संवस्त संस्थाता होते विकास मध्य होते संस्थान होते स्वरस्त है आहे.

युवे ने मायन्य कर हे करेंग हारा की मद्रे म देखिएए) की प्रशंसा हो।

. उन्होंने कहा कि बलव का मुक्तिपट औं गीर होने का सकरक सराहतीय है। प्रशासन तत कार्य में लावन्त्र वर्गम करेंग के पूरा साथ

बेगा लाग हो कलेक्टर में सहाव दिया कि एसमाना जन्मक कुमीवम पर भी कार्य कर इसे दूर करने में रम्पणार्थन स्थापन्य विचित्राधिकारी में द्राय*ना करा ग*ी नवीन पंजासक महत्त में मुख्य रूप से अध्यक्त

भारतम की सीता में बंबे कृता सहवाल हमाने। ब्रह्म निहा पीर्थल में स्थायतम माचित भारत अपराज के वेशक सहस्व ना एपए देवाई। जा में नामन वृत्रम् हन गृहा ने किया।

ब्हेज हत्या का केस दर्ज

। नरवर ह जाती। बर्स देख में व अविवयनिकाला इस्त कर्त की गर्व मा महत्व के मामल व पूर्व रहा है मा सं जीव असीत आसी अनुसन कालों के जिल्हा हुनेन हुने। हात सम्राग वर्ग कर विवयन भारत कर ही है। पहले जमाना आगि छोन भारत क्षेत्र का है वहां भाग बुद्ध में 25 可可能 2015 時 7年 24日 日 नामी काहिएन विकेश प्रकार स्टालिक भारत नामानी समान राजानामा प्रताशि धी। पुलिस ने भग कार्यन कर जब प्रापते की जिलेका हाए क तो वर तथ्य अभागत हुए मि विनोत्त ने संपूरांस माले इसे देश के लिए अताहित कार्त थे। यहां कारण १ के उसने आस्त्रका गरे जी गाहि वर्ष

आरोपी मति रशपाल सहित कीटर धरेन्द्र, शिवाने याच्य के खिलान ्वरा क्रिएम कर देखा है। दूसरा मानाता नरवर याना के साम खि या सर है, "तहा 11 अग रूप 2015 की दाशहर देश अने 22 वर्षीय महिला पूना पहार तोव अस् बोन् न जाहर द्यागर आरमंत्रला सार सी थी। पुलिस ने दर्ग कारण कर विकेशन प्रारंभ का भी रह रूम कनात् हुए हम् पूजा में श्रीत प्रतिस्थ ने त्या आका अन्त खानर गान्यहरूप को पुलिस ने ब्यानों के प्रशास पर आरोगे रचि प्रशासीत वयाम प्रवासी, गोपाल प्रशायनि पुनन प्रजाति के जिलाफ द्वारा प्रस हत्व अधित दर्शे अहत्या का माणसा दर्ज

समारोह आयोजित

सास्कृतिक महोत्सव'

表面的 知识明 知识的 身 動力器 केटकत सांस्त्रता से विशा कार्यक्रम कर नुष्यं अतिष्ठि वैकास हिन्द्र अस्ति। महा हि. पाणिन हाण राया गर ३० वर्षी ो गामि शहरतस्य कार्यस्य असे दित मन असे हैं, हो बचाह का मान है। हरी मार्गात में सभी के गोरंगाना गिर्देश हैं और हिन्ती एकिसा निखारमा गामने आति है।

श्रीकार सम्मातन अपरोह समिति धारा आयोजित होते । स्ते कार्यक्रमा में जो भी प्रतिमा है के गत है, उसे बरेगा है। सहस्र महार है। त आहे में कहारीय सहिता प्रस्तात का हम संबन्ध सेम चारिए। काल क्रिस्ट वीस असे क्रिक्सिक स विकास करते समारा आविशी की

多年 可作中,则使加州。 单位中华发展 inan fina what won W ति तेषु सर्वते। भणन संभ्यतिक समारीह समिति देशा चल क्रांबर अपन् आकी, गायन अत्य, यागकला स्तर विभाग संबद मही मूर्ग, सादर गाँदारा सरस्य भाग क्षत्रिकीतास्त्री के विज्ञा कीणांसको व जलपा स्टॉल स्टॉलियों को एउस्सीमा क्रिया एक्रा पुरस्कार वितरण बागों कवारी र विति के विकास सम्बद्धा विकास विकास अध्यक्ष र तीन जैना, जिल्ला विकास प्रतार गर्ग जन हम र नेहर अपूर्ण तक अप पाट के पता उद्देशक प्रतीत विकल विजय पीनार जिनेक प्रतीत अपार क्षेत्र के देश अपना क्षेत्र गर्भा क्षेत्र के देश अपना क्षेत्र



🕖 म.प्र. पद्षण नियंत्रण बोर्ड टेंकर पार्किय ऐरिका, मेंच का प्रतीवता, विजयपुर, जिला-पुरा

unte trait, enfare na me naiero nifecti e celupus prim nel in. 1532 fenint 14 (2) 2008, il Populi e de la significa en periode unel la distintación de nel constituir de des constituirs de des 1. There forests there is a second of the secon estrogram afform), green months, it is in providing on the Convention of the Convent and a factorized for by Reigh and so for their security and security a agrif beginn all all medicine man right fillion (*). A till missemalle o om amerik eige aletat treng design (*) design f. Kongo, green und

11:00 में से प्राप्त-रेपान्ती, सह नेदीनावहर निस्ता रेपापुरी के आसंबंध बद्ध र (१९६७) भंताओं भाग है। तह में किया किया किया रेपापुरी के आसंबंध बद्ध र (१९६७) भंताओं भाग है। ये किया से संबंध अवत्य उत्तर प्रतिक्रियों प्राप्त के सम्बद्ध होती, कि व्यक्तिमाल, किया के का निप्पार के बनाईन में हमें बहुई के स्थाप के

(पी.सी. उचारिका) क्षेत्रीय अधिका()

B.प्र प्रदूषण विशेषण और विभवपुर, जिल्ला-सूच

THE WE GET



क्षिमा प्राची प्राप्त विकास करण व्यक्तिका व्यक्तिक व्यक्त

हबराकु प्राप्तका

माल इंडिया पीएमटी प्रोक्ष में डबव के, एक हमान गुड़ा पूज र ग्रेशका पुत्रा में मण में आवरओं र 27 व्यं और सामान्य कटगरी में 24 व्यं रेक पाल की वैं। कड़ींब उप गर में उनकी इंडिड की और मामान्य केटगरी में 495 वारित से 1*

पिका से बात बंद के दौरन रिमापु गुप्ताचे बराबा कि परने ही अटम मैं दें कान हुआ है क्योंक 1 कं और 12 में को पहार के साथ ही के दो आल से तैयारी कर रहे थे। उनके रिका संग्राल कर ग्रामीण के के बाब गोवजर है और मां गुरुणी है। इस्तान बताया कि प्रतिदेन करीब पाछ पर को करोर परिश्रम के बाद बार सफलता मिली है। इस सफलता के लिए के अपने माता - मिला के के लाजा रहाबार पर्यक्त तानी, अतित शर्मा की बेंग्न देश है। उनका सहस्य करना डीक्टर बनकर जन सेवा करना है।

स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित

इक्का, आरोप भारते के दावावधान में प्रीमकार की लेख भारता अगवसीम विद्यालय में स्वास्थ्य प्रोश्चेण शिक्षित का आयोजन कथा एपा क्रिसेन बिकिस्समें ने कथा का स्वास्थ्य परिच्या किया और स्वास्थ्य क प्रीत स्वज्य रहने को कहा गया। स्वध हो स्थाप कि द्वीचक जोने प्रमां में परिचर्नन लोने से भी घीजरियों को दु स्वास्थ्य जा सकते हैं। े लेट- प्रमारे वहां वादी आदि का देश देश के विकास का स्थल देश स्थाप विकास के कि विद्यारम् १००५ का का का विकास के कि विकास स्थाप के विकास के व

enter and

्रीक्ट्राम् संस्कृतस्य वीक्द्रसम्बद्धाः

देश प्रक्रिय पेरिया, येल कामाल सर विश्वयम्, जिला-गुना लोक सुनदाई की सुचन

Pingrat 92265468 26,036220256

भाग महत्वस् प्रणासन्य पूर्व वर महत्व में रिकारण नीवस्त्रार मार्ग प्रभाव । 1512 के अब १ ४०० १ ८०० में प्रणास के अवस्ति प्रणास कर कर कि सिंप के विकार में प्रणास के प्रणास के अवस्ति । 1515 के विकार में प्रणास के प्रणास

परिषोदन में समय में लोग करान है दिनाक १८,०२ 2513, फिर-गुणनार के आर १९६० कमें से दान - श्रेंदरवर्ग, तर आनिन्यधान दिला-शिलपुर के शामकीय भका (स्कूल/प्रशासत प्रथेत) में दिला करियार अध्या उन्हें प्रतिबंध को अध्यात में स्थान होते, जिससे स्टबर्गस्थर टीक-रिपयो ६८ अध्यात श्रीसर्व करा स्थानी

> (भी भी उन्नरिया) सम्रीय अधिकारी अ.प्र. प्रदेशन निमानन बार्ड, विजयपर, जिल्ला-गुला

टाना है.

व्यगोर्ध्व आयोजित

बारलने व्हार्ग होने बाराने होगा मा बारलन होगा था। द गार मेर था। व रचन पार करते हुए जहां कि धारी प क्रमा चार का हुए नहां होता रागर गामा हो प्यार अपन मही होता। हुए था हार्म ने बाह कि, बनपता को धारीना अपी नहीं धनान, यहाँ कर दान प्रजा कारों का प्रचान हुए उन्हें के दान प्रमान अपी, सम्म नहां हैं हैं। भारत जाना प्रचान हुए होने भारत ग्यातिका हैं हैं जाए। क्रमा बंद हों का बाद के सम्मान अपी का का का का का का दों का बाद के सम्मान प्रचान प्रचान स्थातन बीक्ट गहानी ने किया।

तव्य गोष्ठी आयोजित



पहुंचेंद्री ने सुद्राने में ब्याग बाग ए हैं और साथ है जाता वर्षे लेकिट वंदर हुए ने ही मिल बतुर्वेदी बीधक सामीरंग जारका

कार्यालय नगर परिषद दवोड जिला भिण्ड (ग.प्र.)

ज्य क्रम्यसम्। 	कार्य को अनुसन्धित राजि	अमन्द अमनद	हिन्द्रमा । प्रदेशका गुरुश ।	H SOURS	मानकी सम्बद्धि
ing. Sufficientate history and from grand and integrality sharmers use on subsection than or princes.	141.16 (e) 0	1612005	12:00/-		A1.73,8786 Service Avera

end of the content of

सार मारामध्य स्पटीस इंद्यून

हास्या नाक प्रथमन दक्षेड्र जिला (२एक सन् आर स्थेतर पुन्य मन्द्रणात्रिका अस्तिवारी भाग विदेश अकेट दिखा विद्रा







भेड़ीय कार्यालय मध्रप्रदेषण नेखंचण देशर प्राप्ते । एरिया गाल कामध्यका भागपतुः सुन दुरुण ५ ०१५००

गैरालं नेश्वानल चार्च डंक्सलपमेंट एजेसी की किन ये वा लिक प्रोचाल्ड फेस- ! प्रस्तावित लोक सुनवर्ष दिनाक 17.09 2 116 से संबंधित वहानूपण

ल्य पत्र क्रमांक दिनाक	त्त्रवोधित अधिकारो/कार्यालय का नाम ।
ST-191-12-15 Roberts Property	जिला करावटः वस्यानव दिवयुरा प्रान्त किन्न । स्व
2 628/2011- 17/08/17	मांसप्रसदक जिला उद्योग पा आगाउँ स्थितिक क्षित्र । यन्त्र, प्रित्स-शिक्षपुरः ।
3 629 Just	ges and the or afficure long to the state of
17/08/2011	Hanter free formers and many that the second

ात्रीय WEST TRIED 知识 पर्यावरण एउ वन स्थालस नापाल ।

विमित्र यंत्रण छ



राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण

(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सर मह

National Water Development Agency

(Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Gove of India)

Secretary law sold and

425 H)

सेवा क

PEN PREM

केंद्रीय क्षेत्रीय कायोजन पन्द्रोतरण एवं नव अन्यास व

the its of the later and the

विषय - प्रशासामान प्रकाद अध्ययन आणिमूचका १८७१० १४ ०० २०४० के असमित क्लाविस केल-बेसरा विक पहिलोजना के फेसना के अनर्गत दिवासने जॉव के भाग प्रस्वाचित लाजर उर बॉध जिला भिवपर अशोन तमर की प्रशंसरणीय स्वीकृति हेतु तक समग्रह के संबंध है।

सहसः बोडे महासालय का प्रश्न कर 4728 दिलाक 12-08-2015

四部位制

उपरोक्त विषय में विक्र में कि त्यांगरपांच प्रवास आग्रंक अधिस्वना दिस्तक 14-09-2006 है। वस्ता है है। उन् केत बैतक हिन्द वरियोजान के फेसना के अनुनंह के विद्यान एन के पास प्रश्तिक लागर है। अभीना नमर के प्रशांतरणीय स्थोकृति हेन् वन प्रजाई नाव प्रणांत शिरावती स्थापन कृतिरूप कर्णात प्रशासित की नई है। इस संबंध के अबर Era lant I wetnive summery/English & जना पर काँगि(संख्या) आरु जलना के अवलोकलाथे आपके कारोला में वाह. का आ रही है


(18 cm - 1814) HERRICH INTERPLE

प्रतिनिधिः । आरोक्षण अस्तिवास अस्तिवन राष्ट्रीय अन् विकास अस्तिभाग स्वासिक्ष को स्वतार्थ ट सोतीय अंगोक्स्मी , क्रांस्थ प्रदेश प्रदूषण बार्ड जाना (वि.स.मपुर) को विभाग 14:08-2015 के लेलात वे उ - श इस अनुराध के साथ कि अल्य सर्वाच्या दश्नात । अवश्यक कारताई एवं अल्य वरदान ५ हरा. अन्योक्त प्राहिता एतं वस सवात्व १०० । १०० । १००१का राम् अन्यान के १०००

AHEART OFFICE (OF ART) The state of the s

कार्यालय आविष्णामी आस्पिता, अहोतामा प्रधानिका, दिनीय गल, 12- माना मानन, सिटी सेंटर, खालियर - 274 वर्ग का जान आहित के Executive Engine (Investigation Division, NWDA, 11 floor, 12 5 AGA Bhasvar, City Centre, Gwallor, 174 वर्ग का दुरशाष/पोद्य/TeL/Fa: 0751 23n 1004 2340003

Regional Office, Madhya Pradesh Pollution Control Board कोत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण वीर्ड



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की केन-बेतवा लिक प्रोजेक्ट फेस-2. के अंतर्गत लोजर उर बाध परियोजना ग्राम-दिवाबनी, जिला-शिवपुरी /अशोकनगर हेतु भारत सरकार से पर्योदरण स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में दिनांक 17.09.2015 को सम्पन्न लोक सुनवाई से संबंधित महत्वूपर्ण डाक की पावती

Ф0	पत्र कुगांक	विनांक	सर्वोधित अधिकारी / कार्यालय का नाम प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
1.	976	05/11/15	जिला कलेक्टर कार्यालय शिवपुरी रि. १-१८
2.	982	02/11/12	महाप्रबंधक, जिला उद्योग एड व्यापार अधिकार के स्ट
4	983	05/11/12	गुरम कार्यपालन अधिकारी जिला पंचयत जिला शिवपुरी । जिला पंचायत राज्य
5.	954	05/11/15	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद
6			

विषय:-केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-2, के अंतर्गत प्रस्तावित लोअर उर बांध परियोजना ग्राम दिदावनी, जिला-शिवपुरी/अशोकनगर बावत् राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार) हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्धन मंत्रालय, नई विल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 17.09.2016 का कार्यवाही विवरण —

- गारत सरकार, पर्यादरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आकलन (ई.आई.ए.) अधिसूचना कमांक एस.ओ. 1533 (ई) दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ओवेदक राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवाय परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में लोक सुनवाई दिनांक 17.09.2015, दिन-गुरुवार को शास. उन्नयन प्रा. विद्यालय कंचनपुर, ग्राम पंचायत-दिवायनी, तहसील-खनियाँचाना, जिला-शिवपुरी (न.प्र.) में सम्पन्न को गई। लोक सुनवाई जिला अपर कलेक्टर शिवपुरी श्री जेट.यू.शेंख की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री पी.सी.उचारिया, क्षेत्रीय अधिकारी विजयपुर जिला-गुना की आर के रोहिताश, कार्यपालन यंत्री सहित बोर्ड के अन्य अधिकारी उनके सहायक के रूप में उपस्थित थे।
- पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार लोक सुनवाई दिनांक '7.09.2015 के संबंध में आम सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र 'पत्रिका', "नई दुनिया" तथा "हिन्दुस्तान टाइम्स" में दिनांक 18.08.2015 को कराया गया था। प्रस्तावित परिक्रोजना के संबंध में पर्यावरण प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट, कार्यपालक सार (हिन्दी एवं अंग्रेजी) इस कार्यालय के अतिरिक्त कार्यालय कलेक्टर शिचपुरी, कार्यालय जिला पंचायत शिवपुरी, कार्यालय जनपद पंचायत पिछोर, मुख्य वन संख्यक क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड-3 भोषाल, तथा मुख्यालय भवप्रत प्रवृत्रण नियंत्रण बोर्ड ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल में जनसामान्य के अवलोकन हेतु नियमानुसार एक माह पूर्व रखवा वी गई थी।
- 3. दिनांक 17.09.2015 को लोक सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जल दिकास अभिकरण की ओर से श्री ओ. पी सिंह कुशवाह, अधीक्षण अभियंता, नई दिल्ली, श्री एस.सी.अवरथी अधीक्षण अभियंता, ग्वालियर, श्री एस.सी.अवरथी अधीक्षण अभियंता, ग्वालियर, श्री एस.सी.अवरथी अधीक्षण अभियंता, गोपाल, श्री एस.आर.नाहोर, अधिक्षासी अभियंता, ग्वालियर, श्री ए.एस.नाचक, अधिशासी अभियंता झाँसी, श्री अफरोज 'जालन, टिण्टी खाचरेक्टर लखनऊ, श्री संजय कुमार सिंधल, सहायक अधिशासी अभियंता ग्वालियर, श्री सुरेश बाष्ट्र भिन्ना, सहायक अभियंता इसी प्रकार वाप्कौस से श्री एस.एम.दीक्षित, उप मुख्य अभियंता श्री पी.के.शर्मा, सहायक अभियंता इसी प्रकार वाप्कौस से श्री एस.एम.दीक्षित, उप मुख्य अभियंता श्री अमित शर्मा अभियंता श्री मुकेश कुमार शर्मा, एस.बी.एम. पिछोर, श्री जे.पी.गुप्ता, तहसीलदार, खनियाँछाना, श्री पी.डी.कोरी, कार्यपालन यत्री, ज.स.वि., खनियाँछाना तथा स्थानीय नागरिकणण उपस्थित हुए, जिनका उपस्थिति पत्रक संलग्न है। लोक सुनवाई में ६६ अमजनों ने दावे / आपल्ति / सुझाव दिये।
- 4. नाष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की ओर से श्री ओ.पी.सिंह बुशवाह, अधिक्षण अनियंता, नई दिल्ली हारा श्री जेंड यू.शेख. अपर कलेंक्टर, शिवपुरी श्री एस.आर.माहोर. अधिशासी अभियंता हारा श्री पी. सी.उचारिया, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रवृषण नियंत्रण बोर्ड, श्री एस.के स्थिल, सहायक अधिशासी अभियंता हारा श्री आर.के रोहिलाश कार्यपालन यंत्री, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा श्री जे.के राजेरिया, कनिष्ठ वैज्ञानिक प्रदूषण द्वारा श्री मुक्रेश कुमार शर्मा, एस.डी.एन. पिछोर का खागत किया गया। इसी तारतम्य में आयोजक म.प. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के श्री के.के.डहेरिया, स्टेनो ग्रेड-1 हार मंथ का संचालन करते हुए उपस्थित नागरिकों का खागत किया गया तथा प्रस्तावित परिवोजना का रक्षिपत परिचय विया गया। तत्व्यश्चात् बोर्ड के श्री पी.सी.उचारिया, क्षेत्रीय अधिकारी हारा भारत सरकार पर्योदरण एवं वन मंत्रालय, की अधिसूचना दिनांक 14,09,2006 के अनुसार उपस्थित जनसामान्य को लोक सुनवाई के उद्देश्यों से अवगत कराया गया।

श्री जेंड यू शेख, अपर जिला कलेक्टर, शिवपुरी द्वारा उपस्थित नागरिकों को प्रस्तावित परियोजना से आरूपास के क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक तथा शेजगार विकास संबंधी जानकारी का परिचय देकर लोक सुनवाई की कार्यवार्त प्रारम्भ की गई।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फंस-2, के अंतर्गत प्रस्तावित लोअर उर बांध ग्रान दिवादनी, जिला-शियपुरी/अशोकनगर परियोजना से संबंधित विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के श्री ओंपी सिंह कुशवाह अशीक्षण अभियंता, नई दिल्ली, वाकोस के श्री एस:एग:दीक्षित, उप मुख्य अभियंता हारा दी गई, जो निम्नानुसार है :--

- प्रस्तावित बांध स्थल म.प्र. के शिवपुरी और अशोकनगर जिले की सीमा पर राहसील-खनियाँधाना में ग्राम-विवाबनी के पास जर नदी स्थित है। इस परियोजना का मुख्य उददेश्य शिवपुरी/दिसया जिलों के पानी की कमी वाले क्षेत्रों को सिंचाई तथा घरेलू जल आपूर्ति प्रदान करना है।
- मस्ताविट परिगोजना में कुल 2218 मीटर लम्बा व 45 मीटर ऊंचा संयोजित बांच बनाया जाएगा। नदी के बांये किनारे से 91.26 कि.मी. लम्बी मुख्य महर प्रस्तावित है। लोअर उर बांघ का एफ.अर. एल 380 मीटर रखा गया है। एक.आर.एल. पर जलप्लावन क्षेत्र 2723.70 हैक्टेयर है। परियोजना से शिवपुरी / दितया जिलों में 329.67 एम.सी.एम का उपयोग करते हुए 150 प्रतिशत सिंचाई क्षमता की अधिकता सिंत 67,570 हैक्टेयर की वार्षिक सिंचाई प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त नहर के आसपास में पढ़ने वाले गावों और शहरों में नीने की पानी की 6 एम.सी.एम पानी की आपूर्ति की जाएगी जिससे लगभग 1.65 लाख लोग लाभन्तित होंगे।
- प्रस्तावित परियोजना हेतु कुल 3730 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। जल प्लावन क्षेत्र और नहर नेटवर्क के अंतर्गत आने बासी कुल गूमि क्रमश: 2723.70 और 1006 हैक्टेयर है। विरयोजना के लिए लगभग 1038.243 हैक्टेयर वन भूमि को अधिग्रहित किया जाएगा।
- पूरि अधिग्रहण, पुनर्ज्व्यार च पुनर्वास अधिनियम 2013 में अधिक मुआवजा व पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधान को त्यान मैं रखा जाएगा सथा परियोजना प्रभावित परिवासे हेतु पुनर्ज्व्यार योजना की तैयारी हेतु श्रेष्ठ विकल्पों की सिकारिश की गई है।
- मंशी परियोजना प्रभावितों को जो चिस्थापित होंगे छन्हें 150000.00 प्रति परिवार की दर से आवास निर्माण सहायता दी जाएगी।
- परा गृह के निर्माण हेतु 25000 रू न्यूनतम या सरकार द्वारा विभिद्दिष्ट अधिनूबना के अनुसार उपयुक्त एक बार की वित्तीय राहायता वी जाएगी।
- प्रत्येक विस्थापित परिवार को परिवार शिएट करने, भवन सामग्री, सामान तथा पशुओं हेतु 50000,00
 की एक बार वित्तीय सहायता दी आएगी।
- भूमि खोने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार को कार्य की तारीख से एक वर्ष की अवधि हेतु 3000.00 क्र प्रतिमाह के समतुल्य मासिक जीविका मस्ता दिया जाएगा।
- अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित अनु.जा. व अनु.जन.जाति को जीविका मत्ते के अतिरिक्त 50000.00 क के समतुल्य राशि प्राप्त होगी।
- प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक बार 50000.00 स्त का पुनर्बास भला दिया जाएगा।
- पुनर्वास व पुनर्जध्वार योजना के कार्यान्वयन हेतु 23891.522 लाख का कुल बजट रखा गया है।

- प्रस्तावित लं अर उर सिंधाई बांध (डैम) परियोजना के प्रस्तुतीकरण के प्रश्नात लोक सुनवाई में उपिक्षित नागरिकगणों प्रामवाितयों से परियोजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने, लुझाव, आपित, टीका टिप्पणी लिखित अथवा मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया तथा लिखित प्रश्नों को आमंत्रित करने हेतु 'सुझाव/विचार/आपित/टीका—टिप्पणी प्रपत्र' नागरिकों में वितरित कराया गया जिसके फलस्वरूप 65 सुझाव/आपित/विचार प्राप्त हुए जो नूलतः सलग्न है। नागरिकों द्वारा मौखिक रूप से भी प्रमुख रूप से जमीन अधिग्रहण स्वंधित जानकारी पूछी गई जिन पर श्री जेड.यू.शेख, अपर कलेक्टर, शिवपुरी तथा श्री ओ.पी.सिंह कुरावाह, अशीक्षण अभिगंता, एन डब्स्यू.डी.ए., नई दिल्ली द्वारा गागरिकों की जमीन अधिग्रहण संबंधी समस्या/जिज्ञासा का समाधान किया गया। प्राप्त लिखित आवेदनों के संबंध में अभिकथन (स्टेटमेंट) तथा आवेदक राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की केन—बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस—2, के अंतर्गत प्रस्तावित लोजर टर बांघ परियोजना ग्राम दिदावनी, जिला—शिवपुरी/अशोकनगर के अधिकारियों हार दिए गए उत्तरों को हिन्दी एवं अग्रेजी भाषा में लिपेबध्द किया गया। चवत स्टेटमेन्ट (हिन्दी एवं अग्रेजी) मूलतः संलग्न है। तदानुसार उपस्थित लोगों के हारा प्रस्तुत सुझाव/आपित/विचार/टीका—टिप्पणी के मुख्य बिन्द निम्नानुसार है:—
 - परियोजना में आरापास के ग्रामवासियां की कृषि भूमि तथा मकानों का उचित मुंआवजा देने की मांग प्रमुख रूप से की गई है ।
 - परियोजना प्रारम्भ होने पर स्थानीय लोगों को रोजनार में प्राथिकता देने की मांग मुख्य रूप से की गई।
 - केन-बेतवा लिंक परियोजना, फेज-।। के अन्तर्गत लोअर उर बांध परियोजना की लोक सुनवाई की नम्पूर्ण कार्यवाही की वीडिगोपाफी एवं फोटोग्राफी कराई गई जिसके छापादित्र एवं वीडियाँ सीडी मूलतः संलग्न है। सभी बिन्दुओं पर लोक सुनवाई के सारांश से नागरिकों को अवगत कराया गया है। परियोजना से गांववालों की अधिग्रहित भूमि, कुंओं, मकानों के मुआवजें को और अधिक दिये जाने हेतु प्रभावित लोगो द्वारा मांग की गई है तथा गांव वालों द्वारा स्थानीय नागरिकों को इस परियोजना में रोजगार की मांग की गई है। परियोजना से गांववाली द्वारा भविष्य में लाग एवं विकास की आशा व्यक्त की गई है। तवोपरांत लोक सुनवाई के संबंध में जनसामान्य की आशंकाओं का समाधान होने पर अपर कलेक्टर श्री जैड यू शेख ने कहा कि प्रमावितों की जमीन का मुआवजा परियोजना प्रारंभ के समय निर्धारित दर अनुसार दिये जाने की बात कही गई। तत्पश्चात श्री धी सी उचारिया क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थानीय नागरिकों को धन्यवाद दंते हुए प्राप्त सभी मीखिक एवं लिखित सुझावो, टीका टिप्पणियों, आपत्तियों को मूलत अग्रेबित करने बाबत आश्वस्त किया गया। लोक सुनवाई की कार्यवाही से प्राप्त निष्कर्य के मुख्य विन्वुओं को नागरिकों के समक्ष पढ़कर सुनाया गया तत्पश्चात अपर कलेक्टर द्वारा एपस्थित नागरिकों से अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही पूर्ण होने की घोषणा की गई । समस्त गणमान्य नागरिकों को लोक सुनवाई में उपस्थित होने एवं अपने त्रिचारों को निर्मीक रूप से रखने के लिए धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया गया तथा लोक सुनवाई की कार्यवाडी समाप्त की गई। म.प्र.प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के श्री आर.फे.रोहिताश, कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रशासन, लोअर उर सिंचाई (बांध) परियोजना के अधिकारियों सहित जनसामान्य का आभार व्यक्त किया गया।

(श्रेक्सी उचारिया) धेत्रीय अधिक री,

म प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विजयपुर, गुना

(जेड.यू.शेख) अन्थ कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी शिटपुरी

को कार्रिका (ओ.पी.सिंह कुशवाह)

 राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फैस-2, के अंतर्गत प्रस्तावित लोअर उर बांध परियोजना ग्राम दिदावनी, जिला-शिवपुरी/अशोकनगर तेलु शास उन्नयन प्राविद्यालय कंचनपुरा, ग्राम पंचायत-दिदावनी, तहसील खिनयाधाना, जिला-शिवपुरी (म.प्र.)" में दिनांक 17.09.2015 को सम्पन्न लोक स्नवाई के दौरान जनता द्वारा उठायें मुद्दों का विवरण एवं निराकरण।

	का नाम आपत्ति	एवं सुझाव निराकरण। .
की तथाराम व श्री रामवरण ग्राम विदावर जिला शिवपु	लोधी किया जाये। त	र्गण कार्य जल्दी संबंधित प्राधिकारियों / विभागों से सभी प्रकार की वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने के बाद बाध का निर्माण शीध आरम्म किय जाएगा।
बा संयासम बी तामबरण बारू विदाय जिल्ला शिवपु	लोधी किया जाये। ग	र्मण कार्य जल्दी संबंधित प्राधिकारियों / विमागे रो सभी प्रकार की वैधानिय मंजूरी प्राप्त करने के बाद बांध का निर्माण शीघ आरम्म किय जाएगा।
श्री रामसिंह श्री सूरत सिं ग्राम-राजापु जिला-शिवपु	ह गुजर निमौदा, ऐराव ह षंपुरा, राजा	ड़ा, कालीपहाडी, निर्माण स्तर से पहले उल्लेखित ली, हनुमानखेड़ा, गांवों में जल की आपूर्ति हेत् पुर, गूडर, देवखों नहर के संरेखण की संमावन ाना में नहर आना की जांच की जाएगी।
श्री जागरासिह पूज श्री रामर ग्राम राजापुर स्वीत्रग्राधामा जिला श्रिवप्	तस लोधी निभौदा, ऐराव तह हर्षपुरा, राजा तथा खनियाध	इा, कालीपहाडी, निर्माण स्तर से पहले उल्लेखिर ली, हनुमानखेडा, गांवों में जल की आपूर्ति हेर् पुर, गूडर, देवखों नहर के संरेखण की संभावन ाना में नहर आना की जांच की जाएगी।
बी प्रकाश प्र सिरनाम प्रा तह स्थानिया जिला शिनप्	भ राजापुर खनियाधाना व भाना असएव क्षेत्र	ली, गूडर, देवखो, परियोजना प्रभावित परिवार भादि सूखा क्षेत्र है को पात्रता व सरकारी नीति व के लोगों को अनुसार रोजगार दिया जाएगा। लब्ध कराने का परियोजना प्रभावित परियार को रोजगार अपलब्ध करवा- हेतु प्रावधान पर्यावरणीय प्रबंधन योजना में जीविका योजना म
भी जयहेव वि जगराम सिह गाम राजापुर स्मानगामाना जिला शिवपु	लांधी कालीपहाडी, तह हनुमानखंडी, देवस्थी मोर	आने सुलारखेंडा, निमार्ण स्तर से पहले उल्लेखिव निबौदा, ऐरावली, गांवों में जल की आपूर्ति हेव गूडर राजापुर, नहर के सरेखण की सभावन दा, खनियाधाना की जांच की जाएगी। री में नहर आना
श्री बल्लू पुत्र आशाराम लो राजापुर तहः ध्वनियाद्याना जिला शिवप	धी गाम कालीपहाडी, हनुमानखेडी, देवस्त्रो मोर	आगे सुलारखंडा, निमार्ण स्तर से पहले उल्लेखित निनौदा, ऐरावली, गांवों में जल की आपूर्ति हेत् गूडर राजापुर, नहर के संरेखण की संभावन टा, खनियाधाना की जांच की जाएगी। री में नहर आना

8	श्री अरविंद पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ग्राम-गूडर तह. खनियाधाना जिला-शिवपुरी	मेरा सुझाव है कि सिंचाई क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सिंचाई में करीब 60-60 गांव सिंचाई से विचत हो रहे हैं। अतः यहाँ के निवासियों को ध्यान में रखते हुए जो पूर्व में नहर सर्वे बुलार, ऐरावली निबोदा गृहर से लेकर जो सर्वे की गई धी। उसी को यथावत रखे। ताकि 50 गांव के लोग इस	नहर के संरेखण की सभावना की जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग के संबंधित अधिकारियों से भी
9	श्री भावसिंह लोघी पुत्र श्री अनस्त्रसिंह लोघी	आसपास के लोगों को रोजगार विया जाये। बूब्धेत्र के लोगों को अच्छा मुआवजा दिया जाए। वन एवं जीव जंतुओं को नुकसान न हो।	परिवासी हेलु प्रावधान भूमि
10	श्री साहबसिंह पुत्र श्री श्रीपत परिहार ग्राम भरसूला जिला-शिवपुरी	यदि किसी परिवार में कोई ध्यक्ति शिक्षित है तो उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाए। जमीन के बदले जमीन दी जाएगी और यदि ऐसा नहीं हो सका तो मकान बनाने के लिए कम से कम 50 लाख और पशुओं के लिए 7000 रू और जमीन का मुझावजा कम से कम 70 लाख एकड के हिसाब से होना चाहिये। दोत्र के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता वी जाए।	परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा जिसमें केत्रीय लोगों को भी
11	श्री वीरसिंह पुत्र श्री रूपसिंह यादव ग्राग मोतीपुर सोबा 9575764872	सुलार, किनरखेड़ा, निबोदा, ऐशवनी गूडर खनियाधाना,, देवरी, पुश, बनोटा इन गांबों से नहर निकले जिससे गांव शिधित हो सके।	मांबों में जल की आपूर्ति हेतु नहर के संरेखण की संभावना
12	श्री रामस्वरूप पाण्डेय पुत्र श्री रामदीन ग्राम भरसूला जिला-शिवपुरी	भरसूला के बच्चों को कोई काम या नौकरी दी जाये।	भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उधिक मुआवजा तथ्म पारंदर्शिता के अधिकार के प्राविधानानुसार काम/नोकरी दी जाऐगी।

îsê

Ŷ

7

¢

ý.

ų.

į

Ó

¢

5

6

0

ç

ţ.

è

4

Ċ

15	श्री गरापाल पुत्र श्री वस्त्रण सिंह परमार ग्राम दिदावनी जिला शिवपुरी प्रमुखासकाडम	बांध का निर्माण कराया जायें।	संबंधित विभागों / राज्य तथा केन्द्र सरकार से सभी प्रकार की वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने के बाद बांध का निर्माण शीध आरम्भ किया जाएगा।
14	श्रीमति गोमती बाई पूर्व संस्थान गाम मूडर हासील खनियाधाना जिला-शिवपुरी	क्षेम से सुलार, निबोदा, गूजर नयागाँव, देवखो, मोता, खनियाधाना मायापुर होता हुआ नहर दिया जाये।	निर्माण स्तर से पहले उल्लेखित गांवों में जल की आपूर्ति हेतू नहर के संरेखण की संभावना की जांच की जाएगी।
15	बी मोहनसिंह पुत्र श्री सवराजा यादव ग्राम जनास जिला शिवपुरी, माध्यस्य १३७४४	नागहीरी डेम से जो परिवार भूमिहीन हो रहे हैं उन्हें अपनी संपूर्ण जमीन का कम से कम 50 प्रतिशत जमीन उपलब्ध कराई जाये और शेष का उचित मुआवजा दिया जाए। डेम के निर्माण कार्य में दूब प्रभावितों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार में प्राथमिकता दिया जाये। मुआवजे का मुगतान बाजार दर अनुसार करें।	अधिनियम के प्रावधानानुसार दिया जाएगा।
10	भी भटपाल सिंह लोधी पुत्र श्री राजासम लोधी ग्राम सिनावलकलाँ स्वतिकायाना जिला रिमानुरी	हमारे यहाँ लगातार 10 वर्षों से सूखा पड़ता आ रहा है। यहाँ कोई नदी, तालाब, झील की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे गाव की स्थिति बहुत खराब है। अत हमारे लिए सिंचाई की व्यवस्था की जायें।	क्षेत्रों को प्रधातरित किया जाएगा और ऐसी संमावनाओं की खोज की जाएगी ।
301	था जितन्द सिंह लोधी पुत्र श्री शिवदयाल लोधी गाम दिदावनी जिला शिवपुरी	गाम दिदावनी के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने का कष्ट करे। बाहर के लोगों को नौकरी नहीं दी जाये।	को पात्रता व सरकारी नीति के
18	श्री राजपाल सिंह यादव, पुत्र श्री जण्डेल सिंह यादव, 9479344906	ग्राम नारौनी निवासियों को उदित मुआवजा दिया जाये मुआवजा 10 लाख रू बीघा एव 5 लाख रू घर का मुआवजा दिया जाये। रहने की उदित व्यवस्था की जाये। पेड पौघो कुओं का मुआवजा अलग से दिया जाये। नौकरी दी जाये।	पुनेस्रद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। उक्त अधिनियम में उल्लेखित रहने हेतु मकान, पंड पौधों,
19	थे। तिलक राम पुत्र श्री धारूसिंह यादव ग्राम नारोनी जिला शिवपुरी, ४१२०३६४७१४	10 लाख बीघा का मुआवज दिया जाये। 10 फुट के कमरे का मुआवजा 10000 रू मिलन चाहिये। प्रत्येक परिवार के लिए नौकरी दी जाये।	पुनरूद्वार अधिनियम 2013 में । उचित मुआवजा तथा

20	श्री अरपिंद सिंह यापप मुत्र श्री लालाराम यादव ग्राम दिदावनी जिला शिवपुरी 7746981626	जमीन, मकान, पशु अन्य चीजों का उच्च मूल्य पर मुआवजा दिया जाये।	भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में लिखत मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।
21	श्री सुलतान सिंह यादव पुत्र श्री कल्याण सिंह यादव ग्राम दिदावनी जिला शिवपुरी	आपसी भाई-भाई का वंटवास किया जाये।	जिला प्रशासन स्तर पर उपयुक्त उपाए किए जाएंगे ।
22	श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री प्यारेशजा चौहान ग्राम देवखो जिला शिवपुरी, 9926264791	पूर्व सर्वे अनुसार नहर का निर्माण किया जाये। सुलारकलॉ, ऐरावली, देवस्त्री, गुडर आदि से सर्वे हुआ था।	निमाण स्तर से पहले उल्लेखित गांबों भें जल की आपूर्ति हेतू नटर के संरेखण की संभावना की जांब की जाएगी।
23	श्री आनेल शर्मा गुत्र श्री रामनारायण शर्मा गाम नारौनी जिला शिवपुरी, 8435809750	इस परियोजना की नहर को बुधना डेम परियोजना में डाली जाये एवं बुधना डेम से नहरों का निर्माण कराया जावे, जिससे बुधना नहर के कमांड बौत्र अधिक हो एवं बुधना डेम में पानी की कमी है जो समस्या का निशकरण डोगा।	मामले पर विचार विगर्श किया जाएगा और तदनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।
24	श्री निष्णु सेन पुत्र श्री पप्पूलाल सेन ग्राम दिदावनी जिला शिवपुरी	गाम दिदाननी के लोगों की रोजगार उपलब्ध कराया जाये। जो लोग गाँव से विस्थापित हो रहे हैं ऐसे परिवार के ग्रेज्यूट बच्चों कों बांध परियोजना से जोड़ा जाये।	को पांत्रता व सरकारी नीति के
25	श्री जयपाल, मानसिंह, लालाराम, सुरेश, नीलमसिंह, विजयसिंह, ब्रम्हासजा ग्राम नारौनी जिला शिवपुरी	ग्राम नारौनी के निवासियों की जमीन तथा मकान उर बांध परियोजना के दायरे/सृबक्षेत्र में आ रहे हैं। निवासियों की मांग है कि जमीन के बदले जमीन एवं रहने के लिए उचित जगह दिलायी आये। परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी दी जाये। 10 लाख बीघा के हिसाब से मुआवजा मिले। पुनर्वास के लिए शहर के पास जमीन मिलनी चाहिये।	पुनक्तद्वार अधिनियम 2013 में उचित मुझावजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार मुआवजा दिया जाएमा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखमाल हेतु संवर्धन का पावधान
26	श्री जयपाल पुत्र श्री पीताम्बर जातव ग्राम नारौनी जिला शिवपुरी, 7746981653	जिवेदन है कि हमारी जमीन हमारे पिता के बहन के नाम पर है जिनका स्वर्गवास हो चुका है उसके बाद जमीन के कागज उनके लड़को के द्वारा अपने नाम पर करा लिये गये। उक्त जमीन हाथा हमारे द्वारा खरीदी गई जमीन् जिसका नामांतरण नहीं हो पाया है, का मुआवजा हमें प्रदान करने का कष्ट करें।	उचित उपाय किए जाएंगे और 'मूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरूद्वार अधिनियम 2013 मे उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार मुआवजा दिया जाएण।

ो मलखान सिंह पुत्र ो हरवास अहिरवार, 1म नयागाँव जला–शिवपुरी, 481924373	निर्माण होकर नहर ग्राम गूडर	निमार्ण स्तर से पहले उल्लेखित गांवों में जल की आपूर्ति हेतु नहर के संरेखण की संभावना की जांच की जाएगी।
वी मित्रसेन अहिरवार पुत्र श्री हरदास अहिरवार, ग्राम नयागाँव जिला-शिवपुरी, 9989038154	मेरा सुझाव है कि बांध का निर्माण होकर नहर ग्राम गूडर से होकर जाये जिससे खनियाधाना क्षेत्र के लोगों की फायदा मिल सके।	निमार्ण स्तर से पहले उल्लेखित गांवों में जल की आपूर्ति हेतु नहर के संरेखण की संभावना की जांच की जाएगी ।
श्री रामदगाल पुत्र श्री महीपसिंह लोघी ग्राम मरसूला जिला—शिवपुरी 9755414493	डूब क्षेत्र को परिवारों को जमीन के बदले जमीन तथा योग्यता अनुसार रोजगार दिया जाये।	भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनकद्वार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। परियोजना से प्रभावित परिवारों को नियमानुसार एवं योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
श्री सुदामा प्रसाद पुत्र श्री रामकिशन शर्मा तथ ग्राम दिदावनी जिला शिवपुरी, 9165392719	ा वह हमारे मकानों से उपर हैं हम निवली बस्ती में रहते हैं	। सबसे अच्छा सरखण सुनारवत । करने के लिए उदित उपाए
श्री भानसिंह, राजवीर, कल्याण, ररमन, तिलकराम, राजपाल समस्त ग्रामवासी ग्राम नारौनी जिला-शिवपुरी	मुआवजा राशि 10लाख बीध तथा मकान का 5 लाख रू हिसाब से दिया जाये। प्रत्ये परिवार के एक सदस्य व नौकरी दी जाये। हमारे तथ पशुओं के रहने के लिए स्था जियत स्थान की व्यवस्था जाये। कुआ तथा पेड पी	या पुनरुद्धार आधानयम 2013 र के उचित मुआवजा तथ क पारदर्शिता के अधिकार व को अनुसार मुआवजा एवं धा परियोजना से प्रभावित परिवार यी के एक सदस्य को पात्रता व की आधार पर रोजगार धो नियमानुसार पुनर्वास व या व्यवस्था की जाएगी ।
श्री अशोक सिंह पुत्र गोविंद ग्राम राजापुर जिला शिवपुरी 8959872790	राजापुर के नीचे से जा	प्रही सरेखण की समावना का जा भार की जाएगी। नहर का पुरा 10 सर्वेक्षण, यदि कोई है, उस
	हरवास अहिरवार, 14 नगागाँव तेला-शिवपुरी, 481924373 मै मित्रसेन अहिरवार पूत्र श्री हरदास प्रहिरवार, ग्राम नगागाँव जेला-शिवपुरी, 9989038154 श्री समदगल पुत्र श्री महीपसिंह लोधी ग्राम सरसूता जिला-शिवपुरी 9755414493 श्री समकिशन शर्मा तथ्य ग्राम दिदावनी जिला शिवपुरी, 9165392719 श्री भागसिंह, राजवीर, कल्याण, सरमन, लिलकराम, राजपाल समस्त ग्रामवासी ग्राम नारोनी जिला-शिवपुरी श्री अश्रोक सिंह पुत्र गोवेंद ग्राम राजापुर जिला शिवपुरी	तिस्वास अहिरवार प्राम न्यागाँव किला—शिवपुरी विश्व के लोगों को फायदा मिल सके। प्री मित्रसेन अहिरवार प्राम नयागाँव जिला—शिवपुरी विश्व के लोगों को फायदा मिल सके। प्री समदयाल पुत्र श्री महीपारिह लोधी ग्राम मरसूला जिला—शिवपुरी विश्व के बदले जमीन तथा प्राम नरसूला जिला—शिवपुरी विश्व के बदले जमीन तथा प्राम स्वाच प्राम तथा अनुसार रोजगार दिया जाये। प्री साविक्शन शर्मा तथा प्रत्म के लोगों को फायदा मिल सके। प्री सुदाभा प्रसाद पुत्र श्री महीपारिह लोधी ग्राम मरसूला जिला—शिवपुरी विश्व के बदले जमीन तथा प्राम रहे के लोगों को रोजगा दिया जाये। प्री साविक्शन शर्मा तथा जन्मार रोजगार दिया जाये। श्री भानसिंह, राजवीर कल्याण, ररमन, तिलकराम, राजपाल समस्त ग्रामवासी ग्राम नारोनी जिला—शिवपुरी विश्व के रहने के लिए रथा जिला हिसा से दिया जाये। प्रत्ये परिवार के एक सदस्या जिला हिसा से दिया जाये। प्रत्ये परिवार के एक सदस्या जिला हिसा से दिया जाये। हमारे तथा प्राप्ते के सहस्या जिला जिला हिसा से दिया जाये। हमारे तथा प्राप्ते के सहस्या जिला जिला हिसा से विश्व ग्री के रहने के लिए रथा जिला व्यवस्था जाये। कुआ तथा पेड पी का गुआवजा अलग से दि जाये। हमारे तथा प्राप्ते के नीचे से जा राजपुर उपर से जाये ती

44	श्री कप्तान सिंह यादव एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम नारौनी जिला—शिवपुरी	हमारी मांग है कि जमीन के बदले जगीन दो जाये। वर्तमान दर लगमग 6-7 लाख बीघा बिक रही है। लगमग 10 लाख बीघा की दर से मुआवजा दिया जाये। मकान के बदले मकान बनवाकर दिथे जाये। तालाब, कुआ, पेड़ पौधो का गुआवजा दिया जाये। कम से कम 50 हजार रू सामान का पुनर्वास मत्ता दिया जाये। मकान के आगे की जगह का कम से कम 500 रू /वर्गफुट से मुआवजा दिया जाये। स्थानीय योग्य युवकों तथा किसानो को रोजगार में प्राथमिकता दी जाये। राजघाट बांघ जैसे परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाये। स्कूल की व्यवस्था की जाये।	'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में विवेद मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा । प्रभावित जमीन व पुनर्वास हेतु मुआवजा दिया जाएगा। परियोजना प्रभावित गरिवारों को पात्रता व रारकारों नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखमाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है ।
45	श्री जगगान सिंह लोची पुत्र श्री हरनाम सिंह गाम राजापुर, तहसील खनियाधाना जिला-शिवपुरी	नहर निर्माण होना चाहिये।	हम टिप्पणियों की प्रशंसा करते हैं ।
46	श्री अवधेश सेन पुत्र श्री रामसेवक सेन ग्राम भरसूला, जिला शिवपुरी, 9630762275	मेरा सुझाव है कि स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाये।	परियोजना प्रभावित परिवासी को पालता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गरियोजना प्रभावित परिवासों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है।
47	श्री कृपाल सिंह पुत्र श्रीपत सिंह राज्यूत गाम-भरसूला, जिला शिवपुरी, 9769702750	मेरा सुझाव है कि हम व हमारे आसपास के सभी नागरिकों को किसी न किसी प्रकार का लाम मिलना चाहिये।	परियोजना प्रमावित और अध्ययन क्षेत्र के गांवों को स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से लाम दिया जाएगा ।
48	श्री दिमानसिंह राजपूत पुत्र श्री हरचरण राजपूत गाम-भरसूला, जिला शिवपुरी, 8435823245	मेरा विचार है कि हमारे लिए व हमारे सभी किसान माईयों को रोजगार प्राप्त होना चाहिये।	परियोजना प्रमावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नोति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है।

49	श्री कोमलसिंह लोघी पुत्र श्री बालचंद लोघी ग्राम–भरसूला, तहसील–खनियह्याना, जिला–शिवपुरी 9/55047669	विस्थापित परिवार के एक	परियोजना प्रमावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रमावित परिवारों की देखमाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है।
50	वा सुरेशचंद जैन, पुत्र वा वतनचंद जैन आजाद मोहल्ला खनियाधाना, जिला–शिवपुरी, 9425714453	जर नदी परियोजना के अंतर्गत निर्मित नहर ग्राम सुलारकलों के पास से निकालकर कस्बा खनियाधाना होकर निकाली जाये जिससे पेयजल समस्या का निदान हो सके।	निमार्ण स्तर से पहले उत्लेखित गांवों में जल की आपूर्ति हेतु नहर के संरेखण की संमावना की जांच की जाएगी
51	श्री राजेन्द्र सिंह बुंदेला पुत्र श्री धीरजसिंह बुदेला, ग्राम दिदावनी, जिला—शिवपुरी	मैं बेरोजगार हूँ। मेरे पास जमीन कम है। मुझे कोई भी नौकरी दी जाये तो अति दया होगी।	परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नौति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु सर्व्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है।
57	थी अर्जुन आदिवासी पुत्र श्री जनका आदिवासी, ग्राम कालीपहाड़ी चंदेरी थाना, बामौरकलॉ, तह. -खनियाधाना, जिला-शिवपुरी	निवेदन है कि लोअर उर बांध परियोजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराने की कृपा करें।	परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा।
:50	श्री गोहनलाल लोघी प्त्र श्री रामचरण लोघी. गाम-दिदावनी, पोस्ट-भरसूला, जिला-शिवपुरी	इस बांघ से हम लोगों को बहुत फायदा है और हम गरीब लोगों को नौकरी दिलाई जाये तो श्रीमान और दया होगी।	
54	श्री सरमन जाटव पुत्र भी हरसिंह जाटव, ग्राम नारौनी जिला–शिवपुरी 7772881901	निवेदन है कि बांध परियोजना के तहत नौकरी दी जागे।	परियोजना के प्रभावित परिवार को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा।
55	श्री ब्रम्हाराजा यादव, देवीसिंह, राजवीर यादव एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम—लखारी, जिला—शिवपुरी	समस्त ग्रामवासियों का विचार है कि लोअर उर बांध परियोजना से ग्राम पंचायत हिंडोंशखंडी, अंतर्गत सिंचाई की व्यवस्था होगी तथा इस परियोजना से संगी ग्रामवासी-लखारी, हिंडोंशखंडी पूर्ण रूप से संतुष्ट है।	आपूर्ति हेतु नहर के संरेखण की सभावना की जांच की जाएगी

56	श्री नथनसिंह, यदव पुत्र श्री धारुसिंह जी शिवपुरी, 9407514658	निवेदन हैं कि हमारी जमीन कें खाते नम्बर के रिकॉर्ड में से नाम चार वर्ष नहीं आ रहा है। रिकॉर्ड में नाम सुधारने हेतु पटवारी हारा मैंसों की मांग की जा रही है।	संबंधित अधिकारियों से निसंकरण हेत् अनुरोध करें।
57	श्री जगत्तिसंह, काशीराम, धारासिंह, रामसेवक, रमेश कुमार समस्त ग्रामवासी ग्राम–हर्षपुरा तहसील–खनियाधाना, जिला शिवपुरी	निवेदन हैं कि नहर, ग्राम-सुलारखेडा, ऐरावनी, निबोदा हर्धपुरा, राजागुर, हनुमानखेडा, गूडर, व नयागाँव, देवखों, खनियाधाना आदि से होते हुए जाना चाहिये।	आपूर्ति हेतु नहर हो सरेखण की संभावना की जाच की जाएगी।
510	श्री एकाराचंद यादव पुत्र श्री रूप्या-सिंह यादव गम सिलपुरा,जिल शिवपुरी, 9755499281	निवेदन है कि खनियाधाना क्षेत्र का ये आखिरी बांध है यदि यह गूडर रे होते हुए नहीं जाती है तो इस क्षेत्र के लिए कभी भी पानी नहीं मिलेगा और भविष्य में हमेशा इस क्षेत्र के लिए कभी नहर नहीं मिलेगी तथा क्षेत्र का विकास नहीं हो सकेगा। इस लिए प्रहलाद सिंह द्वारा जो प्रस्ताद एखा गया, उसका मैं समर्थन करता हूँ।	निभाणे स्तर से पहले उल्लेखित गांवों में जल की आपूर्ति हेतू नहर के संरेखण की अधावना की जाय की जाएगी।
59	शी महेन्द्र सिंह यादव. पुत्र भी दिवान सिंह भारत शिवपुरी	ह जिससे हमारे लिये कई परेशानी अपूर्णी। मेरे द्वारा क्य की गई जमीन पर गकान	पुनवास व पुनरुद्धार अधिनियम 2010 में उचित मुआवाता तथा वारदणिता के अधिकार के अनुसार मुआदात
GO	श्री सुरेश जाटव पुत्र श्री नाश्रूराम जाटव ग्राम—नारौनी जिला—शिवपुरी, 7354849633	ग्राम-नारौनी कें डूब क्षेत्र कें रहने वालें हैं। हम बेरोजगार हैं। कृषमा रोजगार दिलाने का कष्ट करें।	परिक्रीजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार विधा जाएगा। इसके अतिरिक्त परियोजना प्रभावित परिवारों की देखमाल हेतु संबर्धन का पावधान जीविका योजना में दिया गया है।
6.5	श्री रामवीर सिंह यादव पुत्र श्री परमाल सिंह यादव, ग्राम—नार्शनी, जिला—शिवपुरी	बांघ परियोजना के अंतर्गत रोजनार दिलाने का कष्ट करे।	परियोजना प्रभावित परिवार! को पात्रता व सरकारी नीति का अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्षन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है।

62	श्री दयाराम लोघी पुत्र श्री रामचरण लोघी ग्राम-दिदावनी, जिला-शिवपुरी, 9669663142	अच्छा मुआवजा दिया जाये तथा रोजगार उपलब्ध कराया जाये।	'मूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित गुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार मुआवजा व रोजगार दिया जाएगा।
63	बी शिशुपाल सिंह लोधी पुत्र श्री रामदयाल सिंह लोधी शिवपुरी, 8120220026	निवेदन हैं कि बांध का कार्य जल्दी से जल्दी प्रारम्भ किया जाये तथा किसानों तक जल्दी पानी पहुंचाने की कृपा करे।	हम आपकी टिप्पणी का स्वागत करते हैं।
64	श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह बुदेला नगर पालिका अध्यक्ष खनियाधाना जिला शिवपुरी, 9993358260	नहर योजना सुलार से व्हाया गूडर होते हुए खनियाधाना से निकाले ताकि यहा जो गाँव घूट रहे हैं उन गाँवों को लाभ मिले और सभी किसानों को इससे फायदा मिले।	निमार्ण स्तर से पहले नहर के संरेखण की संभावना की जांच की जाएगी।
65	श्री राकेश लोधी सरंपव ग्राम दविया जगन, श्री चतुरसिंह तोमर खनियाधाना, राजासिंह, ग्रिया तोमर जनपद सदस्य खनियाधाना जिला—शिवपुरी	उर बांध परियोजना में नहर से ग्राम-सिनावलकलाँ, सिनावलखुर्द, देवरी, कुम्हर्रा, दवियाजगन, नगरेला, वीरपुर आदि को जोडा जाये ताकि सभी ग्राम पंचायतों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके।	आपूर्ति हेतु नहर के संरेखण की संभावना की जांच की जाएगी।

(पी.सी.चचारिया) सेत्रीय अधिकारी, गप्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विज्ञयपुर, मुना (जंड.यू.शेख) अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी शिवपुरी

आ पी सिंह कुशवाह)

Sur maning Engineer

Ving at Marie African

National Consultation Agency

201 Miles

201

STATEMENT OF THE ISSUES RAISED BY THE PUBLIC AND THE COMMENTS OF THE PROPONENT DURING PUBLIC HEARING DATED 17/09/2015 CONDUCTED FOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE OF LOWER ORR DAM AT VILLAGE - DIDAUNI DISTT. - SHIVPURI/ASHOKNAGAR (M.P.) UNDER KEN - BETWALINK PROJECT PHASE-II

PLACE OF PUBLIC HEARING GOVT, UNNAYAN PRIMARY SCHOOL KANCHANPURA, GRAM PANCHAYAT - DIDAUNI, TEHSIL - KHANIYADHANA, DISTT - SHIVPURI (M.P.)

S.No.	Name of Person	Issues Raised	Response
1,	Mr Dayaram Lodhi s/o Mr Ramcharan Lodhi Village- Didauni, Dist Shivpun	Please, Start the work of construction of Dam very soon.	Construction of the dam shall be start soon after getting all the statutory clearances from concerned authorities/Deptt.
2.	Mr. Siyaram Lodhi s/o Mr. Ramcharan Lodhi Village- Didauni Dist Shivpun	Please, Start the work of construction of Dam very soon	Construction of the dam shall be start soon after getting all the statutory clearances from concerned authorities/deptl.
3.	Mr. Ramsingh Gurjar s/o Mr. Surat singh Gurjar, Village- Rajapur, Dist Shivpun	Canal should be passes through Khularkhera, Kalipahari, Erawali, Hanumankhera, Nimoda, Harshpura, Rajapur, Gudar, Devkho and Khan yadhana	Possibility of the alignment of the canal shal be investigated for supply of water in mentioned villages before the construction stage.
4.	Mr. Jagat Singh sarpanch s/o Mr. Ramdas Lodhi Village- Rajapur Tah Khaniyadhana Dist Shivpuri	Please, Canal should be passes through Khularkhera, Kalipahari, Erawali, Nimoda, Hanumankhera, Harshpura, Rajapur, Gudar, Devkho and Khaniyadhana.	Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages before the construction stage.
5	Mr. Prakash s/o Mr. Simaam, Village- Rajapur Teh-Khaniyadhana, Dist Shivpuri	Nibouda, Erawali, Gudar, Devkho, Khaniyadhana etc. vilages are under draught prone area so please provide any job to villagers of these affected area.	Employment to project affected families shall be made as per the eighblity and government policy. The provision for providing jobs for the affected PAFs is given in Livelihood plan in Environmental management plan for the project.
6	Mr Jaydev Singh s/o Mr. Jashrath Singh Lodhi, Village- Rajapur Teh- Khaniyadhana Dist Shivpuri	Canal should be extended beyond Eraval to the villages Sularkheda, Kali Pahadi, Nibauda, Hanumanakhedi, Gudar Rojapur, Devko Motte, Khaniya Dhana and Sinaval Devri.	Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages before the construction stage.
7	Mr. Ballu s/o Mr. Aasha Ram Lodhi, Village-Rajapur Teh - Khaniyadhana, Dist - Shivpun	Canal should be extended beyond Eravali to the vilages Sularkheda, Kali Pahadi, Nibauda, Hanumanakhedi, Gudar Rajapur, Devko Motta, Khaniya Dhana and Sinaval Devri.	Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages before the construction stage.

S.No.	Name of Person	Issues Raised	Response
8)	Mr Arvind s/o Mr. LaxshmiNarayan Sharma	About 50-60 villages are not covered in the command area. The earlier alignment of canal covering villages. Bular, Eravali, Nibodha, Gudar may be kept intact. This will enable about 50 villages to be benefited.	Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages before the construction stage. In this regard discussion will also be held with the concerned officers of WRD MP to examine the possibility
9	Mr. BhavSingh Lodhi s/o Mr. AnratSingh Lodhi	Affected persons from the submergence area may be given compensation. Employment should be given to the persons in the near by area. Efforts should be made to secure the wildlife and forest.	The provision for the affected PAFs shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" Further benefits are given in Livelihood plan Measures to secure the wildlife and forest is given in Biodiversity management plan for the project. Employment to project affected families shall be
	70 4.7	Name of the State	made as per the eligibility and government policy.
10,	Mr. Sahab Singh s/o Mr. Shripat Parihar, Village- Dharsula, Dist Shlvpuri	for land for land to be given, incase this is not possible, then Rs.50 lakh to be given for the construction of house and Rs.7000 for livestock. At least Rs.70 lakh/ acre should be compensation for land. Preference should be given	
		in employment for the project affected area.	Preference in employment will be given to PAF's people of the area will also be included.
11.	Mr. Veer Singh slo Mr. Roop Singh Yadav, Village- Motipur, Dist - Shivpuri Mob - 9575764872	villages Sular, Kinarkheda,	the canal shall be investigated for supply of water in mentioned village
12.	Mr. Ramswaroop Pandey s/o Mr. Ramdeen, Village- Bharsula, Dist Shivouri	The people of Bharsula	

S.No.	Name of Person	Issues Raised	Response
13	Mr. Yashpal s/o Mr. Lakshman Singh Parmar Village- Didauni Teh- Khaniyadhana Dist- Shivpuri	Construction of Dam should be done	Construction of the dam shall start soon after getting all the required clearances from concerned departments of state and central government
14	Mrs. Gomati Bai, Ex Sarpanch, Village Gudar TenKhaniyadhana, Dist- Shivpuri	Canal should go through villages Sular, Nibauda, Gudar, Naya Gaon, Devkho, Moto, Khanidhana, Mayapur.	Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages before the construction stage.
15	Mr. Mohan Singh sio Mr Ravraja Yadav Village- Raivas Diot Shivpuri Mob 9098933249	At least 50% land for land should be given alongwith the compensation for the remaining 50 % of the land for the project affected lamilies of the Naghori dam. Employment to be given as per his eligibility to the PAFs Markets should be adopted for compensation.	Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy.
15	Mr Chandrapal singh Lodhi sio Mr. Rajaram Lodhi, Village SinawalKala Teh- Khaniyadhana, Dist- Shivpuri	We are lacing droughts since ast 10 years due to the lack of water availability source such as rivers, streams, ponds etc. the situation is very bad, hence its is suggested that irrigating facilities may be provided.	After construction of dam, if possible water will be diverted to the needy areas and such possibility shall be explored.
17.	Mr Jitendra Singh Lodhi s/o Mr Shivdayal Singh Lodhi, Village- Didauni Dist- Shivpuri	Preference in employment to be given to the PAFs of the village Dedavani. Outsiders should be kept away for employment.	Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy.
18	Mr Rajpal singh Yadav sio Mr Jandel Singh Yadav, Mcti 9479344906	Adequate compensation should be given to PAFs of village Narauni. Compensation of Rs. 10 akh/Bigha for land and Rs. 5 akh for houses should be given. Adequate facilities for satying should be done. Separate compensation towards loss of trees, wells shall be given along with employment.	Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Provision to compensation of house, well, trees, employment for PAF's have been included in the above mentioned Act.
19.	Mr Tilak Ram s/o Mr. Dharu Sirgh Yadav Vilage- Narouri, Dist - Shivpuri Meb - 8120364717	Compensation of Rs. 10 lakh/Bigha for land and Rs. 100000for 10 Sq.ft room shall be given. Employment for every PAFS.	Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, "Rehabilitation and Resettlement Act 2013".

e S

U

ţ.

S.No.	Name of Person	Issues Raised	Response
20.	Mr. Arvind Singh Yacav s/o Mr. LalaRam Yadav, Villago Didauni, Dist- Shivpuri Mob7746981626	house, livestock and others shall be given at higher rate.	Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013"
21.	Mr. Kalyan Singh Yadav, Vilaga- Didauni, Dist- Shiypuri		Appropriate measures shall be taken at district administration level.
22.	Mr. Jagdish Singh s/o Mr. PyareRaja Chouhan, Village- Devkho, Dist Shivpuri Nob9926284791	Gudar may be kept intact.	the canal shall be investigated for supply of water in mertioned villages before the construction stage.
23.	RamNareyan Sharma, Village- Narouni, Dist Shivpuri Mob 8435809750	the construction of canals of Bhudna dam may be taken up. This will be enable to increase in the command area of Bhudna dam and eradicate the problem of water shortage in the Bhudra dam.	The matter shall be discussed and further action will be taken accordingly.
24.	Mr. Viahnu Son e/o Mr. Fappulal Sen, Village- Didauni, Dist Shivpuri		Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy.
25,	Mr. Jaypal, Mr. Mansingh, Mr. Lalaram, Mr. Suresh, Mr. Neelam singh, Mr. Vijay singh, Mr. Brahmaraja, Village- Narouni, Dist- Shivpuri	Vriage Nauroni is getting affected/ submerged in the dam project: Land for land at the rate of Rs.10 lakh/ bigha and proper place for staying may be given. At lest one member of the PAFs to be given employment. Resettlement should be made near the city/town.	as per "The Right to Fai Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" In addition livelihood plan to be provided to acquirement for care of PAF's.
26.	Mr. Jaypal s/o Mr. Pltambar Jatev, Village- Narouni, Dist Shivpuri Mob - 7746981653	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY	be taxen and Compensation shall be awarded as per 'The Right to Fair Compensation and Transparency in Landaguistion, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013"

S.No.	Name of Ferson	Issues Raised	Response
27	Mr. Malkhan Singh sio Mr. Hardas Ahirwar, Village- Nayagacun, DistShivpuri Mob - 8461924373	It is suggested that the canal should go through the village Gudar so that the people of Khaniyadhana area shall be benefited.	Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages.
28	Mr. Mitrasen Ahirwaar slo Mr. Hardas Ahirwar, Village- Nayagapun, Dist - Shivpuri Mob - 9989038154	It is suggested that the canal should go through the village Gudar so that the people of Khaniyadhana area shall be benefited.	Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages
29)	Mr Ramdayal s/o Mr Mahip Singn Lodhi, Village- Bharsula, Dist - Shivpuri Mob - 9755414493	People in the submergence area may be given land for land and employment as per their eligibility.	Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Employment to project affected families shall be given as per the eligibility and government policy.
351	Mr Sudama Prashad sio Mr Ramkishan Sharma, Village Didaun, Dist- Shivpuri Mob - 9165392719	Our houses are getting affected due to the canal and employment shall be given to the villagers.	Appropriate measures shall be taken to ensure best fit alignment to avoid the disparity. Employment to project affected families shal be given as per the eligibility and government policy.
3	Mr Bhansingh, Mr Rajveer, Mr Kayari, Mr Sorman, Mr Tilakram, Mr Rajpal and All Villagers of Village-Narouri, Dist - Shivpuri	Compensation of Rs. 10 lakh/Bigha for land and Rs. 5 lakh for houses should be given for the village Narouni. At least one member of the PAFs to be given employment. Adequate arrangement for staying for self and livestock should be provided. Separate compensation towards loss of trees, wells shall be given.	Compensation shall be given as per "The Right to Far Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Employment to project affected families shall be given as per the eligibility and government policy.
32	Mr Ashok Singh s/o Mr. Govind, Village- Rajapur, Dist Shivpuri Mob - 8959872790	A per the new survey canal is passing through the village Rajapur. At least 10 villages shall be benefited if the old alignment of the canal is considered.	Possibility of the alignment of the cana shall be investigated before the construction stage. Old alignment, if any shall also be examined.

	Name of Person	ssues Raised	Response
33.	Mr Bhaiyasahab s/o Mr. Jandel Singh Yadav, Vilage Narouni, DistShivpuri Mob9669461714	Either land for land or Rs.10 lakt/ bigha compensation should be given for the sustenance. The Graduated persons of the affected fortilies should be given	Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Renabilitation and Resettlement Act, 2013". Employment to project affected families shall be given as per the oligibility and government policy.
34.	Mr. Bhattulal, Village- Kalipahari, DistShivpun	The Patta land bearing SI No.95 of Kalipahari is not entered in the computerized records. The same may be done.	Appropriate measures shall be taken at district administration level.
85.	Mr. Neelam Singh s/o Mr. Pyare Leal Ahirwar, Village- Narouni, Dist Shivpuri Mob 8959563098	Compensation of my land of 3.5 bigha shall be given.	Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013"
36.	Singh Adiwasi, Dist Shivpuri Mob9753937673	Land for resettlement and employment shall be given.	Compensation shall be given as per 'The Hight to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act. 2013' Employment to project affected families shall be given as per the eligibility and government policy.
37.	Mr. Ryatelal s/o Mr Gampaial Jatov, Village Narouni Dist. Shivpuri	We are coming under submergence. We may be given land for land and land for construction of house.	es per "The Right to Fair
38.	Mr. Vijay Singh Jatav s/ Mr. Nathuram Jatav, Dist Shivpuri Mob 7694889204	o am an unemployed resident of Village Narouni coming under submergence Employment and land for resettlement may be given	g as per "The Right to Far . Compensation and

5.No.	Name of Person	Issues Raised	Response
39	Mr. Kishana, Mr. Govinda, Mr. Dhaniya Adiwasi, Village- Narouni, Dist Shivpuri	The names of the lands of the tribes who are migrated from Village Narouni may be entered in the Patvari records and also corrections in the records for the missing persons may be done for the adequate compensation.	Appropriate measures shall be taken at district administration level
40	Mr. Hariram Paal s/o Mr. Karanju Pal Village- Didauni Teh- Khaniyadhana Dist- Shivpun	My land is about 3000 ft distance from canal route. We are not using the water in the canal and paying the cess. Please remove the cess.	At present this project is proposed project, the problem raised shall be sorted out by concerned officers of State Govt.
41	Mr Balwant Singh s/o Mr Toofan Singh, Village- Narouni, Dist Shivpun Mob 9407219658	Compensation of Rs. 10 lakh/Bigha for land should be given. At least one member of the PAFs to be given employment. Adequate arrangement for staying should be provided. Separate compensation towards loss of trees, wells, buildings shall be given as per the new rates.	Compensation shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Employment to project affected families shall be given as per the digibility and government policy.
42	Mr. Karan Singh Yadav Ex. Jila panchayat member, Mr. Bhagwan Singh (Ex. Sarpanch -Mayapur), Mr. Rajendra Singh, Village- Devan and others	It is unjustified to cmit the vilages Pura, Darampura, Badli, Mehrauli, Devri, Peepalgheda, Banota, Mayavur, Nagarela, Badarvaha, Ahar Bhandour, Feravani, Nibodha, Sularkhla, Pacha'a etc. from the command of urr dam project. It is suggested to kindly adopt the old survey alignment covering the entire area which is justifiable.	Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned villages before the construction stage. If any survey work for alignment as suggested was done earlier by WRD, MP shall also be examined and possibility will be explored
43.	Mr Dinesh Pal s/o Mr Harram Pal Village- Didauni Dist Shivpuri Mob 8959816926	Employmenf should be given.	Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy.
44.	Mr. Kaptan Singh Yadav and All Villagers, Village- Narouni, Dist Shivpuri	We should be given land for land. Present market rate is Rs.6-7 lakh/bigha and our compensation should be fixed at Rs.10 lakh/ bigha. House for house should be	Compensation for land and resettlement shall be given as per The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation

S.No.	Name of Person 1	33063 110100	Response
5.NU,	Name of Popular	liven, compensation towards case of trees, wells, ponds chall be given. Rs.50,000 for shifting allowance, Rs.500/sq.tt for the open spaces shall be given. Preference for eligible persons for employment. Employment in the lines of Rajghat project to be adopted. Arrangement for schools should be done	and Resettlement Act, 2013' Employment shall be given as per eligibility and government policy. In addition, Livelinoud plan to be provided to augment for care of PAFs.
45.	s/o Mr. Harnam Singa, Village- Rajapur, Teh Kraniyadhana, Dist	Caral should come up.	We appreciate the comment
46,	Mr. Avdhesh Sen slo Mr. Ramsevak Sen, Village- Bliarsula, Dist Shivpuri Mbb 9630762275	Preference to local persons for employment	Employment to PAF's shall be given as per eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs.
47.	Mr. Kripal Singh slo Mr. Shapat Singh, Village- Bharsula, Dist Shivpuri Mob 9769702750	Benefits should be made available to all the persons of the project affected and nearby areas.	Benefits from the local area development plan shall be given to the project affected and study area villages
48.	Mr. Dimaan Sirgh Rajout s/o Mr. Harcharan Rajout, Village- Bharsula, Dist Shivpuri Mob - 8435823245	Employment to us and for all farmers shall be given	Employment to PAF's shall be given as per eligibility and government policy in addition, Livelihood plan to be provided to augment for part of PAFs.
49.	Mr. Komal Singh Lodhl s/o Mr. Balchand Lodhl, Villege- Bharsula, Téh - Khaniyadhana, Dist Shivpuri Mob 9755047669	from each PAFs from submergence area.	Employment to PAF's shall be given as per eligibility an government policy. I addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs.
50		f Crr project should pass through village Sularkhia Khaniyadhana so that the problem of drinking water can be tackled.	investigated for supply water in montioned village before the construction stage
51	Mr. Rajendra Singh Bundels s/o Mr. Dhiraj Singl Bundels, Village- Didaun Dist Shivpuri	a I am unemployed with ver h less land. Any employmen	y Employment to PAF's shall to given as per eligibility as government policy addition, Livelihood plan to provided to augment for ca of PAFs.

S.No.	Name of Person	Issues Raised	Response
E.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	given.	Employment to PAFs shall be given as per eligibility and government policy in addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs.
53.	Mr. Mohan Lal Lodhi s/o Mr. Ramcharan Lodhi, Village- Didauni, Post-Bharsula, Dist-Shivpuri	Dam will be beneficial to us. Employment should be given.	Employment to PAF's shall be given as per eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment in care for PAFs.
54	Mr. Sarman Jatav s/o Mr. Har Singh Jatav. Village- Narouni, Dist Shivpun Mob - 7772681901	Employment should be given.	Employment to PAF's shall be given as per the eligibility and Govt. policy.
55.	Mr. Brahamaraja Yadav, Mr. Devi Singh, Mr. Rajveer Yadav and All Villagers Village- Lakhari Dist Shivpuni	Every villagers are of the opinion that due to Lower Orr project, Gram Panchayat Didorakhedi should come under irrigation and all persons are satisfied with the project.	Possibility of the alignment of the canal shall be investigated for supply of water in mentioned village.
56.	Mr. Nathan Singh Yadav s/o Mr. Dharu Singh II, Dist Shivpun Mot - 9407514658	The missing names may be entered in the Patvari revenue records so that compensation should be available to us.	Concerned officers of State Govt. may be requested to resolved/sorted out this issue.
57.	Mr. Jagat Singh, Mr. Kashiram, Mr. Dhara Singh Mr. Ramsevak, Mr. Ramesh Kumar and All Villagers Village- Harshpura Teh - Khaniyadhana Dist - Shivpuri	Canal should yo through villages SulaKheda, Eravall, Nibauda, Harshpura, Rahjapur Hanumangheda, Gudar and Naya Gaon.	the canal shall be investigated for supply of
58	Mr. Prakashchand Yadav s/o Mr. Harbhan Singh Yadav, Village- Silpura, Dist Shivpuri Mob - 9755499281		be taken and possibility of the alignment of the canal shall be investigated before the construction stage.
59	Mr. Mahendra Singh Yadav s/o Mr. Diwan Singh Yadav, Dist Shivpuri	We will face difficult as our	consideration and compensation shall be given as per 'Tho Right to Fail Compensation and

S.No.		Issues Raised	Response
60.	Mr. Suresh Jatav s/o Mr. Nathuram Jatav, Village- Narouni Dist. Shivpuri	Narouni village coming under	Employment to PAF's shall be given as per eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs too.
61.	Mr. Ramveer Singh Yadav s/o Mr. Parmal Singh Yadav, Village- Narouni, Dist Shivpuri	Employment shall be given.	Employment to PAP's shall be given as per eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAPs too.
62.	Mr. Dayaram Lodhi s/c Mr. Ramcharan Lodhi, Village- Didauni, Dist Shivpuri Mob 9669663142	Pair compensation and employment to be given.	Compensation and employment shall be given as per The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013"
63.	Mr. Shishipal Singh Lodhi s/o Mr. Ramdayal Singh Lodhi, Dist- Shivpuri Mob 8120220026	Suggested to start the work and irrigation water to be supplied to the farmers at the earliest.	We all appreciate your views/suggestion. The project will be started soon after obtaining all statutory clearances.
64.	Mr. Shailendra Pratap Singh Bundela (President of Nagar Palika- Khaniyadhana), Dist Shivpuri Mob 9993358260	taken from Sular village to	the canal shall be investigated before the construction stage.
65.		Devn, Rumhara, Daviyajagan, nagarela, Veerpur etc., so that all Grampanchayats should ge	the canal shall be examined and explored for supply of water in mentioned villages.

(P.C.Uchariya)
Regional Officer,
MP Pollution Control Board, Vijaipur, Distt-Guna

(Z.U.Shekh)
Additional Collector and
A.D.M.Shivpuri (M.P.)

(O.P. Singh Kushwah)

Sign Merchant commer Sign descriptions and sign of the sign of th

विषय — मेसर्स नेशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजेंसी कंन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-2, जिला-शिवपुरी की प्रस्तावित बांध (डैम) परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति कं लिए आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 17.09.2015 में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों का उपस्थिति पत्रक ।

दिनाक 17 09 2015, दिन-गुरुवार, प्रातः 11:00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ।

स्थान — शास उत्तयन पाविद्यालय कचनपुरा, ग्राम पंचायत-दिदावनी, तहसील- खनियाघाना, जिला-शिवपुरी (म.प्र.)।

秭.	उपस्थित अधिकारी / कर्मचारी का नाम य पद	पता	हस्ताक्षर
1.	1730 DE ELO AD M.	शिवपुरी —	. M. 9.15
	भी त्मी उचारिया. क्षेत्रीय अधि- म प्रकार क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक	MIPCB.	4
	मुकेश कुमार शर्मा ऽ ⇒ ल पिट्टीर	पिष्पोर जिला - सिवपुरी	17/09/15
4.	जे. भी युपा तहसीखराए स्वितिपास्थान	७ विकासान	17/4/18
	उत्तरी अग्रम	71.51 A 5.	Con CT
	11 35 40 21 AND LONG THAT	- ST G RAWI	-43
7	श्रीतम २१ वर्त अनुस्तानारेश अस्ति। राज्यार नहा अस्ति। कार्यो	भेद - उत्तरन . राजधार नहा उपारंता	Fruit
***	Bright Africant share	A-3/6, Rajely.	Chology
9	MAZ WA 1143 WY 101	A-3,65 mbs	m
10.	31130 470 361 -	21470	1719
11,	7	12 Sada Bhann City center Gwalin	2 150

12.	स्टेबा व्याव चित्रा	12 Soda	(eca and
	सहायक आश्रेमेल सामानिक	भी सार्व विश्वास विश्वास	17-9-15
13.	P. K. Sharma	12 Sada Phanes	1
	Assivant Fyrance almost	or Gity Centresul.	1799/10
14.	रान्य के पालेष म भ	A3- महर्मकाराकीनर	0
	nimey	अगादपुर भाषत	- 5
15.	अीठ रुख (सोरी सुर इंगी नियर	भ-27, आपा मंदिक गन्द-13रा, आंस	स िडाल्क
16.	अतिमत शर्मा	76-1, Schoo-18	
3.971	240111	9/29/11- Ebrien	-34/2 m 510
7	s m. Dixit,	76-C, Sector-18,	Æ
	DCE, WAPCOS	Guyaou, Harryana	4109/15
18.	S C. AVRHAN, -	12 Sada	Same
	CE MINON, GNALIN	Coty Center	(राम्भूजा
19,	2	12 साउँ भाउँ	Omst
	साथायाम माहिए	मिटी होहर	171915
20	The was the grade	205 41/00 47	minton
	212 2 101 2 1 AND 2 PAGE		17-1
21	विनमलेल डिर्म वीपासाहवर्ष	्रिक्री निकरित	0
	इति जिल प्रिकामकार व	LETAI- Clark ogung	-F-
22	g.K. Rajonya	Tanker forceins	V
	In Scientist ROMPREBGIUS	anog Gail Vijoyoti	12/9/12
23	keilash Dehazira		1 004
	Personal Secretary Ri MPPCB Game		Jel 19/19/15
24	MIC Wagdeve u.d. C		20 Care
	San Marian Company		17/109/2013
25	KK Robitash EE Ro.	N.F.L Great howe	JP3
	M.P.P. CTB Guna	in the contract of the contrac	17/9/15
(34.74) (34) 2.	Talonia Talonia	6	Oh. Jamiger
	Jitendra Jalonja.	Sonor	11/9/10

विध्य — मेसर्स नेशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजेंसी केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस—2, जिला—शिवपुरी की प्रस्तावित बांध (डैम) परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 17.09.2015 में उपस्थित नागरिकगणों का उपस्थिति मत्रक ।

दिनांक - दिनांक 17.09.2015, दिन-गुरूवार, प्रातः 11:00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ।

स्थान – शास.उन्नयन प्रा.विद्यालय कंचनपुरा, ग्राम पंचायत दिदावनी, तहराीत- खितयाधाना, जिला-शिवपुरी (म.प्र.)।

क्माक	, उपस्थित नागरिक का नाम	पता	हस्ताक्षर
.f.	श्री अधारामिह भादव श्री अधारामिह	-मतिनी उत्सन्त	ने गुजान
2	१० श्री हाताम । शिंड	ग्राफ् नार्नि	CITHINGTO
3	हर्न राजेश ८१० भी ज्योरेसास	भ्राम नारी-ी	
4	की कालाराम को स्त	भ्यामं अरस्त्रा	1918/12127
£	भी विश्वनाराम भाग स्थिति मर्दन	भरवला	214 min
6	%) दिसाम । श्राही 5/0 देशमान विसंद लोडिम	भारत भारत्रका	िमानान
7	की कृपान विंह	भ्याम् भरस्या	क्रापालीय
8	70 की पत जोशी लार्जन	भ <u>ड</u> डी आ।	Meda
9	8/0 24 SI-2T	भाग कांचामुर	From 21
10.	श्री- आवग्रा शिष्ट. Sto श्री अजेन्द्र	भूगां नारीनी	उनवताराध्न -
11.	३) अगर्यो। भिरं को धी ३) अनरमानिह को धी	राम भरमूला	BStenl'

क्षाल्याम कोधी	अगि : कांचनपुरा	G102 X14
No 84 X107-41-7	O,	
% प्रीत्रम	आत काम पर	4 10
Sile of armost		
हरे के शव हिन्द जरेशी	भूमा लिनावली नाला	क्षाव
		-51-3AIGN PE
The state of the s		- N
	भार । विद्रावनी	3 MILLS
Α	he brant a s	
	"तात कम्पनपुरा .	
- of 18 10 of 1 2/2 A	१ मह भेरसन्त	21216 261
3/0 श्री मोदनलाल	-1507.03	
मी इपति (पापंचा)	आह भरसना	35-61
S/o solution	0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	
A521781- RES 92M	भारत हिराबनी	p. P
Sto डोरन सिंट व्रीना		ब्झाखां झहप
सि भूमानान	ग्राफ शरस्त्वा	2.3/21/10/m
1/0 20 t asig(0 4	ह रीस अ
At 8 1715	श्रीक दिशावरी	81/1/4
40 5×10%	- TA -	CHENON (IN
820 al-e10-11/2	25 41(14)	116001(11)
A COUNTY TO	44.	MIRA A PHE
8 CA 3 CA	अ10 न(तन)	
A also one	ALL AND A	en I si m
all states of the states	210 154 90	2
	हों के श्वास हिंह जोशी ही - हो - दों जां में ही - पो इपाल सिंह जोशी ही - क्षी- राजा शोह को श्वी ही - क्षी- मरीस सिंह ही - क्षी- मरीस सिंह ही - क्षी- मरीस लाल ही - क्षी- पोलान ही - क्षी- पोलान	१० की रामकान भी प्रीतम भी की भागा हिलाभी भी की भागा मिटेलाभी भी भी द्रमाला मिटेलाभी आफ सिनावल कला भी कर्माण मिटेलाभी आफ सिनावल कला भी कर्माण मिटेलाभी भी कर्माणाल भी कर्माणाल भी कर्माणाल मिटेलाभी भी कर्माणाल भ

NWOA PROTHING & ASHONAGAR

9

	1 1		
26	1/0 3) - day	भूगार नारीनी	
27			1000
	अदिन्द्रा पाल	ग्राम दियावरी	मिलें जायल
28	धीर्याजना भारत 510 और संजिमसेह	ग्राम दिश्वनी	न्यान भाग ।
29	8) ETTOUT	ग्राम दिहान्त	बाब भाम)
30	ी हरी क्षांल हैं- की जांकर द्वार	भ्यात नातिन	
31	5/0 2 81792	2715 -415	90 R
32.	को इंड भागार्थिट पाइव Se की संपन्न भीट पाइव	१मा रिदावनी	- 5050110THE
33	हो नेपारिह. १/० श्री साजन विहे.	ग्राफ नार्नि	नेपानगरनेट
34:	8) - 70 40 Mile	भाग गर्भित	त्रेत्रया (क.स्ट्र <u>े</u>
35.	श्रे की का कि	भाग नार्वि	- 1 1 das
36	त्री राजन्ड क्षेट्र प्रमुख अग्रमान	ज्ञान नार्विन	1
37	3/ SITT HE S/n s/- 6 cm	ज्यात दिशवनी	1112
38.	2) 292 Am 65 5) 29 - (8192	्या दिशबनी	NOW THE
39,	की जिल्ला भी हैं। भिक्ता भी हैं।	भाक नार्देश-	

			9
40	की कामना मिह	भार नार्म	amal 2
41	है। सोनासिंह ११० की जमराहासिंह	भाग हिराबनी	भागाने हैं
42	5/0 2/ Ta/211/3	भारति नार्ति	F1-711
43	ो महेश १)० हो हर्यशाद	भार हिरावरी	100
44	श्री सिराजा १० श्री सारगर १ विक	भार किरावनी	4 Vanista
45	ही काणान होन राज्य	भ्याक हिदाबनी	
46	शे शामान १७ स्टिन्सान	भ्या के तिहाबती	21/2/1214
47	3120 - May	5717 -etg/7-	Ahouhan
2.5	ही त्राह्त को ही है। की स्थान	ग्यार भरस्का	Q19
49	ही वर्ष्टा कुरुगर सेन	्राष्ट्र हिदावनी	व्याने व्यान
50	5/0 01-0700	भूगाउँ विदाननी	-1-5-)
51	3/2 21/9 () 3	: कार दिशवनी	312 19 32/12
52	डी शामित आहि। डी ० अ रह गयली	क्षाम जिल्लान-	3244171
53.	श्री समारा हा लोखी- 5/0 श्री राज्यान भी	े भूगम दिनानन	सि मात्र

	(m) (fr)	LIM	Ecoldi
5 1	- GET WARRION	JUK WITER)	रचेन
53	अगना मिट्ट आरी की	कीश भारीय	शाव हि
54	जारी जी	4,0021101	*
52	otesarelle 1940 000 100	9407219688	457 412) 9
3 4	april 8	नार्योग	alitie
51	अन्धाराचा मारब	नार्रीनी	3669461714
Co	वीर्याकिहं नाश्वी	वीर्पाक वि	ं भारीजी
<u>c.</u> (में रश	नारीन)	940650837
Cı.	सरम्क जारेव	ज्या 216)	777288180
c i k	नुधिन्द्राधिष्ठ जारत	21/10	
Ç.	भीरेन्ड्राचीह	-112/es/	
l _k	devAz	~112708	76948332
<u>(</u> ./ ₆	म् <u>रा</u> धाल	0-11/2/01	7746981653
5)	62112 mlm	-11x11-A	

~

-

0

अहरू के किया के क्षेत्र के कार मिर्ट के कार मार्थ के कार मिर्ट के कार मार्थ के कार	CI SIND THE	जागनारोती विशालाह
त्र अस्ति विषय के हा न पुर निर्मा के कि हो न प्रमा के कि हो के कि कि हो के कि कि हो के कि कि हो के कि हो है	die con	NA NA
त्र अस्ति विषे ह के हा न पुट ने कि है। के पित के कि	C1 31416 014	पदमील उपित्राकी
भू निर्माह प्रमान के जिल्ला होता है। जिल्ला ह	Je SHACIATE & GIONY	151/11 171958 MOX
पूर्विहें पूर्व		
निर्मार होत्री निर्माप महाराज २६० ट्यांत्र भावता १५० १६० ट्यांत्र भावता १५० होत्र होत्य होत्र होत्य होत्र होत्य होत्र होत्य होत्य होत्र होत्य होत	3 2 112 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	266966300
महार्क्त निर्माप महिला है। जिस्से महार्क्त निर्माप महिला है। जिस्से हैं। जिस्स	42 42 E	8 5-15-15
नाम जात्म प्रार्थ नाम जात्म प्रार्थ नाम जात्म प्रार्थ नाम जात्म प्रार्थ नीत्म प्रियाननी स्वाननी जात्म प्रार्थि	V.	वारसिट्
१८ विश्वान कार्य	जल्य डिकी निर्माप	217 Kas NEC
नित्र निरंति। नीलम्सि 75 दियाननी स्तानित स्ता	011 1/2 miles 1/2 miles	13 12,962)
76 रियाननी स्तीगरान जरगरिये		नी त्य में मिट्रे
म् हिराननी कर गरिस्ट		
£210A		कर गर सिंह
And the first of the second of	75 (3210)	(2-1-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-
Ω	16	
न (दिस्ति) निर्मा	7 (2,2) 00	642211
₆₀ दियावती जीवान	do रियावती	FITALE .
8, (331am) 2h		
81 4 5 5 1 5 1	81157	

A CONTRACT

	- 2 1 - 1	(3)
8 3 2 X KAE 3 - GOLG	वजे-द्रविपहेंच्या	
है। यह स्ट्रिय के न्द्रेला विद्यालयी	RUMAGE	
8: 21621 PAE AGETOIN)	संक्षा तिह	
25 719177 Dagur	Valer-play	
राधाराश में भरमूला	4	
हर जनाराभ केंग अहसीला	रत्याम जन	
१६६ ड्रांबाबाम मोद्या		
हा नहीं लिश्तर क्षामियमार्) smoela	
90 3134 1641017	Arried	
में डिड्रायनी शाजामा	Pelopy	
12 2 118/ 2115 /9/19n7		
91 Junio 165 191197		
44 CM MICH 4109-		
ना अवादानोहर दिस्य	अवार्ष.	

Williamson

91 5 50 21 0	56A 21511	1	
7 9	(20113)	-	
1) 7 A15-18	300	रामाहिट्र	
ge matter	12/ SIMING	ashraine.	
go Janualts To			
100 8/13/18/18	२1 जायुर	Ulki215	
न भिर्माद्व क्रिष्ट			
१०१ ८१४ भिट	Simila	ancin he	
·3 4112/12/14	7151181	4010112121	*
-y -1121121212	1 41 45	3/3/3//-/	
- रामग्रेबक	31497	राभरीवक	
र विच्चित्र में ज	150	deg	
न् रमेश राज्य	g L	3 27 2/	
1015 STON	A.	2017, clim	*
od with doubt 335	3	Hopel 31	

केन-बेतवा लिंक परियोजना फेस-।। के अंतर्गत लोअर उर बाँघ की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ग्राम-दिदावनी, तहसील-खनियाँधाना, जिला-शिवपुरी, दिनांक - 17.09.2015



आयोजक : क्षेत्रीय कार्यालय,गध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर, जिला-गुना आवेदक : राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण,

(जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

केन बेतवा लिंक परियोजना फेरा—।। के अंतर्गत लोअर उर बाँध की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ग्राम—दिदावनी, तहसील—खनियाँधाना, जिला—शिवपुरी, दिनांक — 17.09.2015



आयोजक : क्षेत्रीय कार्यालय,मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर, जिला-गुना आवेदक : राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण,

(जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

ANNEXURES-II

PROCEEDINGS OF PUBLIC HEARING HELD IN DISTRICT ASHOKNAGAR I



MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, BHOPAL- 462 016

(0755) 2464428, 2466191 Fux : (0755) 2463742 e-mail: http://doi.org/10755

/TS/MPPCB/2015

Date: 4-/2 -/5

The Secretary, Govt. of India, Ministry of Environment, Forests & Climate Change 3rd Floor, Indira Paryawaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, NEW DELHI - 110 003.

Sub: Proceedings of public hearing conducted as per provisions under EIA Notification S.O. 1533 dated: 14/09/06 for the proposed Ken-Betwa Link Project, Phase-II at Shivpuri & Ashoknagar districts (M.P.) by NWDA.

Ref: TOR issued by MoEF&CC, Gol vide letter No. J-12011/31/2011-IA-I, dated: 27/08/13. -1-1-1-1-1-1-

The M. P. Pollution Control Board has conducted public hearing on 18/09/15 at Govt. Middle School, village: Piprod, Block: Chanderi, dist. Ashoknagar (M.P.) as per the provisions of EIA Notification S.O. 1533 dated: 14/09/06 for the proposed Ken-Betwa Link Project Phase-II at Shivpuri & Ashoknagar districts (M.P.) by M/s, National Water Development Agency (NWDA).

The hard and soft copy of the proceedings of public hearing along with objections and suggestions are enclosed herewith in original for necessary action.

Encis: As above

Endt No. Copy to:-

/TS/MPPCB/2015

(A. A. Mishra) Member Secretary

dated:

1 Dy. Secretary, Urban Development & Environment Department, Govt. of M.P., Mantralaya, Bhopal for information.

2. O/o Executive Engineer, (Inv. Div.) National Water Development Agency (NWDA) IInd Floor, 12-SADA Bhawan, City Centre, Gwalior - 474 011 (M.P.) Please find enclosed herewith a copy of information alongwith the copy of public hearing documents for further submission to MoEF for Environmental Clearance as per Notification S.O. 1533 dated: 14/09/06.

3. I.T. Section, M. P. Pollution Control Board, Bhopal along with the copy of Public Hearing document for display on website soft copy of document is enclosed.

(A.A. Mishra)

Member Secretary

ANG NOC DUCKER

222

For culting application/correstfees, visit our website your moonts night

Regional Office, Madhya Pradesh Pollution Control Board

दो जीय क्रांसिंख्य, सहस्रप्रदेश प्रदूषण नियात्रण वो ड Tanker Parking Area, Bail-Complex Vijayeuf/Dia(-Guna (bi.P.) -473112, 🛴 -07544-274098

234 2 Email- ro.mppcbguna26@gmail.com

विशियपुर, दिनांक 10.11..2015

कमाक 1005

क्षे.का / प्र.नि.बो. / 2015

प्रति.

सवस्य सन्धिव महोदय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मोपाल (म.प्र)

विषय:- राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की केन-बंतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-2. के अंतर्गत लोअर पर बांच परियोजना ग्राम-विदायनी, जिला-शिवपुरी /अशोकनगर हेंचु भारत सरकार से पर्याचरण स्वीकृति प्राप्त करने के राबंध में दिनांक 18.09.2015 को सम्पन्न लोक सुनवाई की कार्यवाही।

सन्दर्भ:- 1. आपका पत्र कमांक 4728 दिनांक 12.08.2015

 इस कार्या. का पत्र कमांक 606 दिनांक 14.08.2015, पत्र कगांक 607 दिनांक 14.08.2015, पत्र कमांक 621 दिनांक 14.08.2015, .

मान्त सरकार, पर्यावरण एवं वन गंबालय, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रमाव आंकलन (ईआई.ए.) अधिसूचना कमाक एस.ओ. 1533 (ई) विनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की केन-बेतना लिंक प्रोजेक्ट फोरा-2. के अंतर्गत प्रस्तावित लोंअर उर बांध परियोजना ग्राम-विदायनी. जिला-शिवपुरी/अशोकनगर हेतु भारत सरकार से पर्यावरण खींकृति प्रान्त करने के संबंध में लोंक सुनवाई दिनांक 18.09.2015, दिन-शुक्रवार को प्रातः 11:00 बजे से शासकीय माध्यमिक विद्यालय पिपरौद, विकाराखण्ड-चंदेरी, जिला-अशोकनगर (म.प्र.) में सम्पन्न तुई।

लोक सुनवाई जिला अपर कलेक्टर, श्री इस.कं सेवले की अध्यक्षता एवं पर्यवेक्षण में आयोजित हुई, जिसमें राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की और से श्री एच.एन.दीक्षित मुख्य अभियता (उत्तर), लखनक, श्री ओपीरिहें मुखातह, अधीक्षण अभियंता, नई दिल्ली, श्री एस.सी.अवस्थी, अधीक्षण अभियंता ग्वालियर, श्री एस.आर.माडीर, अधिकासी अभियंता, ग्वालियर, श्री एस.आर.माडीर, अधिकासी अभियंता, ग्वालियर, श्री सी.पी.एस. सेंगर, अधिकासी अभियंता, झाँसी, श्री अकरोज आलम, ढिप्टी डायरेक्टर, लखनक, श्री शिवराकर सिंह गुर्जर, नायब तहसीलदार, चंदेरी तथा समीप के नागरिकगण सिंहत क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर, गुना के तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी श्री पी.सी.उचारिया उपस्थित थे।

ओक सुनदाई का कार्यवाही विवरण निम्नलिखित मूल संलग्नकों सहित संलग्न है-

जिला कलेक्टर द्वारा लोक सुनवाई हेतु नियत दिनोंक. स्थल तथा स्थान। (०१ पृष्ठ)

समाचार पत्रों में प्रकाशन (हिन्दुरतान टाइम्स, गई दुनिया तथा पत्रिका) की प्रति। (64 पृष्ठ)

ई.आई.ए. अधिसूचना के अनुसार आवश्यक दस्तावें जे संबंधित कार्यालयों में रखे जाने की पावती । (02 पृष्ठ)

कार्यदाही विवरण की प्रति । (03 पृथ्त)

लॉक सुनवाई के वाँशन उठायें गए मुद्दे एवं उनका समाधान। (हिन्दी एवं अंग्रेजी) (पृष्ठ 15 + 17)

उपस्थित अधिकारियों की सूची । (93)

7 सपस्थित नागरिकगणों की सूची। (07)

लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त सुझाव / टीका टिप्पणी आदि मूलतः, (११ पृथ्तं) ।

कार्यवाही विवरण की वीडियों सी,डी,एवं फोटोग्राफ्त। (01 नगे एवं फोटो-10 एक)

शंतरन-तमरोक्तानुसार ।

(एन.पी.सिंह) क्षेत्रीय अधिकारी, विजयपुर, गुना

५ प्रति

अधीराण अभिग्रंता, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, हिलीय तल, 12-साहा भवन, सिटी सेंटर ग्वालियर

MARKET BHILV & ASHDISHA CAR

कार्यालय कलेक्टर जिला अशोकनगर (म.प्र.) कमोक / एक सी.2 / 2015 i 1 6 9 5

अशोकनगर दिनास १४-%

14.8 615

शेत्रीय महाप्रवेधक शत्रीय कार्यालय. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शिला गुना (म.प्र.)

दिवय --

सदर्भ -

शरूरों नेशनल पॉटर देखलपरेट एडेसी की भेग देशका लिंग प्रोजेतट पंछ है जिला अयोकनगर हेतु भारत सरकार की पर्यावरण प्रसाव अधिसूचना ई.आई.ए नोटिकीक्षेत्रान कर्माक एस.ओ. १६५३ दिमांक १४.००.२००८ के अनुसार लोक सुनदाई की लाईपाई

क्षेत्रीय कार्या मझ प्रदूषण नियंत्रण बोर्स का पन कसीक 603 भीका / एमिन / 2015

विजयपुर विनास १४.००:२०१५।

विषयांकित अंधर्मित पत्र मह अवलोकान करें, जिसमें मेसर्स मेशनस वीटर अध्यामित एकोंसी की केन-बेसरा क्रिक प्रोक्षेतर फेल-2 जिला त्रशोकनाएर में लोक सुनकाई के निवे हेनक 18.09.2015 स्थल-आम पंचायत पिपरोद, तहसील संदेश जिला अशोग्रामगर (म.अ.) में उपरिच्या एं। उपरोदसानुसार

जिला अशाकनगर गप्र

टवारी धरा गया

मोर को जमीन के दशकान भारतीय मुंबर 7.35 बने घटनारे

हें खाए को जोड़ में 118 मिला, शाद प्रशास के पुनर्स नाप स्थित तान में क्टनियों ने निर्माण के मेंट्रे का महेंच खार प्यक्त दीम ने हैं राज मिला तरहर होता का देन की दिल्ली हैं की उद्योग में दोने हजार एए जीन हैंटोरे पर की गैरियन के एए होने से साथ प्रसदा



ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL

SCIENCES (ANNIS), RMUBANESWAR Syns P.O. Cumardiana Photocresiver - 7510:0 E-mail a sphaeoffice (soline thickness expedicin Wilbelt - vick a teach bedress excede in

o. 3-11014(012)/2013 14/5 8-7/13331 - Date (88:08:2015 TENDER CALL NOTICE

Bolice invition l'ender for "Supply & Installation of Insoct Killer at Alliks, Bhumaneswer"

Insect Killer at Allins Britishaswar."

All Irrin helitar of Medica Sessions (Allins), futurioses in invalidation of Medica Sessions (Allins), futurioses in invalidation of Sect. Killer at Allins, Shi baneavan is under five bid good to Dutalis. He stitute is to be a conclusive and let fee the items of a trial behalf submission of the transport of a contract from the Allins Shipharasvar the fact was strainful for the first Configuration. The satisfact of application of the franchistic field and the first Configuration of the fact of application of the fact of application of the fact of th BANG, TO THE STOP STATE OF A CONTROL OF STATE OF

भग्नः स्ट्रट स्तियेण सम्बाह्या कामारेशन लिपिटेड किकि आक्रियानके प्रस्ति के स्वाति अपने १९२२ के स्वाति के प्रमाण १९३१ में स्वाति के स

्रापल, दिनाक 17.08/2018

हार प्रवाद योजना विशिष्ट वर्ष 2015-17 हेन् ईगरिकनि आमेलम शतो में मशाधन

प्राचीन हेंग्या के होता के अपनी प्रतिकार प्राप्त कार्य करने करने के कि के किस कार्य के सम्बद्धित करने फरनम में स्थापिक प्रारक्षित एक में के बिक्त बाद में के बीच की है है। िर्देश प्रमाण पत्र व्यक्ति है जिस है है जिस है अहं तर है है के में किस्ते के कार के साम का सह के शहर है साम कर है कि साम कि साम कर है कि साम कि साम कर है क SELECTION OF SELECTION commenced by the contract of the contract of the contract of

एम के आहे. या का काल मोड़ा के प्राचन के हैं कि है। नवर अमार अधारा के वा वाना कर एवं की एन संस्कृति हो बहुना हो। य भारत में दानों करन १० वर्ष स्थान कर अन्यत करने मेर ही जिसे स रहरकार वाद्या शामा ।

TE-9927/002/3013

नाराप्रचक्क (स्वरिवरण)

कड़ी सरक्षा में सिमी गुर्गों की हुई पेशी

इंटीर 🏿 प्रजिस्ता गुजरात में स्वेरियल क्लास्ट्रामास्ट्री के अस्तान प्राट की पावसता अस् तस्तीव पांच साल हे बंद सिमी के दो गूर्त भारताद सुनुत और पाठम द रही को मण्डाम रहा जिला कोट से पर किया गया कही.

रामा के भाष सहक, मार्ग से अञ्चलका होत्स देखें का पूर्व नेकर अर्थ होती का देखन देखी ्य विकास दिल्लीय नामान स्वयंत अपि प्रोतेष्ट में पृत्त अस्तिमा गाँउ अस्ति । सुन गरे २० सिनकर कर होती।

श्रेत्रीय पासपोट कार्यालय आहु एस.बा.टा. भवन, मजनाइन पतार हवावराज, भाषाल (अ.स.)

निवदा भूचना

क्षण क्षाप्त के विकास का इस्त्राप्त की इत्तर विकास के किया है। इस्त्राप्त की का का अब कि वीतिहरू के बीट की विकास के अवस्था ने दुस्त िन्सार १२ के १८८ के १९४२ है। एक्स्पान करें का का महान मुन्द १८५१ के ४१ वर और है । भारित भर्ष १८५क देशन के अर्थ में इसे कुछ हैंगा शासरक दें जिल्हा करते अर्थ प्रविक्त में अर्थित के बर्च देंगे अम्रतान पर का का भी स्थान दर्भी

कियन करण्या विकास प्राप्त कार महें आहें। दिश्व विकास स्थाप के ने उस PC/3P1975 | 40 16 3015 800 1 5 (4) erzorene Garazzea

grant trad of evenier arms in refless this will be a fer

Appendig to the control of the contr

स्वाय के योगव .म.प्रायद्वण विवेधाः वाष

टकारणांको। एरियो सङ्दर्भाष्ट्रच्याः (एक्यण्ट (नला गुन ्रहोद्ध सम्बद्ध की पुष्रक

न्याण स्वयन्त्र, प्रवान व १ व वर्ग नवार व का बेदान को आवत् स्वयन व्यवस्था गाउँ है १९६१ कि कि १९६० व्यवस्था के स्वयन्त्रक के अवस्था नवीन स्वयन्त्रक माना करने कहा के स्वरं प्राप्त विद्यालया के अपना संस्था के स्वरं के स्वरं के स्वरं के स्वरं के प्राप्त के प्राप्त के स्वरं हें हि रहत में दियान में के दिन जे शहे में बाद अपिनाहर स्थाप स्थाप स्थाप १८ अहर दिन के जोड़े देना पहिते में सिकारण क्रमालक दिल्लाए १८ अहर के नार्वे पहिल्ला में काल कर करने के अब से पेक्स में सबके १८ इस एक कर में बाद समझ स्थाप के शिलाह अपिनाक अपिनाक अपिनाहर है इस मध्यान व ते. व्हेनी ए कार्यन र प्राप्त कर व कार्य क्षेत्र कार्या कार्य प्राप्त है। इन्हों कर देश होता है अनुसार कार्या के प्राप्त कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य

eal, a company quantum our exercionar as entante east artistica and the control of the control of the control for east of the control of the मध्यानमा अध्याप राज्याक भूनतार्थ निर्मात १८०५,३०३६, देन मुख्या अर

िविश्वपाद, जिल्ला-मूना

of Landberr Themston only BIP V t he refurered Composit Letter Dog Spick by otskimet od no barder The BW-Wikingh

Mataula and Sachogsin gyrundertei Prao sir hayy rodisa surface report of the dander, but, Called Number (96:50) in any of the state of the containing the state of van Fithologiusis in Original Harris la pecuri, mai ari provi besacio be ar lands degrees Coursettvira Toda binely machini-

A SAME TO THE REAL PROPERTY OF SAME

anomical the secretary and the sounds nul lens to ministro arbanares temperature of the feature for concurrence to the Feature covers ments indirection to put on field defer merapansion plants I primale axes contaisatout pulp serbin Hugarbarder Trasing Sarjogaever Arundus (twasb MP as it gravity as conflict Report in tensor folial Report Contact value (over two tensors before an object

LL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
AMSARINAGAR NEW DELHI-110 508
Admission World No. 10/2015

POST DOCTORAL COURSES - DANUARY 2016 SESSION

r te Madica (Chiercas IIIV lus On melapolicalibus (or Emparce examinations) norma in Postgranda e (MDMS/MCH (hyears/MDS) and Post Sociales (Hospital Administration/Ph.D) Coursus Programme for January 2010

Oline Registration for emploations; Hospital American processors of the south of the south as 5.00 PM (1) Para of Entrance Examination Dajo ot Exams | Grommen of Example | 11 Example | Exampl 28-98A (vears) TOTAL AM TO LIBE AM d Netro ottokin lod b os ot misti da lo nit (na kahida Muraki Kakata & Chansa) and the state of istration) have the or Proposable petrinal information of places, with any website majors. All applicable are required to violating whose is recursively and conduct Applicable are required to violating whose is recursive and applicable and proposed the proposed proposed and recording Applicable States and applicable and proposed and proposed are sent and applicable and proposed and applicable and a

HT Bluepal 18 18 19 Par 11

MASSISTANT CONTROLLER EXAMS!

े क्षेत्रीय प्राचीलया R.H. पद्वाम निरंत्राण बीडें।

हैंगर प्राधिक शेरमा और काग्यलक्स विजयपुर, जिला अनी

लोक राजवाई की सबना

AND STREET THE STREET S The actions which captures to have content to the action of the action o

्राम्प्रीतात के वे विश्व हैं । एका दिवाद है में 2015 (प्रश्तिकारण की एक वे विश्व) विश्व अब अभाव दिवाद एक कोटी किया - अगावनात के ब्राह्मकार की हैं (प्राप्तिकार विभाग में १९ ८ के - वर्ष प्राप्तिकार के ब्राह्मकार के प्राप्तिकार किया है। अपने कार्य किया किया के समान के किया की में दें हैं (अपने कार्यों की की

(र्गामाः उद्यक्ति) इस्तर भागमान

ৰতে হ'ল (ক. ৪) মাই বিশেষ্ট্য বিভাগ্য

西亚帕州

Employ Feril News dated 19 - 25 July, 2014 may be freated as cancelled due to administrative reasons.

Director Vc., NIB

JHARKHAND SPACE APPLICATIONS CENTER Department of information Technology, seet of thinkford
2° Flow Engineers Hostoli, Pharwis Founds-15-06s, Uncertained
Tak 8651-2401 (13, Fue 865)-2401720

Advardaement(10, USAG220) 857105 D-118 38 2014

Recruitment Notice

HECKNIMENT NOTE:

Insertiant space Applications Genies, Du T. Gos invites equilibrium from the cilibrium factoristics by recollisions on more expellations of amount for the part of control from 8. Our discuss of experience has have additionable, and experience of the respective residential and experience and covers is the respective residential and experience and covers is the respective residential and experience and covers is the respective residential and the respective residential and the respective residential and the residential and t

शारखण्ड लोक सेवा आयोग सर्जुलर रोड, शॅमी ८३४००१

संदिष्य त्रेस विकास

कुर विभावन समापन्य वस्तावन पर सनाव- १७ सम्बद्धाः भक्ता समूच अमेरिक मेदा (प्रार्थिक कि ने मान्यामा मानिक के महिन के मुनन च प्रकार महाहोत्य प्रिमित्र (काम् हर था) प्रिमित्र वाही से सार्था है। विकासन हरेगा विश्वपति क्षेत्र कार्य मध्य अवश्य विभिन्न एक र विश्वपति महिनोति चा प्रिम्म कर्त अस्ति सं अस्ति में स्वीतिक एक र विश्वपति कार्यक्रम क्षिप्रकार है

ह क्षेत्रीक्ष आजाराज अपेक स्वतासमात — १२२ का आवड हा विकास — 46 कि 995 क्षेत्र — १४ कर कर्म का असमीत के उपमानिक अस्ताक कर मान्य के मान्यक १४ क्षांक्र प्रकार का अभियत पास महाविधालक असमा असमाह समिति । ा पर्य प्रोतो स तंत्रीका विशोधन संपन्न वर्ग 2018 एक विशेषक प्रश्ने आहरूपण दिशा विशेष में प्रान्त श्रुपनाणा माना अवधी प्रश्नेत्र स्वरूप प्रार्ट प्राप्त पर्या दिशि अपने अपने माने प्रश्नेत्र अस्तर्य अस्तर्य स्वरूप दिलाह = 17.08.2015 से स्वरूपन श्री आपन्यों सुद्धारण के प्रश्नेत्र स्वरूपन में स्वरूपन का माने मोत प्रकृतित से सिहाईन आवेबन हरें।

४ केत काम अर्थन विकासि श्रामा के धेवर के पार भी समस्य है है। हरू स्मीति स्मानस्य भी सेवा अर्थन से क्षे

अंग्रीय कार्यालयः A ii. nguvi ladiya ais,

रेकर पानिन भारता. जेल कान्यतीवस स्वजयपुर, जिला-जूना

ेलाक सुनगह को सुन्ता

क्रम राज्या पर है व रह दन र मन्त्रा है प्राप्त करें के नाम the state of the s Called and the figure of the control of the control

data adua i प्रकार के विकास भारत



अब तक दिले में 1278.6 जैमेमी औरत बादिश दर्ज

प्रभाग कर के अपने के स्वास्त्र के स्वास्त्र

 (\mathcal{L}) book is a silver

्राह्म के जानन कर बहु की की १ हिस्सा आहे हैं पिछ के का प्राप्त शाकी उसमें शिव्य के के पिएंग की की को की प्राप्त अस्ति की भाग के बहु के प्राप्त आपकारी कोवर के कि प्राप्त आपकार क्रिक्स के कहा, समझेशी सिन्द्र

भागन आपनेकों से प्रस्तित पूर्व के बार्ग कर कर है है उसी कहीं है कर हो है जोगान कर दुस्क राज्य में बार्ग देशावल है (अबन साउना में 1) अगरिय कर मा राज्य से प्रमाद से भी कि में अगरिय के पूर्व के प्रदेश हैं हैं क्यार कि मा कि की कि कर से में क्यार कि मा कि की कि कर से

तिक प्रवर्ग केवर वित्र होताओं स्टिप्स के हिंदी हैं

्रसमस्त्रामित्रोतासियो को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर

हादि के शुभवागाएँ

(e) 25

्रशामारः वेद्यः अन्तर्भागार्थिः स्पार्थः। जिला अध्या मिलासा समाज गुना

हरमा विद्यालयागा हश्चम अवसर पर भारतामनाए outency dial Francisco

क् साथ एक आरोपी दश्रीमा पुना(ब्रोटी) । आध्यारी विभाग पुन क्रिया जी दीए व मुकावारी विभाग पुन

मन्। वर्षः द्वीयः व मक्तरावादः स्वयः स्व भागवादः को दोस्तरः एकः ५८ में जापा भारतः कन्न्यो संस्कृतसम्बद्धारिक जातः विकासी

एपिक होर मध्यक्कारो ही वे क्षेत्र होतः करमा शत्य और प्रमान के सुध एक आपने हो हिस्स्स्ट्राहिक के असमित्र किला के बावकार प्रमान भू भूगानर को शुप्तां पर व राम के स्वाय का शुप्तां पर व राम के स्वाय का प्रश्न 22 के बने में स्वाय तो पर वे। जोने में प्रश्न कि स्वारें के प्रश्न के कि 20-22 जीवा को तीन केन के बना जो शाम कराने के प्रपात जान कर निया। याम क्षाय के मानता कर्म के प्रशाद का प्रश्न कर मानता हुई कि मानगा। इसके बात का राम की जान साम के साथ जिला मुख्य तीन का साम का बने स्माय जिला मुख्य तीन कारण था। जान बने स्मायकार में मेर





लोक सुनवाद की स्वला


भाग महार स्थान है के अनुनार कर अने महार कर अने महार है के अपन है

प्रियोक्त से ता स्था में में मिल सून में जिल के 28.48.2015, फिल्म मुक्त में की प्रीती 1.1 कर सभी से प्रसार पिपरीड कर रहती जिला, अयोक्तकार के डा स्वास सकते (स्व. वेडिक प्रतार १७०१) ये दिला के क्ष्य श्रीता में जिलाई का श्रीपक्ष से स्थान इसके जिलाई श्रीता क्या में हैं। कियो यह ज्यान भारते करा का सकते हैं।

्षी मी उद्योगिक) क्षेत्रीय अधिकत्ती

महा, इंदर्सण क्लिसा बार्ड विकल्पुत, जिला-सून

कारां "ख्य नगर पालिका अधिकारी



મારી ઘરેશાની

मधिकाश

प्रभावित

येनाई जा रही स्ववस्था

प्रकार बनाव गर्भ अंदर देन पान भरते की अपन्य आहरी. है। इसका अकरतान हो पाने भागामी की मानस्था है एक जो वहाँ हैं जो के शब्द कियों में पानी शब्द नहीं वह और तहा है? जो संदेश हैं आवा महामदार हैं।

क्री द्वादव महापर उदाव शहा.



म काम कराया जाएगा

प्रक्र एसं क्षांत्रश वर्ष असी श्रेप है। को कर काल नकालों के देशों। यह व 成了。但可是13年6年1月18年1月 प्रभागी यह जाने आहेरा के दाव

ऑटो चालको ने मनाया आजादी पर्व

मुना(ब्यूरो)) स्वकता संस्थाप अंट स्वकतीन विजयसम्बद्धान-१ प्रभूमत प्रस*्टें*ड अस्टा धे कार्मार प्रश्चनान्। भारतात्री अंधे किया यानक के के भने और गांत्रके के लागहामा और फिल्ह लेटी। इस दोवन सर्व के

जेन श्वेताम्बर सोशल गुप ने किया पाँधारोपण

भूति (कारों)। जेन स्ट्रांमा स्ट्रांस प्राप्त क्रमा प्रमुख्य किल्किक प्रवास स क्ष्मपुर है हों ने से क्षारांगण विकास है। अप्रदार महत्त्वर भाग कर मेच वर्ष स्पर्ध राज्य दोस्ट प्रदेश १५ स्तारा केन प्रकृति प्रदेश स्थितिस्थारण विवेश कर्मा १६ स्कृतिस्थारण स्थित कर्मी

जुआ फड़ खेलते तीन को पकड़ा, पांच मौके से भागे

अपनेर(निष्कृष्ट असेने बीक पुलिस्त्रेष्ट - एकट, स्ताल आकड, साला, की सकत पर हे सामावेश कुर पायत्व पर अंगला सीम्बाई (स्वास्त्राही) सामाव देशा है। पुलस ने वीन जुलारियों के किस्सीए प्यार कर निर्देश के जिस्सी मत् लहे रमार्थालसम्बद्धानाम् देश 植典别生物医斑形性神经

3400 हम्म बराज्य, समृद्धे (षडीकार के बोरान (क्षेत्राक भर निगरी किस्सी सम्बद्धाना वारही हैं (बोलार ने इस्सी) में जिलाम भागर रहे जिला है।

(विद्यापति कर्ग १४२५१३५४ १९७० आरे जे. महाद्यानीकी क्रोक्टीजनस्कारिया

Company of the cut designed by a fine of the cut of the

(श.स. त्रवलका सेवीय अधिकता इ.च. प्रथम रियम्भ बोर्ड, विकास मार्ग विकास मान

ं कार्यालय कृषि उपज मंडी शासति श्रीनागंज, जिला-गुण (म.प्र.)

क्रमान/मण्डः/मा /15-16/954

गाजा, वेद्यमाना १०,५४,२०१६

//द्वितोय चाहन नीलामी सुचना//

कर्म हराहर प्राप्त के प्रमुख्य के लिए ज

विस्तवा विषयः विस्तानुसर्वे 🕒 🔻 🗥	and the second		
क्र. दाहर का प्रकार	भाइन	असाम् राज्य	१ भान जड़ा स्टाल
			रहा है।
	XV.	1000-00 Pala 14	
्राष्ट्रीय प्राप्तां के प्राप्ता करें।	2991	5000-00 Kills	हाता व स्प
68 CW 9153		No. 2005 Unit 2002 and 4400.	क्षय सम्ब

र सुक् वा क्षित्रों का रूपकर्ती होते हैं। विवाद १४ १०५ १०१५ के स्टियों कि होते करा शिक्षांदे प्रत्यक्त () - 64-201 कर्न्यसम्बद्ध (00 वर्ष सम्बद्धी प्रतिस्था अन्तरकर्ताः वर्धा क्षेत्रमहाश्वासम्बद्धाः मारक देन है कि है परित के क्षान किया गाउँ गा

सम्बद्ध प्रकारक अन्यपद्ध प्रमाण पर ए र स्थानप्रव के रव कानाए ए को जब उद्देशी ग्रम को राग । किंद्रत को अमस्य काम रुपय रुपय रुपय के राग को शोधकार महिन्द्रीत । प्रजी भी निकार के स्वेतको अस्ति के अस्ति को शोधकार महिन्द्रभी ने हैं। यह अस्ति स्वीण, जिनके क्या सक्षण समान अस्ति क

कृति उपन मण्डी सामित, वीनागंत्र ीवल पुना(म.४०)

हाथ उपज भएको समिति, ब्रोचर्गन जला गुन (म.म.)





क्षेत्रीय कार्यालयः गप्रप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड १७४ पार्किन ऐरिवा गंज काम्पलयस विवयपुर गुना दूरभाष-०७४४४२७४०७४ इ-मेल 10.mpacbguna28@gmail.com

भेशर्स नेशानल बॉटर डेव्हलपमेंह एजेंसी की केन-बेतवा लिक ग्रीजेव्ह फ्रेंस-2. जिला-अशोकनागर की प्रस्तावित लोक सुनवाई दिनांक 18.05.2015 से संबंधित महस्वूपूर्ण छाक की पापती

			(A.K.)
(30)	पत्र क्यांक	दिनांक	संबोधित अधिकारी/कार्यालय का नाम प्राप्तकर्ती के हस्ताकर
7.	6,20	14/8/10	अधारम ।
2.	614	1016]11.	महाप्रवादक दिला उद्योग एवं क्यापीर करेंद्र विकास करेंद्र करेंद्र करेंद्र करेंद्र करेंद्र करेंद्र करेंद्र करेंद्र
4	676	।घ\थ्रीधन	मुख्य कार्यपालन अधिवगरी जिला है। पंचायरा अशोकनगर ।
5.	CIB	14 18/15	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जन्मपत पंचायर, संदेश जिल अशोकनगर । जन्म कार्यपत
6.		Specific Commencer	क्षेत्रीयं कार्यालयं भारत संस्थार प्रयावरण एवं वन मन्नालयं, भीपाल ।

WASHING REPORTED

क्षेत्रीय कार्यालय, न प्र प्रदूषण दियंत्रण वोर्ड टॅकर पंकिंग ऐरिया मेल काण्यलेकर विजयपुर पूजा दूरमाण धरेतनवटरवावट इ. दा कार्यालया में

विजयपुर, दिलाक १६ ०८ २०१०

中間 619

सीतः साहित्याः अवद्यास्ति हरू सन्तरः । ततः । साह स्थातः ।

१ महाप्राचित्र निकार द्वारोग एवं स्थापाल करेंद्र निकार - अवस्थानाता :

- मुख्य क्रावेगालन अधिकारी अभाग व्याचन व्याचन व्याचन विशासकार्यात ।
- अर्थात कार्योक्षर, भारत करकार प्रातंत्रक एवं त्रत अवाक्षर, भारत

विषय:- चेक्पर्क चेत्रामात मीटर डेक्स्सपमेट एचेशी भी वोचा-बेतवा जिक्क प्राचनिक प्रोप्ता 2, विका अयोकतामा होत्. भारत रारकार को चर्चाच्या क्षात्र अधिक्षतमा ईआई.८ -विद्यानिकाल क्षमान प्रक्षिया १५५५ दिनाक १६ ०-२००० के अनुसार लोग सुनवाई की वार्यकारी स्थातः ।

अंग्रेस के ब्लाइर विकास का अपना कार्य कार्य विकास कार्य के अपना कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य

विषयात्तार तोच्छ ते के भेसरों मेशनले दौरत ईस्ट्लपणेट एजेंको छात्र केश-मेसनी क्षिक सोगोहर शेख स किला आमीम्हनसर निर्मातमा तेतु ताल्य सरकार की प्रश्चिती इस ट आमेश्वरणी है अन्य द माने की त्यार स्थानित जन्म कार्य विभाग नर स्थानक के बनुसार संघ्य भूगमाई लगु आग्यहन उन्होंसे किसी है।

भारत विश्वसाथ प्रश्नीवाणी हैंद हम महिल्ल महिला की द्विति होने दिला हैंदिन हैंद

るタル 毎月の 在21前の/女門前 /2045 東南州市 0/C (वी प्री इंकेटरिया) विशेष आंश्रमणी विश्वासपुर हिनाक 14,08 2015

साहराज्य भाइन्द्र हिंग्जा कार्याका पाप इस साहर माहर के एक क्षेत्र हैं है जिसे पाक्षण है है है जो आहार के पाप है इन्द्री आपनी आहार क्षेत्रीय रहे हिंगाओं प्रकार की साहर कि स्वाहर कि स्वाहर की रूप रहे हैं है है है है है है है

Market Control of the Control of the

्य संस्थानीतः सरुषः समित्रार्थः किस्यवृद्धः वृत्ती

3)

विषय:—केन—बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस—2, के अंतर्गत प्रश्तावित लोअर उर बांघ परियोजना ग्राम दिस्ति—। जिला—सिवपुरी/अशोकनगर बावत् राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, (जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार) हेतु मारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 18.09.2015 का कार्यवाही विवरण —

- नारत प्रस्कार, गर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की प्रयावरण प्रमाद आंकलन (ई.आई.ए.) अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 (ई) दिनांक 14.09.2006 को प्रावधानों के अनुसार आवेदक राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सबंध में लोक सुनवाई दिनांक 18.09.2015, दिन- शुक्रवार को शास लोक सुनवाई जिला अधर केलेक्टर श्री एस.के. सेवले की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री पी.सी स्वारिया, क्षेत्रीय अधिकारी, विजयपुर जिला- मुना श्री थे ।
 पर्यावरण प्रभाव अधिकारण की स्वीत बोर्ड के अन्य अधिकारी उनके सहायक के रूप में स्वपरियत्त थे ।
- 2. पर्यावरण प्रमात अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार लोक सुनवाई दिनांक 18.09.2015 के संबंध में आम सूचना का प्रकाशन समावार पत्र "पत्रिका", "नई दुनिया" तथा "हिन्दुस्तान टाइन्स" में दिनांक 18.08.2015 को कराया गया था। प्रस्तावित परियोजना के संबंध में प्रावित्य प्रमात अध्ययन रिपोर्ट, कार्यपालक सार (दिन्दी एवं अंग्रेजी) इस कार्यालय के अतिरिक्त पंचायत अशोकनगर, आर्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अशोकनगर, कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अशोकनगर, कार्यालय जिला (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोहन 3 मोपाल तथा मुख्यालय मड़क प्रदेशण रखता दी गई थी।
- 3. दिनाक 18.08.2015 को लोक सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की और से श्री एच.एन. वीक्षित मुख्य अभियंता (उत्तर), लखनऊ, श्री ओ.पी.सिंह कुशवाह, अधीक्षण अभियंता, नई दिल्ली, श्री एस. सी.अवरथी, अधीक्षण अभियंता न्वालियर, श्री एस.आर.गाडीर, अधिशासी अभियंता, न्यालियर श्री सी.पी.एस. सेंगर, अधिशासी अभियंता, झाँसी, श्री अफरोज आलम, डिप्टी खायरेक्टर लखनऊ, श्री अमर श्री नायक, अधिशासी अभियंता, श्री संजय कुमार सिंघल, सहायक अधिशासी आभिया।, श्री सुरेश बाबू मिश्रा, सहायक अभियंता, इसी प्रकार वाप्कोस से श्री एस.एम.दीक्षित, जप पुरुष अभियंता, श्री सीमत शर्मा, अभियंता, श्री गी.डी.कोरी, कार्यपालन यंत्री, ज.सं.वि., खनियाँधाना, श्री शिवशंकर सिंह गुर्जर, नायब तहसीलदार, आमजनों ने दावे/ आपिता/सुझाव दिये।
 - राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की ओर से श्री ओ.पी.सिंह कुरावाह, अवीधण अभियंता, नई दिल्ली द्वारा श्री एस कं.सेंबले, अपर कलेक्टर, अशोकनगर, श्री एस.आर माहोर, अधिशासी अभियंता द्वारा श्री पी.शी. उधारिया, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्री एस.कं.सिंघल, सहायक अधिशासी अभियंता द्वारा श्री शिवशंकर सिंह गुर्जर, नाथब तहसीलवार, बंदेरी का स्वागत किया गया। इसी तास्त्रन्य में आयोजक प्रप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के श्री आर कं.सोंहेताइ, कार्यपालन यंत्री द्वारा मंद्य का संचालन करते हुए प्रारंत सरकार, व्यावश्य एतं वन मंत्रालय, की अधिसूचना दिनांक 14.08.2008 के अनुसार उपरिधत जनसागान्य को लोक सुनवाई के उद्देश्यों से अवगत कराया गया।

श्री एस.के.सेंबले, अपर जिला कलेक्टर, अशोकनगर द्वारा उपस्थित गांगरिकों को प्रस्ताबित परिदोजना से आसपारा के क्षेत्र के आर्थिक, सांगाजिक तथा रोजगार विकास संबंधी जानकारी का परिचय देकर लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।



申刊 (2)

प्रस्तावित लोअर उर बाव (डैम) परिशोजना के प्रस्तुतीकरण के पश्चात लोक सुनवाई में उपस्थित नागरिकमणों/ग्रामवासियों से परियोजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने, सुझात, आपत्त, टीका टिप्पणी लिखित अथवा मीखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया तथा लिखित प्रश्नों को आमंत्रित करने हेतु "सुझाव/विचार/आपित/टीका—टिप्पणी प्रप्नत" नागरिकों में वितरित कराया गया जिसके फलस्वरूप 71 सुझाव/आपित/विचार प्राप्त हुए जो मूलतः संलग्न है। नागरिकों द्वारा गीखिक रूप से भी प्रमुख रूप से जमीन अधिग्रहण संबंधित जानकारी पूछी गई, जिन पर श्री एस.के.सेबले, अपर कलेवटर, अशोकनगर तथा श्री ओ.पी.सिंह कुशबाह, अधीष्टण अभिग्रता, एन.डब्ल्यू ही.ए., नई विल्ली द्वारा नागरिकों की जमीन अधिग्रहण संबंधी संगरया/जिज्ञासा का समाधान किया गया। श्रप्त लिखित आवेदनों के संबंध में अभिकथन (स्टेटमेंट) तथा आवेदक राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की केन—बैतवा लिंक प्रोजेवट फेस—2. के अंतर्गत प्रसावित लोअर खर बांध परियोजना ग्राम विद्यवनी,िक जिला—शिवपुसि/अशोकनगर के अधिकारियों द्वारा दिए गए उत्तरों को हिन्दी एवं अंग्रेजी नाथा में लिपिबध्द किया गया। उत्तर स्टेटमेन्ट (हिन्दी एवं अंग्रेजी) मूलतः संलग्न है। तदानुसार उपस्थित लोगों के द्वारा प्रस्तुत सुझाव/आपित/विचार/टीका—टिप्पणी के मुख्य बिन्चु निम्नानुसार है —

- पश्योजना में आसपास के ग्रानवासियों की कृषि भूमि तथा भकानी का छिवत मुआवजा देने की मांग प्रमुख छए से की गई है ।
- परियोजना प्रारम्भ होने पर स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की गांग मुख्य रूप से की गई।

केन-बेतबा लिंक परियोजना, फेल-11 के अन्तर्गत लोक्षर उर गांध परियोजना की लोक सुनवाई की सम्पूर्ण कार्यबाही की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई जिसके छायाचित्र एव वीडियों सी.डी मूलतः संलग्न है। सभी बिन्दुओं पर लोक सुनवाई के साराश से नागरिकों को अवगत कराया गया है। परिधोजना से गांववालों की अधिग्रहित भूमि, कुओं, मकानों के मुआवर्ज को और अधिक दिये जाने हेतू प्रभावित लोगों द्वारा मांग की गई है तथा गाँववालों द्वारा स्थानीय नागरिकों को इस परियोजना भें रोजगार की मांग की गई है। परियोजना से गांव वालों हास भविष्य में लान एवं विकास की आशा व्यक्त की गई हैं। तदोपरांत लोक सुनवाई के संबंध में जनसागान्य की आशकाओं का रामाधान होने पर अपर कलेक्टर, श्री एस.के.संबलें, ने कहा कि प्रशावितों को जभीन वर्ग मुआवजा परियोजना प्रारंभ के समय निर्धारित दर अनुसार दिये जाने की बात कड़ी गई। तत्पश्चात श्री पी सी एचारिया क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थानीय नागरिकों को धन्यवाद देते हुए प्राप्त सभी मौखिक एवं लिखित सुझावों, टीका टिप्पणियों, आपत्तियों को मुलतः अधेषित करने बावत आश्वस्त किया गया। लोक सुनावाई की कार्यवाही से प्राप्त निष्कर्त के मुख्य बिन्दुओं को नागरिकों के समक्ष पड़कर सुनाया गया तत्प्रस्चात अगर कलेक्टर हारा जगरिका नागरिकों से अनुमति प्राप्त कर कार्यधाही पूर्ण होने की घोषणा की गई । समस्त गणगान्य नागरिकों को लोक सुनवाई में उपस्थित होने एवं अपने विद्यासे को निनीक रूप से रखने से लिए धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया गया तथा लोक शुनवाई की कार्यवाही समाप्त की गई। म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के श्री आर.के.रोहितारा, कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रशासन, लोजर खर बांध -परियोजना के अधिकारियों सहित जनरा।मान्य का आभार व्यक्त किया गया।

(भी.सी.उद्धारिया) क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विजयपुर, गुना (एस.के.सेवले) अपर कलोक्टर पार्ट

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अशोकनगुरू

3nt unfector

- 5. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की कंम-बेतवा लिंक ब्रोजेबट फेस- 2, वो अंतर्गत प्रस्तावित लोअर उर बांध आम दिवावनी, जिला शिवपुरी/अशोकनगर परियोजना से संबंधित विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के श्री ओ पी सिंह कुरावाह अधीक्षण अभियंता, नई विल्ही, वाकोस के श्री एरा.एम. वीक्षित, उप मुख्य अगियंता द्वारा दी गई, जो निम्नानुसार है :--
- प्रस्तावित बांध स्थल गप्र.के शिवपुरी और अशोकनगर जिले की सीमा पर स्थित तहसील—खनिगाँधाना में ग्राम—दिदावनी के पास छर नदी पर स्थित है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शिवपुरी/दितथा जिलों के पानी की कमी वाले क्षेत्रों को सिंचाई तथा परेलू जल आधुर्ति प्रदान करना है।
- प्रस्तावित परियोजना में कुल 2218 मीटर लम्बा व 45 मीटर छोंचा संयोजित बांघ बनाया जाएगा। नदी के बांघे किनारे पर 91.26 कि.मी. लम्बी गुंख्य नहर प्रश्तावित हैं। लोकर उर बांघ का एफ.आर.एल. 380 मीटर रखा गया है। एफ.आर.एल. पर जलाखादन क्षेत्र 2723.70 हैं क्टेंचर है। परियोजना से शिवपुरी/दितिया जिलों में 329.67 एन.सी.एम पानी का प्रयोग करते हुए 150 प्रतिशत सिंचाई क्षमता की अधिकता सहित 67,570 है क्टेंचर की पार्षिक सिंचाई प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त नहर के आरापास में लगमग 1.65 लाख लोग लागान्वित होंगे।
- प्रस्तावित परियोजना हेतु कुल 3730 हैक्टेयर भूगि की आवश्यकता है। जल जावन क्षेत्र और नहर नेटवर्क के अंतर्गत आने वाली कुल गूमि कमशा 272370 और 1006 हैक्टेयर है। परियोजना के लिए लगभग 1038 243 हैक्टेयर वन भूगि को अधियहित किया जाएगा।
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्छदार व पुनर्वास अधिनियम 2013 में खिल मुआवजा न पारवर्शिता के अधिकार के प्रावधान की ख्यान में रखा जाएगा तथा परियोजना प्रभावित परिवारों हेतु पुनर्यधार योजना की तैयारी हेतु श्रेष्ठ तिकल्पों की सिकारिश की गई है।
- सभी परियोजना प्रभावितों को जो विस्थापित होंगे सन्हें 150000.00 प्रति परिवार की दर रो आवास निर्माण सहायता दी जाएगी।
- पशु गृह के निर्माण हेतु 25000 रह न्यूनतम या सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अधिसूचना के अनुसार जपयुक्त एक बार की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- प्रत्येक विस्थापित परिवार को परिवार शिष्ट करने, भवन सामग्री, सामान तथा पश्जों हेतु 50000,00 रह.
 की एक बार विस्तीय सहायता दी जाएगी।
- भूमि खोने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार को वार्य की तारीख से एक वर्ष की अवधि हेतु 3000.00 रक्त
 प्रतिमाह के समतुल्य मासिक जीविका पत्ता दिया जाएगा।
- अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित अनु.जा, व अनु.जन.जाति को जीविका भक्ते के आंतेरिक्त 50000.00 का क्षेत्र
 समलुल्य राशि प्राप्त होगी।
- प्रत्येक प्रयादित परिवार को एक बार 50000,00 रू का पुनर्वास भत्ता दिया जाएगा।
- पुनर्वास व पुनर्रध्दार योजना के कार्यान्वयन हेतु 23891.522 लाख रू का कुल बजट एखा गया है।



Φ+7 ____(3)

रास्ट्रीय जल विकास अभिकरण की केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेरा-2 के अंतर्गत प्रस्तावित लीजर उर बांध परियोजना ग्राम दिवाबनी, जिला-शिवपुरी/अशोकनगर हेतु "शासकीय माध्यमिक विद्यालय भिपरौद, विकासखण्ड-चंदेरी, जिला- अशोकनगर (म.प्र.)" में दिनांक 18. 09.2015 को सम्पन्न लोक सुनवाई के दौरान जनता द्वारा उठायें गये मुददों का विवरण एवं

आवेदक का नाम	annes no en	
आ लोहर सिंह परिहार पु श्री लोहनसिंह परिहा ग्राम-तिहरीरा नोहनपुर चंदेरी जिला-अशोकनगः 37697031953	हमारे परिवार का एक सदस्य र नैकरी में लिया जाये। हमारे परिवार को रहने के लिए ज्योग दी जाये। मुआवजा 10 लाख बीधा की दर से तथा पत्कें एवं कन्ने मकानों/ झुन्मियों का वर्गफुट के हिसाब से बाजार रेट से मुश्यमा दिया जाये।	पात्रता व जरकारी नीति अनुसार रोजगार विद्या जाएगा। भूमि अधिग्रहण, पुनर्थास पुनरूद्धार अधिनियम 2013 उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता व
त्रा संधम ।सह आदियासी ग्राम-लिघोरा, जिला- अशोकनगर	बीधा मुआयजा चाहिये। प्रत्येक परियार के एक सदस्य को नीकरी दी जाग्रे। कृशि के कार्प निःशुल्क किए जाये। रहने के तिए प्लाट दिया जाये तथा मुआवजा सीधे बैंक खाते में जाला जाये।	परियोजमा प्रमावित परिवारों को गन्ता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रमावित परिवारों की देखभाल हेतु सर्वातेन का प्रावणान जीविका गिजना में दिया गया है। भूमि एविग्रहण, पुनर्वास व गुनरूढ़ार अधिकार के जिल्ला मूमि म मकान का आवजा दिया जाएगा। आवजा दिया जाएगा। आवजों की स्थि प्रमावित परिवारों में सीधे मंजी एसी।
पोकन्गर ।	भए मुआवजा का प्रावधान	and suitail
भी पीतम सिंह राजपूत ज भी पीतम सिंह राजपूत ज ख्याबदा, जिला मा विकनगर, 9407200102 लं दि	व क्षत्र की जमीन के बदल जि मोन, मकानों के बदले उप मान दिये जाये। जिल जाए गों को मुख्यवजा देना है व है एक साल पहले मुख्यवजा चिट या जाये लांकि वे अपना अधि स्ताय प्रारम्भ कर सकें। मका नपीओं का मुखावजा भी सरव	ता प्रशासन द्वारा मूमि की लब्बता का निर्णय लिया रंगा। भूमि अधिप्रहण, पुनर्वास पुनरूद्धार अधिनियम 2013 में ता मुआवजा तथा पारदर्शिता के कार के अनुस्तर मूमि व न का मुआयजा दिया जीएगा जरी नीति के अनुसार वृक्ष का वजा दिया जाएगा।
	श्री जाहर सिंह परिहार पुःशी लोरनसिंह परिहार पुःशी लोरनसिंह परिहार पुःशी प्राम-तिहाँस लोहनपुर चंदेरी जिला-अशोकनम् अतिशर्भा सिंह आदिवासी प्राम-तिहाँस, जिला-अशोकनगर अशोकनगर जिला-विहास सिंह आदिवासी प्राम-तिहाँस, जिला-अशोकनगर विहास सिंह राजपूल है विहास सिंह राजपूल है विहास सिंह राजपूल जिला-विहास जिला-विहास जिला-विहास है विहास सिंह राजपूल जिला-विहास जिला-	श्री जाहर सिंह परिहार पुत्र हमारे परिवार का एक सदस्य में करों में लिया जाये। हमारे परिवार का एक सदस्य परिवार का एक सदस्य परिवार का एक सदस्य परिवार का एक सदस्य परिवार का रहने के लिए जारित ये जाये। अवका 10 लाख ग्रीचा की वर से तथा पर्के एवं कन्ने मकानों श्रीच्या का वर्गफुट के हिसाब से वाजार रेट से मुकावजा प्रया नाये। भी बलवान आदिवासी पुत्र हमारे लिए का 10 लाख प्रति ही स्वाय परिवार के एक सदस्य को नीकरी दी जाये। कृशि के कार्य नीकरी दी जाये। कार्य तथा सुआवजा सीचे वैक खाते में वाला जाये। जगरथसिंह, रामदीन पुत्र अपम, अम्रकद, नींबू तथा स्वीतायहन के लिए जाये। विवासी विवासी जाने वाला जाये। जगरथसिंह, रामदीन पुत्र अपम, अम्रकद, नींबू तथा स्वीतायहन इत्यादि पहीं के मुस्तिवायहन किया जाये। जगरथसिंह, रामदीन पुत्र अपम, अम्रकद, नींबू तथा स्वीतायहन इत्यादि पहीं के मुस्तिवायहन किया जाये। जगरथसिंह, रामदीन पुत्र अपम, अम्रकद, नींबू तथा स्वीतायहन इत्यादि पहीं के मुस्तिवायहन किया जाये। जगरथसिंह, रामदीन पुत्र जाने के बदले जिल जाने स्वाया को अप्रवाय जाने विवे जाये। जिल जान विवे जाये। जान विवे जाये। जिल जान विवे जाये। जान व

	पुत्र श्री रघुवीर सिंह राजपूत	परियोजना के तहत दिया	
	चंदेरी जिल- अशोकनगर	जाये। प्रक्ते मकान बनाये जाये। परिवार के एक सदस्य को नौकरो तथा पेड़-पौघों का मुआवजा भी दिया जाये।	उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा भूमि के मूल्य का निर्णय लिया जाएगा। परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। सरकारी नीति के अनुसार पृत्तों का मुआवजा दिया जाएगा।
6	श्री ओमपाल सिंह केवट पुत्र श्री नथ्यूलाल केवट, ग्राम–पिपरौद, जिला– अशोवन्तगर, 8989242594	निवेदन है कि मुझे बांघ बनने में कोई आपस्ति नहीं है और हम नीव वालों को नौकरी दी जाये।	परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इराके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखमाल हेतु संबर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है।
7	श्री इंदरसिंह गुर्जर पुत्र श्री जवर सिंह गुर्जर ग्राम रक्तेरा, तह.चंदेरी, जिला– अशोकनंगर	भेरा मूल कार्य कृशि है अतः अधिक से अधिक मुआवजा दिया जापे एथा मेरे बच्चों को नौकरी दी जाये।	नूमि अधिग्रहण, पुनर्घास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। परियोजना प्रभावित परिवारों को पानता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है
8	श्री जानकी पुत्र श्री गम्भीरा, ग्राग–रख्तेरा, जिला– अश्लोकनगर	मेरी जमीन ड्रूब्येत्र में है। कृपया दुझे जमीन के बदले जमीन तथा पेड पीधों का मुआवजा दिया जाये।	जिल प्रशासन द्वारा भूमि की उपलब्धता का निर्णय लिया जाएगा। सरकारी नीतियों के अनुसार वृक्षों के लिए मुआवजा दिया जाएगा।
9	श्री शरीफ खाँ पुत्र श्री अकबर खाँ ग्राम-रख्तेस, जिला– अशोकनगर	ग्राम-स्क्तेरा का रहने वाला हूँ मेरी जमीन में जितने पेड़ लगे हैं जनका रिकॉर्ड कंगजों पर लिया जाये।	मुआवजा देने के लिए सभी विद्यमान यूक्षों के रिकार्ड को ध्यान में रखा जाएना। सरकारी नीतियों के अनुसार वृक्षों के लिए मुआवजा विया जाएमा।
10.	श्री लाजीराम पुत्र श्री भगवान लाल, ग्राम-ख्यावदा, जिला– अशोकनगर	मेरी जमीन बांध के डूब क्षेत्र में है। मेरी जमीन का उचित मुआदजा तथा पवका मकान मिलना बाहिये।	भूमि अधिग्रहण, पुनर्मास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में जियत मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा।
11	श्री विश्वनाथ सिंह सोलंकी	15 लाख रू मुआवजा दिया	परियोजना प्रभावित परिवारों को

तहसील-चंदरी जिला- अशोकनगर जिला-		पुन [*] श्री कोगल सिंह सोलर्ड ग्राम-ख्यावदा, तहसील-चंदेरी, जिला- असोकनगर	गवना के बदले मकान दिया अनुसार रोजगार दिया जाएग जाये। जो जमीन खरीदे मूर्मि अधिग्रहण, पुनर्वास उसकी रिजरट्री खर्च न तिया पुनरुद्धार अधिनयम 2013 जाथे। हमार प्रशुओं का भी पुआवजा दिया जाये। अधिकार के अनुसार मूर्गि सामान जाने के जाने हैं जाएंगा
निवास है कि मेरे परिवार में भूमि अधिवहण, पुनर्वास है परिवार में भूमि अधिवहण, पुनर्वास है परिवार में मूर्ग कार्य क्षित्र हैं। भर्ग मूर्ग उपल्वाह अधिनयम 2013 में अधिक मुआयजा तथा मेरे वच्चों यो भीकरी थे जाये। अधिक मुआयजा तथा मेरे वच्चों यो भीकरी थे जाये। अधिकार के अनुमार भूमि के वालता य संस्कारी नीति के जानुसार रोज्यात परिवारों की देखमाल हेतु संवर्धन का प्रावचन जीविका योजना में दिया था है। अधिकार के प्रावचन जीविका योजना में दिया था है। अधिकार के प्रावचन जीविका योजना में दिया था है। अधिकार वर्षाय परिवार के परलाह सिंह राजपूत परवार के एक सदस्य के नीकरी दी जाये। 10 लाख एकड़ के तिसार से मुआवजो दिया जाएगा। इसके अशिकार मुगर अथिकार योजना परिवारों की देखमाल हेतु संवर्धन में रोज जाये। वित्रास के हमारे परिवार में रोजयात दिया जाएगा। इसके अशिकार के अशिकार के अशिकार के अनुसार परिवारों की देखमाल हेतु संवर्धन का प्रावचन योजना में दिया जाय योजना योजना योजना में दिया जाय योजना य		पुत्र श्रा जसस्य सिंह राजपूत ग्राग-ठ्यावदा, तहसील-चंदेरी, जिला- अशोकनगर	निवंदन है कि मैं जपने जिला प्रशासन द्वार भूमि के प्राम-ख्यावदा में कृषि का पात्रता की पुश्टि की जाएगी कार्य करता हूँ और 10 वीघा परियोजना प्रमादित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के पद्दा नहीं हुआ है। कृपया जनुसार रोजगार देया जाएगा । इसके अतिरिक्त, परियाजना प्रमादित परिवारों की देखमाल हेतु सवर्धन का प्राचार ने
प्राम-ख्यावदा, तहसील-चंदेरी, जिला- जर्मन ज्यापन होते में है। जिला प्रशासन होते सूमि की जपलहादा का निर्णय जिला- अशोकनगर कर करे। 15 श्री जग्नपात सिंह राजपूत के एक सदस्य को नीकरी दी जाय। 37 अभ बलवीर सिंह राजपूत के एक सदस्य को नीकरी दी जाय। 38 ज्ञाकनगर किला- जर्मन कर को नीकरी दी जाय। 38 ज्ञाकनगर किला- के एक सदस्य को नीकरी दी जाय। 38 ज्ञाकनगर के एक सदस्य को नीकरी दी जाय। 38 ज्ञाकनगर, 9406952452 किला- के एक सदस्य को नीकरी दी जाय। 38 ज्ञाकनगर, 9406952452 किला- के एक सदस्य को नीकरी दी जाय। 38 ज्ञाकनगर, 9406952452 किला- के एक सदस्य को नीकरी दी जाय। 38 ज्ञाकनगर, 9406952452 किला- के एक सदस्य को नीकरी दी जाय। 38 ज्ञाकनगर, 9406952452 किला- के एक सदस्य को नीकरी दी जाय। 38 ज्ञाकनगर, 9406952452 किला- के एक सदस्य को नीकरी दी जाय। 38 ज्ञाकनगर, 9406952452 किला- के एक सदस्य को नीकरी दी जाय। 38 ज्ञाकनगर, 9406952452 किला- के एक सदस्य को नीकरी दी जाय। 38 ज्ञाकनगर, 9406952452 किला- के एक सदस्य को नीकरी दी जाय। 38 ज्ञाकनगर, 9406952452 किला- के एक सदस्य को नीकरी दी जाय। 38 ज्ञाकनगर के एक सदस्य को नीकरी दी जाय। 38 ज्ञाकनगर के निर्णय किला- क्ला- को निर्णय को ज्ञाकनगर के प्रशासन के लिला- प्रशासन के लिला- ज्ञाकनगर के लिला-			10 सदस्य है। मेरा भूल पुनर्कास व पुनर्कास है। मेरा भूल पुनर्कार अधिनयम 2013 में उदित मुख्यान तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुखादका दिया जाएगा। परियोजना प्रमायित परिवारों को पात्रता च संस्कारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रमायित परिवारों को पात्रता च संस्कारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रमायित मंदिनारों की देखमाल हेतु संवर्धन का पात्राव करें
तहसील-चंदेरी, जिला हिसाब से नुआवज़ों दिया अतिरिवत, परियोजना प्रभावित जारे जिससे के हमारे परिवार में विद्या गण प्राथवान हिता को संवर्धन सके। साथ ही सब सुविधाय दिया गण प्राथवान जीविका योजना में दिया गण है। मूसि अधिराहण, पुनर्वास व पुनलद्धार अधिनियम 20°3 में उचित मुआवज़ों तथा पारदर्शिता के अविकार के अनुसार गणि व प्रभाव		ग्राग-ख्यावदा, ग् तहसील-चंदेरी, जिला- ज अशोकनगर	री जमीन द्वक्षेत्र में है। जिला प्रशासन हारा सूमि की पथा वितमा जमीन जाएगी उपलब्धता का निर्णय क्षिया तनी ही जमीन देने का जाएगा।
प्रशासन द्वारा भूमे की उपलब्धता का निर्णय लिया जाएगा।	3	हसील-चंदेरी, जिला हिर प्रशोकनगर, 9406952452 जा न सर्वे	वै। 10 लाख एकड के राजगार देया जाएगा। इसके साथ से मुआवज़ा दिया अतिरिक्त, परियोजना प्रमाधित परिवारों की देखमाल हेतु संवर्धन का अध्यान जीविका योजना में विया गया है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वार प्रिवारों के अनुसार प्रश्तिता के अधिकार के अनुसार मूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा भूमें की व्यापमा। जिला

	अशोकनगर	STALL AND THE	
4		जानीन दी जाये। पेडों का उद्यित मुआपजा दिया जाये।	उपलब्धता का निर्पंग तिः जारगा। सरकारी नीति । अनुसार वृक्षां का मुआवजा दिर जाएगा।
17	नरायण सिंह ग्राम नयाखेडा, तहसील-चदेश जिला- अशोकनगर	बुछ मी कर सकते हैं। हमें कोई आगस्ति नहीं है।	
10	श्री संग्राम सिंह पुत्र श्री मौजीलाल ग्राम-ख्यावदा, तहसील-चंदेरी, जिला- अशोकनगर	मिलेगा? वया जमीन के बवले जमीन मिलेगी? मकान के लिए जमीन मिलेगी? बच्चों के स्कूल की क्या व्यवस्था होगी?	भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास र पुनरुद्धार अधिनियम 2013 है उचित मुआवजा, तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा भूमि की तपल्डाता का निर्णय लिखा
19	श्री संस्था पुत्र श्री कुंजा ग्राम-बिठला, जिला- अशोकनगर	हैं। परिवार के एक सदस्य हैं को नौकरी दो जाये। 10 व लाख एकड़ के हिसाब से इ मुआवजा दिया जाये। मेरी प्र पूरी जमीन सिवित है। स	हाएगा। सियोजना प्रभावित परिवासे को सियोजना प्रभावित परिवासे को सियोजना व सरकारी नीलि के स्नुसार रोजगार दिया जाएगा। सक्छे अतिरियट, भिरेयोजना भवित परेवासे की देखभाल हेयु। वर्धन का प्रावधान जीविका जिना में दिया गया है। भि अधिग्रहण, पुनर्वाम व सिकहार अधिनियम 2013 में चेत मुआवजा स्था पारवर्शिता के देकार' के अनुसार मूमे व
20	य व	ांघ बनने पर हमारी जमीन भूरि (एपी) जमीन का मुआवजा पुन हतना मिलेगा। बांध बनना उरि हिंदो परंतु मुआवजा अच्छा अधि	में अधिग्रहण, पुनर्वास व रुद्धार अधिनियम 2013 में रत मुआवजा तथा पारदर्शिता हो कार के अनुसार प्रति व
	ग्राम-ख्यावदा, तहसील- जा वंदेरी, जिला-अशोकनगर	मीन के बदले जमीन दी जिल चै। उपत	ा प्रशासन द्वारा नूमि की विद्यात का निर्णय किस्सारम्य
11.5	जेला-अशोकनगर जर्म कर बना है जनी	गोन की जमीन छूप में आ जिल है। विना खेती एवं उपल ोन गाँव में सहकर क्या जाए गे 7 इसलिए बांध न परिवा	जाएगा। प्रशासन द्वारा मूमि की ध्वता का निर्णय लिया । परियोजना प्रभावित से को पान्नमा व सरकारी के अनुसार रोजगार दिया । इसके अतिरिक्त जना प्रभावित परिवारों की

į

28	श्री मंगराम अहिरव ग्राम-लिबीरा, जिला-अशोक-गर, 8989143360	ार, लेकिन एमारे लिए 10 ल क बीधा मुआवजा चाहि हमारे लिए नीकरी दी ज रहने के लिए जगह दी ज हमारे जो काम कृशि के व हैं. जैसे लुऑं, पेंड प रिकॉर्ड में निशुल्क चड़ जाये। मुआवजा सीधे ह खाते में जला जाये।	नाह्य पात्रता च सरकारी मीति कं इये। अनुसार रोजगार दिया जाएगा। वये। इसके अतिरिक्त, परियोजना व्ये। प्रभावित परिवास की देखभाल हेतु कर्क संबर्धन का प्रावधान जीविका वीध योजना में दिया गया है। भूमि इये अधिग्रहण एनवीस व पुनक्तदार वैक अभुसार मूमि व मकान का मुआवजा दिया ज्याएगा। सरकारी नीति कं अनुसार वृक्षों का मुख्यवजा दिया जाएगा। निर्धारित मुआवजा की राशि प्रभावित व्यक्ति के सीधे
24	श्री हनुसर्रा सिंह गुर्जर पुः श्री दधाराम गुर्ज ग्राम-रख्तीरा, जिला-अशोकनगर	त्र पेड पौधाँ का मुआवजा दि र जाये।	या सरकारी नीति के अनुसार वृद्धों का मुआवजा दिया जाएगा
25	श्री उदलसिंह गुजेर पुत्र श्री आलराम ग्राम-रक्तेरा, तह -चंदेरी, जिला-अशोकनगर	50 प्रतिशत मुआवजा देने व स्वीकृति देने की कृपा कर परिवार के एक सदस्य क नॉकरी दी जाये। डूब की की जमीन का पूरा मुआवज दिया जाये	ति पावता च सरकारी नीति के । अनुसार शेजगार दिया जाएगा। जो इसके अतिरिक्त परियोजना मार्थित परियोजना मार्थित परियोजना मार्थित परियोजना मार्थित परियारा को देखमाल हेतु । संपर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है 'मूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरूद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथ पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार मूमि च मकान का मुआवजा दिया जाएगा। सरकारी नीति के अनुसार चूहीं का
26	ग्राम-श्रीठला, तहःचंदेशे, जिला-अशोकनगर	पेड पीधों का उचित मुआवजा दिया जाये।	सरकारी नीति के अनुसार वृक्षी, कुओ का मुआवजा दिया जाएगा।
27	श्री कृपाल सिंह राजपूत पुत्र श्री राजाराम सिर्ह अशोकनगर	जमीन, कुंआ, और म्कान का सही मुआवजा दिया जाये और तमारी जमीन पर कुंआ दर्ज नहीं किया गया है उसे खसरा खतीनी में दर्ज किया जाटे।	सरकारी नीति छ अनुसार वृक्षां, कुओं को मुआवजा दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास च पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में जिवत मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूगि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा।

7-11-15

28	श्री आनंद सिंह पुत्र श्री भारत सिंह ग्राम—बीठला, जिला—अशोकनगर	हमांचा गाँत दूसक्षेत्र में आ रहा है। अतः प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकर्र दी जाये। जमीन के यदले जमीन दी जाये अथवा 10 लाख का मुखायजा दिया जाये।	पात्रता व संस्कारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा।
29	श्री कोमल पुत्र स्व.श्री सिरयार ग्राम-रक्तेर, जिला-अशोकनगर	हमारा गाँव ड्वक्षेत्र में आ रहा है। अत प्रत्येक परिवार के एक सहस्य को नौकरी दी जाये। जमीन के बदले जमीन दी जाये अध्यक्ष 5 लाख यीघा की दर से मुआवजा दिया जाये।	परियोजना प्रमावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रमावित परिवारों की देखनाल हेतु संवर्धन क प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा भूमि की उपलब्बता का निर्णय लिया जाएगा। भूमि अपिग्रहण, पुनर्वारा व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा।
30	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री कत्याण सिंह ग्राम-रक्तेश, जिला-अशोकनगर	हमारा गाँव जूबक्षेत्र में आ रहा है जिससे मेरा व अन्य लोगों की जीविका प्रमावित हो रही है। अतः प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नीकरी दी जाये। जमीन के ब्यक्ते जमीन ही जागे अथवा ६ लाख यीघा की दर से मुआवजा दिया जाये।	परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखनाल हेतु संवर्धन क प्रावधान जीविका योजना में दिया गया है। जिला
31	श्री कृगाल सिंह अंदिरवार, पुत्र श्री हरीरम अहिरवार ग्राम–तिधीरा, जिला–अशोकनगर	हमारे लिए 10 लाख रू बीघा मुआवजा चाहिये। हमारे लिए नौकरी दी जाये। रहने के लिए प्लाट दिया जाये। हमारे जो कम कृशि के रूके है, जैसे कुआँ पेड पौधे रिकॉर्ड में निशुल्क चढाये	परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी मीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रमावित परिवारों की देखभाल हेतु संदर्धन का प्राप्त्यान जीविका

Ł

¢ +

#

		जाये। मुआवजा सीघे वैक खारों में डाला जाये।	अधिनियम 2013 में लियत मुआवज तथा पारदर्शिता के अधिकार' वे अनुसार भूमि व मकान क मुआदजा दिया जाएगा। मुआवजे की राशि प्रभाविश के बीक स्थात ब
32	श्री इमरत सिंह पुत्र भगुनलाल गुज ग्राम-ख्याचरा, तहसील चंदेरी, जिला-अशोकनगर	रि. जमीन है। इस 05 माई है। निवेदन हैं कि हमें आप जगीन	सोधे मेजी जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा मूमि की उपलब्धता का निर्णय लेखा जाएगा।
33	श्री योक्तुल सिंह लोघी पु श्री गोक्तुल सिंह लो ग्राम-लिघौर जिला-अशोकनगर 9406578690	व हमारे लिए 10 लाख रू गीधा मुआवजा जाहिय। हमारे लिए नैकरी दी जाये। रहने के तिए प्लाट दिया जाये। हमारे जो काम कृषि के रूके है, जैसे मुझाँ, पेड़ पीधे रिकॉर्ड में निशुक्क चढाये जाये। गुआवजा एक किस्त में सीधे बैंक स्थाते में डाला उ	मृगि अधिग्रहण, पुनर्वास प पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उधित मुआवजा तथा पारदाशेतः के अधिकार के अनुसार मृगि व मकान का मुआयजा दिया जाएगा। परियोजना प्रमाविव गरिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रंजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना म्मावित परिवारों की देखभाल इंद्रु पवर्षन का पाक्मान जीविका गंजना में दिया गया है। रुकारी नीति के अनुसार कृषों का आयजा दिया जाएगा। मुआवजे है जारि प्रभावित के बैंक खाते में
	श्री जञ्चरथ सिंह आदिवासी पुत्रं श्री ग्वारसा आदिवासी डाम वैरसिया, जिला–अशोकनगर	जमीन के बदलें जमीन तथा है। मकान दिया जाये था 10 ल	तिथे भेजी काएगी। तला प्रशासन द्वारा भूमि ।गत/मुआवजे का निर्णय लिया ।एना।
100		मेरे गाँव की जमीन हुव में आ परि रही हैं, जिसमें मेरी जमीन भी पाल हैं। अत प्रत्येक परिवार के अनु एक सदस्य को नीकरी दी इस जामे। 20 लाख बीचा की प्रभा देर से मुआवजा दिया जाये। संबध मुआवजे की सिंग बेंक खाते योज में जमा की जावे। पूर्मि पुनस् चित्रां मुआवजे की साम बेंक खाते योज मुम्मि	सार रोजगार दिया जाएगा। के अतिरिक्त, परियोजना

36	श्री वीर सिंह गुर्जर पुत्र श्री लालाराम गुर्जर ग्राम–माण्डरी, तहसील–चंदेरी, जिला–अशोकनगर	मेरे परिवार में 15 सतस्य है। मेरा कोई भी व्यवसाय नहीं है। मेरा कार्य कृशि हैं। जमीन डूब क्षेत्र में आने से मेर परिवार वर्बाद हो जाएगा। अतएत निवंदन है कि अधिक से अधिक मुआवजा दिया। जाये।	पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा।
37	श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री गोकुल सिंह, ग्राम—लिधौरा, जिला—अशोकनगर	मेरे गाँव की जमीन पूर्णतः हूब क्षेत्र में आ रही है। दूसरी जगह कहीं भी जमीन नहीं मिल रही हैं। अल मेरी जमीन जिस गुणवत्ता की है उसी गुणवत्ता की जमीन तथा उत्तनी ही जमीन मुझे तथा गाँव के प्रत्येक परिवार को दी जावें।	उपलब्धता का निर्णय लिया जाएगा। 'भूनि अधिग्रहण, पुनर्वास ब पुनरूद्धार अधिनियम 2013 में उचित गुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा।
38	श्री वीरेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र श्री महाराजसिंह गुर्जर, ग्राम—कुपगढ़ जिला अशोकनगर	हुआ था। ऐसा न हो कि शासन से लाम भी न मिले और जनीन भी दूव जाये।	पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा निश्चित रूप से दिया जाएगा। ऐसा कदापि नहीं होगा कि आपकी जमीन भी चली जाए और शासन से लाभ भी
39	धन्तालाल अशोकनगर, 9691502631	बांध में मेरी 30 बीघा जमीन डब में आ रही है।	आपको बांध के यनने से कोई आपत्ति नहीं हैं। यह टिप्पणी सराहनीय हैं।
40	पुत्र श्रा नाश्रूराम आहरवार, ग्राम–लिधौरा, जिला–अशोकनगर	हमारे लिए कोई आपरित नहीं	इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों की देखमाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका धोजना नें दिया गया है। सरकारी नीति के अनुसार वृक्षों, कुशों का मुआवजा दिया जाएगा। नुआवजे की राशि प्रमावित के यैंक खाते में सीधे भंजी जाएगी।
41	श्री रामसिंह पुत्र श्री धूगन सिंह ग्राम–भाण्डरी, जिला–अशोकनगर	इस बांध से कोई आपिता नहीं हैं। मेरी जमीन जो प्राम-रक्तेश में हैं, दुब में जा रही हैं। जमीन तथा पेड़ों का उचित मुआवजा चाहिये ताकि मेरे परिवार का पालन पौशप हो सके।	सरकारी नीति के अनुसार वृक्षी, कुओं का पुजाबजा दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व गकान का मुआवजा निश्चित रूप से दिया जाएगा।

42	ख्वाजू खाँ ग्राम–भाण्ड राहसील–चर्चरी, जिला–अशोकनगर	री, है। जमीन का ज्यादा ज्यादा मुआवला दिया जाये।	र पन्छतार अधिकाम अवस्थ
43	श्री गोविंद सिंह रातौद्ध पु श्री कमल सिंह राठौ अशोकनगर	व इस परियोजना से जितने या इस में आ रहे हैं, उन परिवा के ग्रेज्यूट सदस्य को नौकर दी जाय। पेढ़ पाँचे, कुंआ व तिए भुआवजा की व्यवस्था। या नहीं ?	म परियोजना प्रभावित परिवारों क र पात्रता च राएकारी नीति व ते अनुसार शेलगार दिया जाएगा है इसके अविदेशन परिके
44	श्री पवन सिंह यादव पुर श्रीपत सिंह ग्राम-लिघोरा तहसील चंदरी जिल-अशोकनगर, 5424725231	, करते हैं तो 12 लाख दीचा के	पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के असमार स्थि
ēā		पिछड़े इलाके में बसे होने के कारण हम अत्यात दुखी है। कृपया बाध नहीं बने या कलेक्टर रेट से 10 मुना मुआवेजा मिले. तभी हम लोगों को रोजी संदर्धी मिलेगी। क्योंकि जंगल में हम लोगों को मवेशी से अधिक लाम था। इससे हमारी रोजी रोटी पूर्ण रूप से थी।	भूमि अधिज्ञहाण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनेयम 2013 में उचित मुजाबजा तथा पारतर्शित के अधिकार' के अनुसार भूमि व गकान का मुआवजा निश्चित रूप स दिया जाएगा।
	ग्राम—बीवला	निवेदन है कि जो 12 मान है	जेला प्रशासन होता भूमि की प्रलब्धता का निर्पंध लिया ग्राएगा।

	श्री मोनू राजा पुत्र सीताराम सिंह राजा ग्राम—बीवला, तहसील—चंदेरी, जिला—अशोकनगर	पूर, अपने हाल में छोड़कर ले उर बॉह का निर्माण किया जाये।	हमें परिगोजना क्षेत्र के विकास के लि अर आवश्यक है। हानिकर प्रमातों व नहीं कम करने हेतु विस्तृत पर्यादरणी बीजना तैयार किया गया है प्रमावित परिवासें की नियमानुसा उचित गुआवजा विया जाएगा।
48	यादवं ग्राम-लिधौरा, त चंदेरी, जिला-अशोकनगर		परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। हानिकर प्रभावों के कम करने हेतु विस्तृत पर्यावरणीर योजना तैयार किया गया है प्रनावित परिवासें को नियमानुसार प्रचल मध्यवना विकास
50	अशोकनगर	अ हम आदिवासियों को द विभाग के पढ़िट दिये गये हैं उस भूमिं का नुआवजा मिले या नहीं। कृपया सूचना देवे।	ान सरकारी नीतियों के अनुसार है। जनजातियों को वन भूमि का मा मुवाबजा भूमि अधिग्रहण, पुनवांस व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुअवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा निश्चित रूप से विया जाएगा।
	श्री बलराम पुत्र श्री भगवद सिंह ग्राम-पिपरीद जिला-अशोकनगर	में ब्रांघ का समर्थन करता हूँ भराव क्षेत्र के कारण हमा कुंडों में पानी रहेगा तथा पीने के पानी के हैण्डपंप भी घलेंगे। ग्राम पिएशेंद की जमीन को सिचाई की सुविधा प्रदान करने का कश्ट करें।	रे गाँवों में सिंचाई सुविधाएं देने की संभावन शामिल नहीं हैं इस पर परियोजना के कार्यान्वयन के समय
51	श्री फूलसिंह पुत्र श्री मैंदालाल ग्राम-पिपरौद, जिला-अशोकनगर	नहीं है। अत लीअर उर बोध से नहरों के माध्यम से पूरे क्षेत्र में सिंचाई की मुविधाय प्रदान करें। मेरे खेत में कुंआ या द्यूबवेल लगायें जाये।	गांवां में सिवाई सुविधाएं देने की संभावना शामिल नहीं हैं इस पर परियोजना के कार्यान्वयन के समय
52		निवेदन हैं कि इमारे गकान का मुआवजा चंदेरों के दर से वर्गफुट से दिया जाये। हमारे नाम की जमीन नहीं है। हमारे बच्चों का पालन पोशण कौन करेगा। हम बन भूमि जबरदस्ती जोतंगें।	भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासं व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान आदि हेतु मुआवजा दिया जाएगा।
1	श्री गोकुल सिंह पुत्र श्री । भगुन सिंह, ग्राम-लिधौरा, । तह.चंदेरी, जिला-अशोकनगर	त्याक डम बन्त से छने बहुत ररेशानी होगी।	परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। हानिकर प्रभावों को कम करने हेतु विस्तृत पर्यावरणीय योजना तैयार किया गया है।

54	न्यासीलाल, ग्राम-लिघी सह बंदेरी, जिला—अशोकनगर 8226016548	हमार नामांतरण, क्टवारे । जाये। जिसकी जमीन उसी के बैंक खाते मुआवजा साँगे हाली ज रहने के लिए शहर में फ मिलना चाहिये और राज विभाग से संबंधित सभी व निभालक किये जाये।	वि। पुनरुद्धार अधिनेयम 2013 केय उचित मुआवजा तथा पारदर्शित र है अधिकार' के अनुसार भूमि र भ भकान आदि छेतु मुआवजा दिय जाएगा। हैट पुजावजे की राशि प्रभावित परिवार
55	श्री समपाल वंशकार पुत्र श्र गुलाब वंशकार ग्राम-लिधौरा, लह चंदेरी जिला-अशोकनगर, 8089836354	. मुआवजा चाहिये। प्रत्ये परिवार के एक लढस्य नौकरी दी जाये। रहने लिए प्लाट दिया जार हमरे जो काम कृषि के स है. जैसे कुआ, पेड के रिकॉर्ड में निशुल्क बढ़ा जाये। गुआवजा एक किस्त सीटे हैंक खाते में डाल जाये।	क पाजला च सरकारी नीति के को अनुसार रोजगार दिय जाएगा। के इसके अतिरिक्त, परिधोजगा । प्रभावित परिवारों की देखभाल हेतु के संबर्धन का प्रावधान जीविका । योजना में दिया गया है। सरकार ये हाज लिए गए मिर्जय के आधार
	श्री सब्बर सिंह बुवेला पुत श्री सच्दार सिंह बुवेला एव ग्रामवासी ग्राम-लिबीरा, तह वंदेरी, जिला-अशोकनगर,	वाम-सिवारा के ग्रामवासियां का कहना है कि इस नाम	परियोजना क्षेत्र में विकास के लिए अति आवश्यक है। हानियल प्रभावीं को कम करने हतु विस्तृत पर्यावरणीय बीजना तैयार किया गया है। भूमि अधिग्रहण, पुनवस्त व
7	गाम-लिधौरा सङ्घदेश, जिला-अशोकनगर.	वेभाग के कार्य किये जाये। आवजा एक किस्त में सीधे मरे बैंक खाते में डात्स	परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परियोजना प्रभावित परियोजों की वेखमाल हेतु सक्योंन का प्राव्यान जीविका योजना में दिया गया है। भूमि अधिग्रहम, पुनर्वास व पुनरकार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के

	18 श्री मळे ण अस्टि रनाच गर		अधिकार' के अनुसार भूमि गवन आदि का मुआवजा दिव जाएना। मुआवजे की राशि प्रसावि के बैंक खाते में सीधे भेज जाएमी।
	धनूराम आहे ग्राम-लिधौरः, तहःच जिला-अशोकनगरः	रवार मुआवजा चाहिये। प्रा चेरी, परिचार के एक सदस्य नीकरी दी जाये। रहने तिए एलाट विया ज हमारे जो काम कृशि के ह है, जैसे नामांकन, कुऑ, पाँघे रिकॉर्ड में निःशु महाये जाये। इसी आधार हमें कोई आपत्ति नहीं हमारे पास कोई जमीन ह है। इसलिए एक डेक्टे जमीन दी जाये।	त्येक पात्रता व सरकारी नीति व को अनुसार रोजगार दिया जाएगा के इसके अतिरिक्त, परियोजन गर्म। प्रमावित परिवारों की देखमाल हेत् रूके संवर्धन का प्रावधान जीविक पेड़ योजना में दिया गया है। 'भूमि त्क अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार पर अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा गरदर्शिता के अधिकार' के
59	श्री हरदास हरिड ग्राम-लिघौरा, तहचंदे जिला-अशोकनगर	तन मुआवजा 19 लाख रह, बी शे, दिया जाये। और मेरे मक यह मुआयजा वर्ग फिट दिया जाये। मेरी मली औ हैं अतस्य मुझे नौकरो देने ब कृपा करें।	धा पात्रता व सरकारी नीति के ान अनुसार रोजगार दिया जाएगा। से इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रमावित परिवारों की देखभाल डेतु क्षेत्रका में दिया गया है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरव्हार अधिनयम 2013 में तिक्कत मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार भूमि व मकान आदि का
***************************************	9405974162	हमें मकान का मुआवजा भी विया जाये। इस बात के लिखित में दिया जाये कि मकान का मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद सारी सुविधाये दिये जाये।	े भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार' के अनुसार भूमि व मकान आदि का मुआवजा दिया
1	श्री शिवराज सिंह यादव पुत्र श्री धीरज सिंह यादव ग्राम–पगारा, जिला–अशोकनगर	नियासी की सहमति है कि बांघ नहीं बनना चाहिये।	परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। हानिकर प्रमावों को कम करने हेतु विस्तृत पर्यावरणीय
	श्री गुरजीत सिंह, बलजीत सिंह मनजित कौर, गुरज्ञान सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह अशोकनगर, 9406588522	मुआवजा निलना चाहिये। जो	भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व

		के पहुँदे है उनका मुजाब भी मिलेगा ? नये बज 2013-14 के हिसाब मुजावजा मिलना चाहिये। डे बनना चाहिये।	ग्रा प्रशासन द्वारा निगमानुसार क्षि ट जाएगे। से
63	त्री वीरसिंह लोधी नुव गोकुल सिंह लो ग्राम-लिधीरा, तह चटेर जिला-अशोकनगर	धी है। अस प्रकार	व अनुसार रंजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त परियोजना प्रभवित परियाशं की देखभाल हेतु संवर्धन का प्रावधान जीविका योजना में दिया गय है।
64	औ शिशुपाल सिंह यादव		भूमे अविग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनेयम 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि व मकान आदि का मुआवजा दिया जाएगा।
	पुत्र औ भगवान सिंह वादव बाम-क्रिधौरा, तह वदेश जिला-अशोकनगर 9406508503	मुआवजा दिया जाये। हमारे परिश्रं के एक सदस्य का नीकरी दी जाये। रहने के लिए प्लाट दिशा जाये। हमारा मुआवजा हमारे खाते के एक ही किस्त में दिया जाये। राजस्य विभाग में जो काम	योजना में दिया गया है।
Ö	AT THE PARTY NAMED IN	डाला है वा नि.शुल्क किया जारो। हगारे भंपान प्रा मुआयजा सिटी लेडल का दिया जाये।	भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनरुद्धार अधिनियन २०१३ में उचित मुआवजा तथा पारदर्शित के अधिकार' के अनुसार भूमि व मकान का मुजावजा दिया जाएगा। मुभावजे की रशि प्रभावित के वेक खाते में सीधे भेजी जाएगी।
W.	श्री जसमन सिंह यादव, पुत्र श्री शंकर सिंह यादव ग्राम-लखारी, जेला-अशोकनगर	ग्रम-लखारी इस परियोजना के अतर्गत आंशिक रूप से । इब्ब्र्स्त्रत्र में आ रही है। अतः । निवेदन है कि हमें उचित इ मुआयजा दिया जाये। परिवार प्र के एक व्यक्ति को कम से प्र	परियोजना प्रभावित एरिवारों की गड़ता व सरकारी नीति के अनुसार रेजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना ग्मावित परियारों की देखमाल हेतु किया का प्रावधान जीविका गेजना में दिया गया है।
		म् पु उ	र्मि अधिग्रहण, पुनर्वार व नेकद्वार अधिनियम 20:3 ने चित मुआवजा तथा पारदर्शिता के चिकार के अनुसार भूमि व कान का मुआवजा दिया जाएगा।

	66 श्री सीताराम गुर्जर पुत्र देवचंद गुर्जर कृप जिला अशोकनगर	ा श्री जमीन ह्य में आ रही है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास ह अतः जमीन के बदले उसी पुनरुद्धार अधिनियम 2013 र पुणवत्ता की जमीन दी जाये या मुआवजा 5 लाख की दर से दिया जाये। भरिवार के अधिकार के अनुसार भूमि व एक सदस्य को नौकरी दी जाये। पिरेवार के अनुसार प्रावित परिवार के भकान का मुआवजा दिया जाएगा। पिरेवार के अनुसार रोजगार दिया जाएगा।
68	ग्राम-लिधौरा जिला-अशोकनगर	हमारे परिवार के एक सदस्य को नैकरी दी जाये। हमारा मुआवजा हमारे खंते ने हाला जाये। हमें कोई आपित नहीं है। यान का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजो की सारा प्रारम्भि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजो की सारा प्रारमी त
69	श्री नेतराम अहिरवार पुत्र है भैयालाल आहिरवा ग्राम-लिंबॉरा, जिला-अशोकनगर, 8989143360	तिमार किये 10 लाख रू बीघा परियोजना प्रभावित परिवारों को एक मुआवजा दिया जाये। पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिश्वित, परियोजना को नीकरी दी जाये। हमारा प्रभावित परिवार की देखभाल हेतु सुआवजा हमारे खाते में जाला जाये। हमें कोई आपित नहीं योजना में दिया गया है। मुआवजो की राशि प्रभावितों के बैक
	ग्रान्-स्वतरा, तहसील-चंदेरी, जिला-अशोकनगर, ७४०७२४७७३	मर गांव रवत्सा की जमीन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वारा व दूब में जा रही है और गाँव पुनरूद्धार अधिनियम 2013 में नहीं जा रहा है। जमीन, उचित मुआवजा तथा पारवर्शिता के मकान और पशुओं का भी अधिकार ते अनुसार भूमि व मुआवजा दिया और रहने वे मकान का मुआवजा दिया जाएगा।
70		हमारे लिये 10 लख रूप बीचा परियोजना प्रभावित परिवारों के का नृआवजा दिया जाये। पात्रता व सरकारी नीति के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। हमारे परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये। हमारे लिए शहर के हिसाब से घर का मुआवजा दिया जागे और हमारा मुआवजा दिया जागे और हमारा मुआवजा हमारे खाते में अधिकार के अनुसार भूमि व मकान का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा की राशि प्रभावित के विवार खाते में सीचे भेजी जाएगी।

74 श्री हमरत सिंह एवं समस्त हम सभी लोग इस डेग का परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए ग्रामवासी ग्राम-ख्यावदा विरोध करते हैं। हम इस अत्यन्त आपश्यक हैं। हानेकर जिला—अशोकनगर जमीन पर ही निर्भर है। बांध प्रमानों को कम करने हेतु विस्तृत से हमें फायदा नहीं हैं। जो पर्यावरणीय थोजना तैयार किया सरकारी जगह घेरे हुए है गया है। परियोजना के निर्माण असका क्या होगा ?

(पी सी उँग्रीनिया) क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्रप्रदूषण नियत्रण बोर्ड, विजयपुर, गुना

(एस.के. संबले) अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी असीकनगर

12715 M

(ओं पी सिंह क्यावाह) अधीरण दक्षिणना Superinter days Engineer राष्ट्रीय जन विकार अधिकरण National Water Development Agency 205 प्रतिका मत्त्र / 22 Palma Bhawan आरकेतुक, क्यां क्रिकी हिंद K. Fatan New Delh-66 STATEMENT OF THE ISSUES RAISED BY THE PUBLIC AND THE COMMENTS OF THE PROPONENT DURING PUBLIC HEARING DATED 18/09/2015 CONDUCTED FOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE OF LOWER ORR DAM AT VILLAGE - DIDAUNI DISTT.- SHIVPURI/ASHOKNAGAR (M.P.) UNDER KEN - BETWA LINK PROJECT PHASE-II

PUBLIC HEARING PLACE - GOVT. MIDDLE SCHOOL PIPAROUD, TEHSIL CHANDERI, DISTT - ASHOKNAGAR (MP)

S.No.	Name of Person	Issues Raised	Daws
1,	Mr. Jahar Singh Parihar s/o Mr. Toran Singh Parihar Village- Lidhora, MohanPur Chanderi, Dis: AshokNagar Mob 7697031953	One member of my famishould be give employment. Land for resettlement to be given R 10 lakh/ bigha compensation and for Kutcha and Pucchouses, market rate (sq.f. may given	families shall be given as per the eligibility and government policy. The compensation for an land and homestead shall be
2.	Mr. Balwan Aadiwasi s/o. Mr. Udham Singh Aadiwasi, Village- Lidhora, Dist. AshokNagar	Rs 10 akh/ bight compensation for land and one member per family of every PAFs to be given employment. Agricultural facilities should be done free of cost. Plots to be given for as resettlement. Compensation should be directly deposited in Bank.	Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelinood plan to be provided to augment for land and paragraphs.
	Mr. Jagrath Singh, Mr. Ramdin s/o Mr. Gyarasa Aadlwasi, Vilage- Daang Bairasia, Dist. AshckNagar	Compensation should be made for trees such as Mango tree, Guava, Lemon , sugar apple trees etc.	Compensation of trees shall be given as per the government policy
1.	Mr. Chandrabhan Singh Rajpul s/o Mr. Preetam Singh Rajput Village- Khyavada, Dist. AsnokNagar Mob 9407200:02	start their works. Compensation should also be given for trees.	Availability of land shall be decided by cistrict administration. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Far Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Compensation of trees shall be done as per the government policy.

S.No.	Name of Person	Issues Raised	Response
5.	Mr. Parmal Singh Rajput s/o Mr. Raghuveer Singh Rajput, Chanderi, Dist. AshokNagar	Compensation for land should be given above market rate. Facca houses should be given one member per family of overy PAFs to be given employment. Compensation should also be given for trees.	and homestead shall be given as per "The Right to Fai Compensation and Transparency in Land Acquistion, Rehabilitation and Resettlement Ac., 2013"
6.	Mr. Ompal Singh Keval s/o Mr. Naththula Kevat Vilage- Pipraud, Dist. AshokNagar Mob 8989242594	I have no objection for construction of dam and I suggest to give employment to villagers.	Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs.
7.	Mr. Indar Singh Gurjar s/o Mr. Javar Singh Gurjar, Village- Raktera, Teh- Chanderi, Disc. AshokNagar	My land is coming under submergence. Please gives us enough compensation and give employment to my children's.	The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Ad, 2013". Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy, in addition, Livelhood plan to be provided to augment for care of PAFs.
8.	Mr. Janaki s/o Mr. Gambhira Village Raktora, Teh- Chanderi, Dist AshokNagar	My land is coming under submergence. Please give us land for land and compensation to trees.	Availability of land shall be decided by district administration. Compensation of trees shall be given as per the government policy
9.	Mr. Sharif Khan s/o Mr. Akbar Khan, Village- Raktera, Teh- Chanderl, Dist AshokNagar	I am staying in Village Raktera and I request that records of all the trees in my land may be taken.	Record of all existing trees shall be considered for awarding compensation. Compensation of trees shall be given as per the government policy.
10.	Mr. Lajram s/o Mr. Bhagwan Ial, Village- Khyawada, Teh- Chanderi, Dist AshokNagar	My land is coming under submergence. Please gives us enough compensation and also we should get pacca houses.	The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013"

i,

S.No		Issues Raised	Response
11	Mr Vishwanath Singh solanki s/o Mr. Komal Singh Solanki, Village- Khyawada, Teh Chanderi, Dist AshokNagar	House should be give Registration fees should no be taken for buying of ne land. Compensation for o livestock should be give Provide all facilities at the time of resettlement.	Land cost shall be decided by district administration for Employment to project affective families shall be made as point the eligibility and government policy. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013"
12.	Mr. Parmal Singh Rajput s/o Mr. Jasrath Singh Rajput Village-Khyawada, Teh- Chanderi, Dist AshokNagar	Khyavada and in possessio	le Land eigibility shall be confirmed by District h Administration Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy in addition. Livelihood plan to be provided.
13.	Mr. Inda: Singh Dist - AshokNagar	There are 10 members in my family. Our main occupation is agriculture. Maximum compensation and employment to children to be given.	homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and
14.	M: Kaptan Singh, Vilage- Khyawada, Teh- Chanderi, Dist AshokNagar	My land is going in the submergence. Land for land to be given.	Availability of land of a
	Mr. Jaypai Singh Rajput s/o Mr. Balveer Singh Rajput Village: Khyawada, Teh- Chanderi, Dist AshokNagar Mob. 9406962452		Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment in care for PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".

S.No.	The state of the s	Issues Raised	Response
16,	Mr. Mohanlal s/o Mr. Karnalu Dist. AshokNagar	Land for land to be given Compensation for trees to be given.	. Availability of land shall be
17.	Mr. Fappu Lodhi s/o Mr. Narayan Singh Village- Nayakhera, Teh- Chanderi, Dist AshoxNagar	We don't have any objections. We can do anything once we have water.	appreciate your
13.	Mr. Sangram Singh s/o Mr. Mojilal VIlage- Khyawada, Teh- Chanderi, Dist AshokNagar	How much compensation is given? Is land for land adopted? Do we get land for our houses and schooling facility?	and homestead shall be given as per "The Right to Fair
19,	Mr. Sarupa s/o Mr. Kunja Village- B thala, Dist AshokNagar	Our village is getting submerged. One member per family of every PAFs to be given employment. Compensation at Rs 10 lakh/ bigha.	Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihooc plan to be provided to augment in care for PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Renabilitation and Resettlement Act, 2013".
	Mr. Horal s/o Mr. Ragana Village- Baras ya, Teh- Chanderi, Dist AshokNagar	We will loose our lands due to dam. Dam should come up but good compensation for land to be given.	The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".
	Mr. Kalyan s/o Mr. Khumana, Village- Khyawada, Teh- Chanderi, Dist AshokNagar	Land for land to be given	Availability of land shall be decided as per rules by district administration.

S.No.	The state of the s	Issues Raised	Response
22	Mr. Dashrath s/o Mr. Eshwan Singh, Village-Koopgad, Teh- Chanderi, Dist AshokNagar	Our village is getting submerged. What we will a without land. Therefore can should not come. If dam not come then, alternate same quality of land to be given a nearby village. One member per family of every PAFs the given employment.	Availability of land shall be decided by district administration. Employment as to project affected families at eligibility and government of policy in addition. Livelihood
23.	Mr. Nathuram Ahirwar s/o Mr. Maggeram Ahirwar, Village- Lidhoura, Teh- Chanderi, Dist AshokNagar Mob 8989149360	We co not have an objection but we wan compensation at Rs. 10 lake bigha. We should be given employment. Resettlemen benefits to be given. Ou trees, wells etc should be entered in the revenue records. Compensation should be deposited in the bank.	affected tamilies shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per The Pickt to
24.	Mr. Hanumant Singh Gurjar s/o Mr. Dayaram Singh Gurjar, Village- Rokhtera, Dist AshokNagar	Compensation of trees to be given.	Compensation of trees shall be given as per the government policy
16	Mr. Udal Singh Gurjar s/o Mr. Lalaram VII.age- Rakhtera, Teh- Chonderi, Dist- AshokNagar	50 % compensation to be approved. One member per family of every PAFs to be given employment. Full compensation for lands noming in the submergence.	Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per 'The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".

S.No.	Name of Person	Issues Raised	Response
26.	Mr. Shishupal Singh s/o Mr. Nihal Singh Rajput Village- Beethala, Ten- Chanderi, Dist AshokNagar	Our land and entire village is getting submerged. Hence, appropriate compensation of trees ,wells, houses and land to be given.	
27.	Mr. Kripal Singh Rajput s/o Mr. Rajaram Singh Dist - AshokNagar	Appropriate compensation of trees, wells, houses and land to be given.	Compensation of trees, wells shall be done as per the government policy. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".
28.	Mr. Anand Singh s/o Mr. Bharat Singh Village- Bithala, Teh- Chanderi, Dist- AshokNagar	Cur village is getting submerged. One member per family of every PAFs to be given employment. Land for land and compensation at Rs. 10 laxh/ bigha.	Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Renabilitation and Resettlement Act, 2013". Availability of land shall be decided by district administration.
29.	Mr. Komal s/o Lt. Mr. Siryar Village- Rakhtera, Teh- Chanderi, Dist AshokNagar	Our village is getting submerged. One member per family of every PAFs to be given employment. Lanc for land and compensation at Rs. 5 lakh/ bigha.	Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. Availability of land shall be decided by district administration. The compensation for land and homestead shall be given as

S.No.	Name of Person	Issues Raised	Response
			per "The Right to Fa Compensation an Transparency in Lan Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013"
30.	Mr. Mahendra Singh s/o Mr. Kalyan Singh Village- Rakhtera, Teh- Chanden, Dist AshokNagar	Our village is getting submerged which will affect our livelihood. One member per family of every PAFs to be given employment. Land for and and compensation at Rs. 6 lakh/ bights.	affected families shall be made as per the eligibility and government policy in
31.	Mr. Kripal Singh Ahirwar, sto Mr. Hariram Ahirwar, Village- Lidhoura, Teh-Charderi, Dist AshokNagar	Compensation at Rs. 10 takh/ bigha, We should be given employment. Picts for our living. Our farming works like wells, trees etc are held up may be got entered in the record free of cost. Compensation should be sent cirectly into Bank account.	Employment to project affected tamilies shall be made as per the eligibility and government policy in addition, Livelihood plan to be provided to augment in care for PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Righ: to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". The farming works which are neld up due to non-entry in the record may be pursued to get done from concerned officars of State Govt. This amount of compensation shall be deposited directly into Bank account.
32.	Mr. Imrat Singh sio Mr. Bhagun Ial Gurjar, Vilage- Knyawada, Teh- Chanderi, Dist AshokNagar	we are 5 brothers. Land for	Availability of land shall be decided by district administration.

S.No.	Name of Person	Issues Raised	Response
33.	Mr. Chandrabhan Singh Lodhi s/o Mr. Gokul Singh Lodhi, Village- Lidhora, Teh- Chanderi, Dist AshokNagar Mob 9406576690	Compensation at Rs. 10 lakh/ bigha. We should be given employment. Plots for our living Our trees, wells etc should be entered in the revenue records. Compensation should be deposited in the bank.	addition, Livelihood plan to be provided to augment for care
34.	Mr. Jashralh Singh Aadiwasi s/o Mr. Gyarasa Singh Aadiwasi, Village- Bairasiya, Teh- Chanderi, Dist AshokNagar	Either compensation of Rs. 10 lakh or land in lieu of land should be given. If land of city level is not feasible then at least compensation should be of city level.	The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".
35.	Mr. Babu Singh s/o Lt. Mr. Devi Singh, Village- Rakhtera, Teh- Chanderi, Dist AshokNagar	The land of my village is coming under submergence area which includes my land as well. Hence, a member of every family should be given a job. Compensation of Rs. 2C lakh/bigha should be given and the same should be deposited in the bank account.	Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Mode of disbursement of Compensation shall be done as decided by govt.
36.	Mr. Veer Singh Gurjar s/o Mr. Lalaram Gurjar Villago- Bhandri, Teh- Chanderi, Dist- AshokNagar	My family has 15 members and do not have any jobs. My occupation is farming. My family will be ruined as the land is coming in submergence area. Hence, it is requested to kindly give the maximum compensation possible.	The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013"

S.No.	Name of Person	Issues Raised	Response
37.	Mr. Gyan Singh s/o Mr. Gokul Singh Village- Lidnoura, Teh- Chanderi Dist AshokNagar	My entire village land coming under submergence area and also not able to fin land anywhere else. Hence the same value of land which my land accounts for as we as the land should be provided to me and to ever family in the village.	is The compensation for land the and homestead shall be given as per "The Right to Faile, Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013"
38.	Mr. Virendra Singh Gunar s/o Mr. Maharaj Singh Gunar Village- Roopgad, Dist AshokNagar	Survey was conducted in my village. It should not happen that no benefit is accorded and land also gets submerged.	compensation for land, if your land will come under
39	Mr. Narayan Singh s/o Mr. Dhannalal, Dist AshokNagar Mob 969150263	We have no problem with this Dam project. In this project our 30 bigha land is coming in submergence area.	objection by construction of Dam. These views are
	Mr. Mahosh Kumar Ahirwar s/o Mr. Nathuram Ahirwar Village- Lidhoura, Dist AshokNagar	We do not have any problem. But we want compensation equal to that of city level, member of every family should be given a job and place to live. Wells trees and shrubs should be given free of cost in record. Compensation amount should be deposited directly to bank account.	Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of FAFs. Compensation of trees, wells shall be done as per the government policy. Amount of compensation shall be deposited in the ∃ank account of PAFs.

S.No.	Name of Person	Issues Raised	Response
41.	Mr. RamSingh s/o Mr. Thuman Singh Village- Bhandri, Dist AshokNagar	We do not have any problem with this dam project. My land which comes in village area is coming under submergence area. Appropriate Compensation for land and trees should be given so that my family can be taken care of.	We all appreciate your views. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013", Compensation of trees, wells shall be done as per the Govt. policy.
42.	Mr. Shehzad Khan Gurjar s/o Mr. Khwaju Khan Village- Bhandri, The – Chenderi, Dis: - AshokNagar	My land comes in village area. Maximum possible compensation for the land should be given.	The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013"
43.	Mr. Govind Singh Rathor s/o Mr. Kamal Singh Rathor, Dist AshokNagar	The villages which are coming under submergence area due to this project, graduate members of those families should be given a job. Is facility for compensation of wells, trees and shrubs is available or not?	Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs, Compensation of trees, walls shall be dune as per the government policy.
44,	Mr. Pawan Singh Yadav s/o Mr. Shripat Singh, Village- Lodhoura, Dist AshokNagar Mob 9424725231	It is requested that is Dam is constructed then compensation of Rs. 12 lakh/ bigha should be given. The decision to benefit lakh of people by this 3ave water stop water campaign of Indian government is right. Works related to revenue department should be made free. Compensation amount should be deposited directly in the account.	The compensation for land and nomestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Iransparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". The amount of compensation shall be deposited directly in to Bank account of PAF's.
45.	Mr. Sundar Singh Ji s/o Mr. Veer Singh Ji, Dist - AshokNagar	It is requested to kindly consider our requests. We are extremely sad as our village comes in very poor region. Either dam should not be constructed or compensation equal to 10 times more than collector rate should be given, only	The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".

S.No.	. Name of Person	Issues Raised	Response
		then we will get food and jot Because in forest we wer benefited more with th animals. We had ou complete living with it.	e e
46.	Mr. Chandrapal Singh Gour s/o Mr. Jagdish Singh Village- Bithala, Teh Chanderi Dist AshokNagar	It is requested that the land of 12 villages that is coming under submergence area should be given land only in lieu of it.	g decided by district a administration. Decision for providing land compensation shall be
47.	Mr. Monu Raja s/o Mr. Sitaram Singh Rajput, Village- Bithala, Teh Chanderi, Dist AshokNagar	It is requested that leave us on our own and Lower On dam should not be constructed.	development of the area.
48	Mr. Pawan Yadav s/o Mr. Shripat Yadav, Village- Lidhora, Teh Chanden, Dist AshokNagar	We do not need dam	The project is required for the development of the area. A detailed Environmental Management Plan has been prepared for mitigation of adverse impacts.
49.	Mr. Pyarefal Aadiwasi sio Mr. Gyarasa Aadiwasi, Dist AshokNagar	We tribesmen have been given Patta of forest land. Will we get compensation of that land or not? Kindly confirm.	Compensation of forest land for tribes shall be made as per government policy
50.	Mr. Balram s/o Mr. Bhagawat Singh, Village- Pipraud, Teh Chanderi, Dist AshokNagar	I am in favour of dam. Due to water fill, there will be water in our wells as well as hand pumps for drinking water will work. Kindly provide irrigation facility to village Pipraud.	We all appreciate your favorable views about the done. The possibility of extending regation facility to certain near by villages not covered in the present scheme shall be looked into a the time of implementation of project.
51.	Mr. Phoo:Singh s/o Mr. Bhaicyalaal Village- Pipraud, Teh - Chanderi, Dist. AshokNagar	There is no facility for water. Hence, with Lower Orr dam, provide irrigation facilities through canals in the entire area.	The possibility of extending irrigation facility to certain near by villages not covered in the present scheme shall be looked into at the time of implementation of project.
52.	Mr. Sedpal ji Bundele s/o Mr. Sharikar Singh, Vilage- Lidhora, Teh Chanderi, Dist AshokNagar	our children? We have to til	The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".

S.No.	Name of Person	Issues Raised	Response
53.	Mr. Gokul Singh s/o Mr. Bhagun Singh, Village- Lidhora, Teh Chanderi, Dist AshokNagar	We do not need dam because we will have to face lot of problems because of it.	The state of the s
54.	Mr. Jagram s/o Mr. Gyasilal, Village- Lidhora, Teh Chanderl, Dist - AshokNagar Mob 8226016548	The compensation amount of more than Rs. 12 lakh should be given for the land. It should be allotted and distributed as per our names. The compensation amount should be deposited directly to respective person bank account. We should get a flat in city and the work related to revenue department should be made free.	
55.	Mr. Rampal Vanshkar s/o Mr. Gulab Vanshkar, Village- Lidhora, Teh Chanderi, Dist AshokNagar Mob 1999939554	We need compensation of Rs 10 lakh/ bigha. Member of every family should be given a job. A Plot should be given for stay. Our work related to farming like wells, trees, shrubs should be recorded free of cost. Compensation amount should be deposited in one go directly in bank account.	Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Amount of compensation shall be directly deposited in the Papel are the Papel are the Papel are the eligibilities and the Papel are the Papel are the eligibilities and government and the eligibilities and government and the eligibilities and the eligibil
56.	Mr. Gabbar Singh Burdela s/o Mr. Sardar Singh Bundela & villagers, Village- Lidhora, Teh Chanderi, Dist AshokNagar		The project is required for the development of the area. A dotailed Environmental Management Plan has been prepared for mitigation of adverse impacts. The compensation for and and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".

S.No.	Name of Person	Issues Raised	Response
57	Mr. Hardas Harijan s/o Mr. Bhujua Harijan, Village- Lidhora, Teh Chanden, Dist AshckNagar	Compensation of Rs. 10 Lakh per bigha to be given. One member per family of every PAFs to be given employment. Compensation to be deposited in our bank accounts in one installment. Compensation for our house should be as per city rates.	Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. It addition. I wellhood plan to be provided to augment for care of PAFs. The compensation for land and homestead shall
58.	Mr. Mukesh Ahirwar s/o Dhanuram Ahirwar, Vilage- Lidhora, Toh- Chanderi, Dist AshokNagar	Compensation of Rs. 10 Lakh per bigha to be given. One member of our family to be given employment. Flats to be given for resettlement.	Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013"
59)	Mr. Siyaram Ahirwar s/o Mr. Hardas Harijan, Village- Lidhora, Teh Chanderi, Dist AshokNagar	It is requested that the Componsation of Rs. 10 Lakh per bigha to be given for my land.	The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".
60.	Mr. Rempal Singh s/o Mr. Veer Singh, Dist AshokNagar Mcb 9406974152	Compensation for my house should also be given it should be given in writing that compensation will be	The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right" to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlemen; Act, 2013".

S.No.	Name of Person	Issues Raised	Response
61	Mr. Shivraj Sirgh Yadav s/o Mr. Dhiraj Singh Yadav, Village-Pagara, Teh Chanderi, Dist AsnokNagar	We all villagers of Village- Pagara are not willing for the construction of this Dam.	The project is required for the development of the area. A detailed Environmental Management Plan has been prepared for mitigation of adverse impacts.
62	Mr Gurjeet Singh, Mr. Baljeet Singh, Manjeet Singh Kaur, Gurgyan Singh s/o Sukhdev Singh, Village- Lidhora, Teh Chanderi, Dist AshokNagar Mob 9406588522	If dam is to be constructed, then compensation of Rs. 3-5 lakhs should be given. Do we get compensation for the cropped lands in the government pattas and range partas? Compensation as per new R&R policy should be adopted. Dam should come.	The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Other decision shall be taken as per rule by district administration.
63.	Mr. Veer Singh Lodhi s/o Mr. Gokul Singh Lodhi, Village Lidhora, Tch Chanderi, Dist AshokNagar	My village is coming under submergence therefore Compensation of Rs. 10 Lakh per bigha to be given. Aso one member per family of every PAFs to be given employment to earn their living as earlier.	Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs.
			The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".
64.	Mr. Shishupal Singh Yadav s/o Mr. Bhagwan Singh Yadav, Village- Lidhora, Teh Chanderi, Dist AshokNagar Mob 9406508503	Compensation of Rs. 10 Lakh per bigha to be given. One member of our family to be given employment. Plot to be given for resettlement. Compensation to be deposited in our bank accounts in one installment. Compensation for our house should be as per city rates.	Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. The compensation for land and homestand shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Amount of compensation shall be directly deposited in the Bank account of PAF's.

S.Nc.	Name of Person	Issues Raised	Response
65.	Mr. Jasman Singh Yadav s/o Mr. Shankar Singh Yadav, Village- Lakhari, Teh - Chanderi, Dist- AshokNagar	As per this scheme Village Lakhari is coming unde submorgonce. It is therefore requested that enough compensation is given. One member per family of every PAFs to be given employment.	Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy in addition, Livelihood plan to be provided to augment for care
66.	Mr. Sitaram Gurjar s/o Mr. Devchand Gurjar, Teh Roopgad, Dist- AshokNagar	Land is coming under submergence and for land and compensation shall be given at the rate of 5 Lakh. One member per family of every PAFs to be given employment.	
37.	Mr. Palluram Ahirwar s/o Mr. Uddaram Ahirwar, Village- Lidhora, Teh Chanderi, Dist AshokNagar		Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy in addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. The compensation for land and homes ead shall be given as por "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013". Amount of compensation shall be directly deposited in the Bank account of PAFs.

S.No.	Name of Person	Issues Raised	Response
68.	Mr. Netaram Ahirwar s/o Mr. Bhaiyalal Ahirwar, Village- Lidhora, Teh Chanderi, Dist AsnokNagar Mob. 1989143360	Compensation of Rs. 10 Lakh per bigha to be given. Resettlement should be provided. One member of our family to be given employment. Compensation to be deposited in our bank accounts. We don't have any problem.	Employment to project affected families shall be made as per the eligibility and government policy. In addition, Livelihood plan to be provided to augment for care of PAFs. The compensation for land and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".
			Amount of compensation shall be directly deposited in the Bank account of PAF's.
69.	Mr. Mohar Singh Gurjar s/o Mr. Jawahar Singh Gurjar, Village- Rakhtera, Tah Chanderi, Dist AshokNagar Mob 9407247928	My land is coming under submergence but not the whole village Rakhatera. Compensation should be given for land, house as well as animals. Also provide resettlement.	The compensation for and and homestead shall be given as per "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".
70.	Mr. Ramdas Ahirwar s/o Mr. Dhanuram Ahirwar, Village- Lidhora, Teh Chanderi, Dist,- AshckNagar	Compensation of Rs. 10 Lakh per bigha should be given. Resettlement should be provided. One member per family of every PAFs to be given employment. Compensation to be deposited in our bank accounts as per city rates.	as per "The Right to Fail Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".

S.No.	Name of Person	Issues Raised	Response
71	Mr. Hamrat Singh and All villagers, Village- Khyavada, Teh - Chanderi, Dist AshokNagar	all are dependent on our	for the development of the area. A detailed Environmental Management

(P.C. Uchariya)
Regional Officer,
MP Pollution Control Board,
Vijaipur, Distt-Guna

|S.K.Seble) | S.K.Seble | S.K.

anton sh

Studiet पा अभिवन्दाः
Superinter ding Engineer
राज पार्च पाठापः अधिकरण National Control of Studiet (National Agency)
205 प्रतिकृति प्रस्ति (National Agency)
305 प्रतिकृति प्रस्ति (National Studiet)
वार. से. पुरम्, नह (इस्सी (National Studiet) विषय:- मेंसर्स नेशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजेंसी केन-बेतवा लिंक प्रोजेवट फेरा-2, जिला-अशोकनगर की प्रस्तावित बांध (डैम) परियोजना हेतु पर्यावरणीय रवीकृति के लिए आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 18.09.2015 में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों का उपस्थित पत्रक ।

दिनांक - दिनांक 18.09.2015, दिन-शुकवार, प्रातः 11:00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ।

स्थान - शास.माध्यमिक विद्यालय पिपरैद, विकासखण्ड-चंदेरी, जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

5.	उपस्थित अधिकारी / कर्नचारी का नाम व पद	पता	हस्ताक्षर
1.	रात के सेवले अगर कलेगर (A DM)	अधीकमार् अधीकमार्	18-8-15
2.	परि हती उच्याविया स्रोतीय अधिकारी	Jumy 1 22 3 12 13 12	D1 12/2715
3.	से व ती व कि द अहावाह	23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
4.	क्रियार अपने स्ट्रिया रापदी प्रजा	1	7 413 F1
5.	SE NOVAS THIT	Gity Centre NUDA Grado	F
6.	श्रियात्राम् महेस्, क्षायः आगे. या स्मानेष्ठः स्मानिष्ट	12 7151 2197"	Banch
7.	विष्यमेल्या रिहात, उपमुख्या भीत्रा भाष्ट्रीम लिमेटड	7.1118	
8.	जीतर हार्मी अनेकांद्रा प्रमीक्टन, सार्कास मिनाइड	Je-c, Barrell	818111 -8181 -818
9.	सुरेश कान्यू गंडीसा सहायक अमिश्रम समान प्रमान	12 Sada 200	13,000
	सम्बद्धाः अतिहासस्य अतिकाताः स्वारिकाः सम्बद्धाः अतिहासस्य	City Center	Sp. 3 1.18
11.	शिव मार्ग सर सिंह मुनीय मामवतर की जदा	भारचनेशी	@ h

	2 0	To I laterty	1
12.	STAL ST -1113 \$ 5 470,00 BUS - 11/19	V-3, (1E4D)	m
13.	GES YTON RIENT	Rajulet	Choling
	Interest Interest Tilles	Coby Thank	0
14.	3142/SI 31/M81	तर्म जा जि उन.	(Smits
15.	(comed B.a) Tsto . (s. A)	Enter with mount	-X3
16.	malish Kabindiya	रिम्हास्य अपेषारिक	
17.	A-P RojPell'	Start w	14 Prod
18.	Ans to mish	10. fare Bhoot	Maria
19.	lev. 2 Daniel	Becariday	400
20.	S.K. DINI Alon	wasoland	-8 down
21.	b. K. Koli PM	WRD Kruyd-	26
	Computer Openator	WRD Khaniyalka	Qu
	R.K. ROKASh, E.E.	R.D. 10. P. J.	D-
24.	Railadh Kumar Delaign. Personal Secondary	RO MPPCB. Vijaypur, Guna	Je 12/09/1
25.	J.K. Pagoriya, Jo. Sei.	ROMFIEB Churs	JE 18/08/15

26.	M.K. Nagdeve, U.d.C.	MPPCB Vijaypine Guma	Mac.
7.	Titendra Jalonye	Guna	(The . Jahrongo
28.	Sweet Yadar, die en	MPYCB Wayner	- Q-
29.	H.K. 800 x force 8 De	a Ro	181
30.	K. N. Sharm Sub Engr	M.N.D ASLUZINOYEN	Vanco 189-15
31.	A. A. Khon Sub Fym	wrochula	10/4/2015
32.	B. P Jux	u A D	popula
33.	्रीराम राजन अनुविभागित अधिकारी राज्या केरान (कि.सी.मा.ना.)	राज्यस्य कालानी	Lauret
34,	form Chowhan 3/E	नामार कामान)	Aherihan
35.	PK Sharma	1/WAT	Jale-
36.	R.K. Mishro	MUDA	former
37.	G. S. SONI	MINIDA	Sept 10
38.	R. K. BJ con you	GLESTER.	(d) line
39.			

мяра я сантом Арнекчалит

विषय : मेसर्स नेशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजेंसी केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-2, जिला-अशोकनगर की प्रस्तावित बांध (डैम) परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 18.09.2015 में उपस्थित नागेरिकगणों का उपस्थिति प्रत्रक ।

दिनांक - दिनांक 18.09.2015, दिन-शुक्रवार, प्रातः 11:00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ।

स्थान - शास.माध्यमिक विद्यालय पिपरौद विकासखण्ड-चंदेरी, जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

इम ांक	उपरिधत नागरिक का नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	-४) इनारासिंह.	भाग राज्ये।	बुद्धारी ।
	Ste Syntholyin	्या न्यन्देरी	0,18
2	शैवीरबिंह	edo -	वीस्त्रीत
3.	go spontantin		18608-01
3.	श्री प्रमान सिंह	ज्यान आग बेलोसी	
	810 Strangette	刀一中分	हर्मिन सिर
4.	श रिंगान मिर	ज्यापः स्वाविदरा	E. Jus. 118
	870-81-541(17)	यः नन्देरी	EN CONTRACTOR
5.	A-S-GIRIHE	३१ रखेरा	\$412115
	St- St- water 190	a4-देरी	
6	ngla-lington	35 20 QUEUT	212115
	5% St 41270180520	No.	5
7.	इर अमियाला	शाप खेलटाँद	Circul
	8/0 / 1/23/01/01	T -1-30	The second secon
8.	8-315N ES	३३ ह र्रहोरा	3090
	S/0 > 1-00 101 1675		,
9.	S) batestin lette	-1512 Scontel	2707 rationings
	S10 3/ AZBRAG.	a reta	
10.	अभागामा भि	न्यान लहारही	मा जा भाजा है।
	9-31-8-ATTE	1. 310/05-1516	
11.	-g1Th (410)	्याह स्टेसिया	
	6- 37-15	government of	mpsStatiether.

0.5 0.0 5 0.0 6 5 6

12	est arrend	भाग रक्तेरा	
13.	श्री अधाराम्ह श्री अधाराम्ह	क्राफ क्रिश्	5 9-16 E
14.	9)-1K HAN FAE	314 4E21 181	
15.	% नहीं भोहानद	भूगा विनीधा १९९५)। विनीधा	
16.	श्री विस्ता १० अ भोगेलाक	भार नधत	14551)
17.	en de 200	१मान पहारा	超红
18.	1 m (1)	क्षात्र पद्धाः	安好看到
19.	श्री गुलाम सिंह	भूगम् अभगड	37771777E
20.	5/0 of ACTION	आह की अमर	
21.	St 3.1.15	अग्राप मीरला	सुलीह
22.	5). जेशस्मा	र्मा भीश्ला	यतह
23.	S) - 21- EX 13311	521.P2 11.71	
24.	3/ 12/98) [S/ -748 2/ 4/5/21/ml	D Y	
25.	8/17) obstitut	भार कीरला	

WIDE PHONE OF A BOOM AGE

27. 21 0 241 0 PMG Regular, 21. 27410/38	26.	भागपाप सिंह वुन्तेला	िल्हीरा	अधिवास का
28. 214 al 28 bl 28 bl 2012 2012 5 29. \$ 21 21 Cl 30. di 2 min (U U ? 6) 31. Exix I A (U U ? 6) 32. A 22 E 3 33. Zal Res on 2 Sindram on water 34. en uniti ent 2 Sindram on water 35. Holicati 36. Exily - Uus 8 37. Ch chin - Guil 6 38. 52 41 ch	20,	13,000	1	3
29. \$91710] 30. \$12 mm (UNTE) \$17 mm 31. \$2771 JA (UNTE) \$27171 JA 32. \$132 24 3	27.	3 12 HOLD 30 PE	रिव्यालदा	S(2/110/12
30 di 2 min (a vi ? è) ali ? min 31. Exizian (a vi ? è) 32. Azzer z 33. Zal reie anz sin de en calpete 34. on 410016 e miz sin z 35. Halizzat 36. Ez n 2- 117- 1140 E 37. On en en en - 1140 E 38. Sze 41min a a a inzi	28.	राम बोल इसि	æभाव्यत्।	241/201
31. Extra A (Unit & Extra) 32. A422 A3 (2021) H152 B4 33. Zal Reis AM2 Sind (AM) Salvet 34. official salvet 35. H4 525 (144) Sind (AM) official bis 36. EC 1147 (144) &	29.	391716-1		.,-
32 1/3 2 2 3 4 1/3 2 1/3	30	dismin aux		als com
33. Zal Rie draz Sin de Rui Califere on another 34. on when i e m'z Sin de Ama on another 35. Holi god (Ama on another 36. 80 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m	31.	EFTFIA	विपरें द	हरीराय
34. PHAIRENT SING (THE PROPERTY OF STREET OF S	32	U132813	42121	भार अप्र
35. Holigani (19-15 Holigani) 36. 82 11 27 11 11 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	33.	द्वी खिंह तामर	डाँग बैरसिया	Call Ale
36. 9(1) 27 11/5 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	34.	भाषालाति सम्बद	5)जर्गिक	201141116
37. O1 (1) 11 1- (1) (2) (3)	35.	7 A 525	64-15	Holiszal
38. 57-4/~	36.	9< 11 by	16145) 8	
	37.	01 6131 4-		
39. 3nc/2 31 m3()	38.		22114	
	39.	Sherr	3 M30	

MODERNMENT & REPORTAGE

- I	नागारम्, धरा शास्त्र / विनास्त्र नाम्	4(0)	NOT THE Y
	A BUILDS.	18895	
- 4"		the last the second	18
~	1 (m/2/2) 1 1		3 5
CCI		A 5	
	asod	144016	Hodl
-42		CV 3	
0013	711145	14 4 21 4	211112
13	Ť.	_ \	W.
0.14	a said	Thank I'd	
94	7 1		
		5942 80	_saudre
0.0	- S GIANTE	0445 15	
-15			
	1211	77.7117.7	4 300
-46	Operisia	2121133	काल ये (a)
-	1 0 0 - 51	()	201
-47-	D. 12/ 1/2 8/613	7260m)	Sour Janto
150			C .
(4	354171242	200231	351812
XIIG		7 1	-
	17-4-11	* ROO 2 2 1	I I of I d
~ G d	The state	200 G X I	4 Cland
		\ \ \	
-20	2 may 2611	≥ a×(\(\) -	"Uriz
2			
A	+ MENTER	9/13/1	-7KM0142
-21			
	NO.	3	रामरितं
52	यामसितं	21157	× (2) 1×10
		35	
0			

1	- ११- १९ १८ १ वर्गाया १ १४४ वर्ग वर्ग	Hal	FROMBA
	THE HOLD ON AFT	A 4Th AE grost	2146011.
1	ने का विन्य हिस्सिक	क्षी कामा कि है जो	3 Om Pright
- 23	वायम स्पिष्ट	निरिधान	219 PE
27	Harana E	Depol	मा हिल्ला है
0	ENMARTH E	- south	
56	2 HISOSIH &	924016	a) 205 (172
	82 nm	24/2021,	
-	1月到11113日	गाम रन्द्राप्त है।	12/2/11/11/21
50	4)434618	1mork	A) 9 (0) P13
-G (3/974/2017	3442)	मीन मेर्
062	3120-	(CI3N)	
C C3	Gent Hours	to miche	oh 2/14
7	BAMBLEX	-2 के में अन्देशी	
~ 65		36	

_3B()	नामस्य कामाम/दिना वामाम	-पुता	<u> </u>
7	Krister Know Brigh	Mechali	8000
- C6	्रिकेन्द्र वित्री ७	अगमा विवर्शेद अगमा विवरीद	Desiretaliza
	नियाय विकास	G CARN 201	角羽衫
-(17). -(6)	d1 q . 241, 201	PU a g 1 G F	- 4(5, 74)
Ga	aldwin	Good ? 1	म् विर्गास
3	alai Rig	27/320	a 2/132
70	DIMETH/ME	FUYRIG	This
71	Olvaller &	fuuz) E	28-1
- 7 L	AD:	A14273	1/2 B1E
73	0	97472211	03219
271	Forsman	14arem	Etchy.
76		Ago rezion	5-1014 CHE
		37	

29. A Joseph 11 4	
29. A JOHN WE. 11 4 20 29. A JOHN WE. 11 4 20 29. A JOHN W. 11 4 20 20 20 ADDITION W. 11 4	オオ
30. 31. 31. 32. 32. 33. 34. 35. 36.	7.7-1 C
81 30. State Test 810 State St	12011
33. 34. 35. 36.	B
33. 34. 35. 36.	11
34. 35.	
36.	
36.	-
36.	
37.	
38.	
39.	

HACOMPHONIA REPORT A CONTROL AND A CONTROL A

केन—बेतवा लिंक परियोजना फेस—।। के अंतर्गत लोअर उर बाँध की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ग्राम—पिपरोद, तहसील—चन्देरी, जिला—अशोक नगर, दिनांक — 18.09.2015



आयोजक : क्षेत्रीय कार्यालय,मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर, जिला-गुना आवेदक : राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण,

(जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा रांरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

ANNEXURES-III

PROCEEDINGS OF PUBLIC HEARING HELD IN DISTRICT DATIA

क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ट

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालानी, ग्यालियर

क्रमांक

,दोकाप्रनिद्योत्र्या(2015

ग्वालियर, दिलाक

पात.

सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

विषय:- पर्णवरण प्रभाव अधिसूचना दिनांक 14.09.20.06 तो अतर्गत केंग्र-नंतरा हिन्छ गुजरू फेज-11 के अंतर्गत, ब्राम नैनोर जिला-दितया में संपन्न हुयी लोक सुनदाई धारत। शंदर्भ:- आपका पत्र कमांक 4726 दिनांक 12.08.2015

उपरोक्त विषयांतर्गत केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेज-11 के अंतर्गत, कार है है। १ कि ें। लोकसुनवाई दिनांक 19.09.2015 को कलेक्टर जिला- दिवया की अध्यक्षण में स्थान है अध्यक्त द्वारा जिला दतिया हेतु लोक सूबवाई बावत प्रशास्त्रिक व्यय राशि स. 50000 हेक क 002658 दिनांक 14.08.2015 को इस कार्यालय में जमा कराया गया है। कार्यवारा पान्ना मून प्रति सहित 0.2 प्रतियों में संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेन् प्रेषित है। संलब्बः- उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी

म. प्र. प्रदूषण विदेशण बोर्ड का लिए ।

्र ज्ञांक 3 🗦 🖯 🖟 क्षेकाप्रनिबं (ग्वा/2015

वटालियर दिलाक 3 | 10 | ०15 प्रतिशिष :-

प्रभारी, आई.टी. शाखा, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड, सोपाल की ओर मुचनारां कर सर्वातर की उपरोक्त इकाई से संबंधित लोक सुनवाई के कार्यवाही विवरण बाई की चवनाहर पर अपलोड करने का कव्ट करे।

कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, सिटी सेंटर, ग्वालियर जिला-ग्वालियर हा "ओर सुचनार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित।

शंलका:- उपरोक्ताबुसार।

प्रदूषण जिंदात्रण बोर्ड, का लचर

केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेज-II के अंतर्गत दिदावनी गांव, जिला-शिवपुरी के पास प्रस्तावित लोअर उर बांध की पर्यावरणीय स्वीकृति बावत दितया जिले में संपन्न हुयी लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण दिनांक 19.09.2015

शारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए.) अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित दिनांक 01.12.2009 के प्राय्वानों के अनुसार केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेज-॥ के अंतर्गत दिदावनी गांव, जिला-शिवपुरी/अशोक नगर के पास प्रस्तावित लोअर उर बांध की पर्यावरणीय स्वीकृति बावत दित्या जिले में प्रस्तावित नहर तथा पर्यावरणीय प्रभाव बावत ग्राम नौनेर जिला-दितया में दिनांक 19.09. 2015 को लोक युनवाई की प्रक्रिया संपन्न की गयी। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय दित्या खारा इस सुगवाई हेतु कलेक्टर दित्या को गामांकित किया। (संलम्बक-1) अधिसूचना के प्रावपानों के अनुसार लोक सुनवाई के संबंध में सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र दैनिक भारकर तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र दिनक भारकर तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र दिनक आंक इंडिया में दिनांक 18.08.2015 को किया गया। (संलमक-2)

लोक सुनवाई के संबंध में पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट का कार्यकारी सारांश हिन्दी व अंग्रेजो सहित कलेक्टर कार्यानय, जिला-दितया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दितया, ग्राम पंचायत नौनेर, जिला-दितया, जिला उद्योग केन्द्र, दितया, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्ट), दितया, जिला-दितया, क्षेत्रीय कार्यालय दन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भोपाल को आम जनता के अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त बोर्ड की वेवसाईट पर इसको प्रदर्शित किया गया है। (संलगनक-3) लोक सुनवाई के संबंध में आस-पास के ग्रामों में ध्वित विस्तारक यंत्र एवं पोस्टर के द्वारा प्रचार-प्रसार किया गया।

लोक सुनवाई भी भारकर लक्षकार, कलेक्टर, जिला दितया की अध्यक्षता में आयोजित दुयी। इस दौरान न. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी भी आलोक कुमार जैन तथा बोर्ड के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के श्री एच. एन. दीक्षित, मुख्य अभियंता, श्री ओ.पी. सिंह कुशवाह, अधीक्षण यंत्री, श्री एस. सी. अवस्थी, अधीक्षण यंत्री, श्री सियाराम माहौर, कार्यपालन यंत्री, श्री अमित शर्मा, तथा श्री शिवमोहन दीक्षित, कन्सलटेंट, वाप्कोस लिमिटेड आदि तथा आस-पास के जन प्रतिनिधि एवं ब्राम वासी भी उपस्थित थे। लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का दिवरण संलग्नक-4 के अनुसार है।

र्स्वप्रथम बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों तथा लोक सुनवाई प्रक्रिया की जानकारी दी गयी। साथ ही उनके द्वारा प्रावधानों के अनुसार सूचना प्रकाशन इत्यादि की मौखिक रूप से जन सामान्य को अवगत कराया गया। तत्पश्चात कलेक्टर महोदय की अनुमति से परियोजना के प्रतिनिधियों से परियोजना के बारे में जानकारी, पर्यावरणीय सुधार हेतु प्रस्ताव तथा अन्य विषयों पर जानकारी जन सामान्य को देने के निर्देश दिये गये।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की ओर से श्री ओ.पी. सिंह. जुशवाह, अवीवाग वंत्री तथा पर्वावरणीय सलाहकार श्री शिवमोहन दीक्षित, वाष्क्रोस लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित परियोजना की जानकारी दी गयी। उनकें द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत ग्राम



00000

3

दिदावनी, जिला-शिवपुरी/अशोक नगर के समीप एक कांकीट तथा मिट्टी का बांध बनाया जावेगा, जिसकी अंचाई 45 मीटर होगी। इस बांध का इब क्षेत्र अशोक नगर तथा शिवपुरी जिले में आवेगा। इस बांध से मुख्य नहर लगभग 91.26 किमी. होगी तथा इस नहर से बांच नहर भी निकाली जावेगी। जिसमें लोअर उर बांध की नागत लगभग 1.371 करोड़ होगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शिवपुरी तथा दितया जिले की पानी की कभी वाले क्षेत्रों में सिंचाई तथा परेलू जल आपूर्ति प्रदान करना है। इस परियोजना से लगभग 1.65 लाख लोग लागान्वित होंगे। दितया जिले में इस परियोजना के अंतर्गत सिर्फ नहर आयेगी तथा दितया जिले में किसी प्रकार का ड्व क्षेत्र नहीं होगा। इस परियोजना में जो भूमि अधिग्रहण किया जावेगा, उसे पुनिवास अधिनियम 2013 के अनुसार उचित मुआवजा दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना से पर्यावरण तथा सामाजिक प्रभाव की जानकारी दी गयी।

इसके पश्चात कलेक्टर महोदय द्वारा प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर प्रभाव के संबंध में उपस्थित जन समुदाय के विचारों/अभिमत/ आपित्तयां/सुझाव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

इस अवसर पर 04 व्यक्तियों द्वारा मौखिक सुझाट, आपत्ति, टीका-टिप्पणी की गयी, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं :-

- श्री आनंदिसिंह यादव, ग्राम रायपुरसानी :- यह एक अच्छी परियोजना है। इसरो हमारे क्षेत्र में गरीब किसानों को फायदा होगा। पिछले छ वर्षों से क्षेत्र में वर्षा कम हुवी है। अतः यह परियोजना अल्यंत आवश्यक है। हम इस परियोजना का पूर्ण समर्थन करते हैं।
- श्री बहादुर सिंह बुंदेला, ग्राम नौनेर :- हम इस परियोजना का खागत करते हैं। इससे हमारे क्षेत्र में फायदा होगा। जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित नहर में पुलिया नहीं होने के कारण हम लोगों को परेशानी होती हैं, इसे सुधार किया जावे। परियोजना अधिकारी का उत्तर यह समस्या हमारी परियोजना से संबंधित नहीं है। परंतु जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री एन. पी. बाथम लोक सुनवाई खल पर उपस्थित थे। अतः उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि निरीक्षण कर, पुलिया बनकर समस्या का निराकरण किया जावेगा।
- श्री जसवंत सिंह चोहान, ग्राम नौनेर :- यह बहुत अन्ध्री योजना है, जिससे हम सभी लाभान्वित होंगे। हम इसका स्वागत करते हैं।
- 4. श्री हरवाग सिंह परगार, ग्राम जौंगेर :- यह एक अच्छी परियोजना है। इससे हमको प्रायदा होगा। कृपया यह नहर क्षौन-क्षौन से ग्रामों से गुजरेगी, इसकी जानकारी देवें। परियोजना, अधिकारी का उत्तर - श्री सिंह, अधीक्षण अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि यह नहर दितया जिले में 17 गांवों से गुजरने की संभावना है, जिसमें नौनेर भी शामिल है। उनके द्वारा इन गांवों की सूची को पढ़कर सुनावा गया।

लोक सुनवाई के दौरान 09 व्यक्तियों द्वारा लिखित में सुझाव, आपत्तियां प्रस्तुत की गयीं, जिसमें से 06 सुझाव परियोजना से संबंधित हैं। प्रस्तुत सुझाव, आपत्तियों का उत्तर परियोजना अधिकारी द्वारा दिया गया। प्रस्तुत सुझाव, आपत्तियां तथा जबाव संलग्न हैं। (संलग्नक-5) तत्पश्चात अपर कलेक्टर महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि आम नागरिकों, ग्रामवासियों द्वारा इस



परियोजना के संबंध में जो आपत्ति, सुझाव, टीका-ठिप्पणी, शंकार्ये व्यक्त की गर्यी हैं, उसे मूलतः संबंधित संस्था को प्रेषित किया जावेगा। इस प्रकार की परियोजना से आम मागरिक जागरूक रोते हैं तथा उनके द्वारा आस-पास के विकास कार्यों की जानकारी तथा सुझाव प्राप्त होते हैं, जिससे परियोजना बनाने में तथा समस्या के निराकरण में गदद मिलती है। प्रस्तुत सुझाव पर विचार करते हुये भारत सरकार द्वारा उवित निर्णय लिया जावेगा। उवत लोक सुनवाई प्रक्रिया की वीडियोगाफी तथा फोटोगाफी करायी। (संलब्जक-6)

अंत में क्षेत्रीय अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा लोक सुनवाई कार्यवाही की संक्षिप्त जानकारी जन समुदाय को दी गयी तथा अवगत कराया गया कि अनुमोदित कार्यवाही विवरण की छायाप्रति जिला कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, जिला उद्योग एवं क्यापार केन्द्र दितया, ग्राम पंचायत नौनेर इत्यादि को प्रेषित की जावेगी। अंत में क्षेत्रीय अधिकारी हारा कलेक्टर दितया तथा उपस्थित जन समुदाय, गणमान्य नागरिकों, अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया गया।

(अलिक छुमार जैन) क्षेत्रीच अधिकारी

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वानिगर

(भारकार लक्ष्मकार)

कलेक्टर

कलेक्टर कार्यालय, दतिया

कार्यालय कलेक्टर जिला दतिया म०प्र०

कमांक-क्यू/सी.बा./9-21/1/2015

दितया, दिनांक 14/08/2015

आदेश

क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण दोई ग्वालियर के पत्र कमांक 3246/क्षेका.प्र.नि.के/ग्वा/2015 दिनांक 13.08.2015 के द्वारा शिवपुरी और अशोक नगर जिले की सीमा पर स्थित तहसील खर्नियाधाना में स्थित ग्राम विधुनी के पास एक द्यांघ प्रस्तावित है। प्रस्तावित वांघ से 19.26 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर प्रस्तावित की गई है। जिसका दतिया जिले में भी कमांड एरिया है। दतिया जिले के कमांड एरिया के ग्रामों के संबंध में म.प्र. नियंत्रण वोर्ड द्वारा कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि की अध्यक्षत में प्रोज़ेक्ट हेतु लोक सुनवाई 1909,2015 की की जाना है।

अतः उक्त प्रयावणीय लोक सुनवाई हेतु कलेक्टर दितया की ओर से श्री भारकर लक्षाकार कलेक्टर दतिया को प्रतिनिधि के रूप में नाम नामांकित किया जाता है।

(कलेक्टर द्वारा आदेशित)

८ जिला दतिया म.प्र.

श्री भास्कर लक्षाकार कलेक्टर महोदय दतिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेलु। शेन्त्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियत्रण बोर्न, ग्वालियर की और भेजकर लेख है कि आप श्री भारकर तक्षाकार कलेक्टर वृतिया से सम्पर्क स्थापित कर लोक सुनवाई का स्थान नियत कराने की सुनिश्चिता करें।

9 जिला दतिया मप्र



संलग्नक-2 (1)

दैनिक भारकर, दिनांक 18.08.2015

न्द्रतियर, मञ्जात ४ अगला, २०१५ हि



हेर्जन कार्यात्व म. प्र. प्रदूषण निर्वत्रम बोर्ड, दीनध्यात नगर, स्वर्जनियः वेर्ड कॉलोनी, न्यातिका (म.प.)- ४७४००६ (दूरमान नं. १७५५-१४७२०२०)

लोक सुनवाई की सूचना

भारत सरकार के पर्यायाण एवं यन मंत्रातम द्वारा नारी ई.आर्टर नीकिंग्लंक न क्रमांक प्रमाशी: 1533 (E) दिनांक 14.09.06 के प्रायणानी के अनुसार प्रस्तायित केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-॥ के अंतर्गत डिडोनी (Diobo V) गांव के पान प्रस्तायित "स्तेश्वर टर बांध" जिला शिवपुरी एवं अगोज कर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अन्वेदक राष्ट्रीय जला विकास ऑफिकरण, (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत संस्कार) द्वारा प्रजीवरण, बन एवं जलकायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत संस्कार, मई दिल्ली की अर्थिटन प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक द्वार उक्त प्रोगोजन था मार्गियाणीय प्रभाव आध्याप प्रतिवेदन (Environmental Impact American प्रभाव (स्थान) प्रभाव प्रमाव प्रतिवेदन (Environmental Impact American प्रभाव (स्थान) प्रमाव का प्रवाद का प्रमाव के अवलोकनार्थ किलाध्यक्ष कार्यालय दिलपा, जिला पंचायत कार्यालय, दिलपा, कार्यालय सरपंच प्राम-नानेर, जिला दिलपा तथा क्षेत्रीय कार्यालय, म.प. प्रदूषण विवेदण कोर्ट, व्यक्तियर सर्वित यप्र. प्रदूषण विवेदण कोर्ट की वेदसरहर www.mppcbinic.ln पर भी उपलब्ध रहेगी एवं इंत्युक नागरिक इसका अवलोकन कर सकते हैं।

अतः जिस किसी व्यक्ति की वक्त प्रस्तावित केन-बेट्या तिक प्रोचेक्ट, फेस-॥ के अंतर्गत डिडीनी गांव के पास प्रस्तावित लोअर उर बांध जिला-शिवपुरी एवं अशोक नगर से होने काले पर्धावरण एवं प्रदूषण सक्की सुहार्वे, विचार, टीका-टिप्पणी अथवा आपीत प्रस्तुत करना हो, तो इस सुचन के प्रकाशन के 30 दिवस के शीतर केत्रीय कार्यालय, म.६, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, न्यालियर (म.प्र.) में प्रस्तुत कर सकते हैं।

उस परियोजना के संबंध में लोक सुनवार का अध्योजन दिनोंक 19:09.2015 दिन-शनियार को प्रस-नेतेर तहसील घेतेया, जिला घेतेया के शासकीय भवन (स्कूत/ पंचायत भवन) के समीप में दोपहर 12:00 बजे से प्रारंभ होगी। इस्कूक नगरिक उपरोक्तानुस्त्र स्रोक सुनवार्ड में सम्मितित होकर भी प्रस्तावित केन-बेटना लिक प्रोडोक्ट, फैस-। के अंतर्गत डिडीने गांव के पास प्रस्तवित "सोज्य तर बांध" जिला शिक्षपृति एवं अशोक नगर के संबंध पं अपना मट लिखित अध्या मौशिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।

> क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रतुपण निर्धत्रण बोर्ड, ग्वालिक

संलण्नक-2 (2)

यर्डम्स ऑफ इंडिया, दिनांक 18.08.2015

क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड, दीनदयाल नगर. हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालयर (म.प्र.)-474006 (दूरभाप नं. 0751-2472020)

लोक सनवाई की सुधना

भारत संरक्षार के पर्यावरण एवं वर्ग मंत्रालय द्वारा जारी ई आई ए मोटिकिकेशन कमांक गुस आं 1523 (E) दिनांक 14 09 06 के प्रावधानी दे अनुसार प्रस्तावित केन-भेत्रधा लिक प्रोजेक्ट फोरी-।। के अन्तर्गत डिडीनी (Oldauri) गाँव के पास परतावित लोकर वर बॉव!! जिला-गेशवपुरी एवं अशोक नार की पर्धावरणीय स्वीकृति हेंगु आदेवक राष्ट्रीय जना विकास अभिकरण, (जल संस्राधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण सञ्चालग्र. भारत संरकार) द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संत्रालय, शारत संरकार, नई दिल्ली को अथेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतितक द्वारा एक परियोजना की प्रयावरणीय प्रभाव आकला वच्चयन प्रातिवेदन (Endrormertal) Impact Assessment Study Report) प्रस्का कार्यपाठक सार हिन्दी पूर्व अग्रेजी भाषा में। तथा उपत वस्तावजों की पांपट कोषा (सी.डी.) में प्रस्तुत की है, जो जन-सामान्य के अवलोकनार्थ जिलायंत्र कार्यात्य दतिया, जिला, प्रधायत कार्यात्मय दिया, महाप्रवधक जिला व्यापार एवं क्योग केन्द्र, दितेया अनुदिभागीय अधिकारी (राजस्व) दिवया जिला द्वित्या, कार्यालय वस्त्रप्र प्राप-चोनेर जिला-दित्या स्था क्षेत्रीय कार्यालय स्था पृद्धण नियनणं बार्व, ग्वालियर साहत स्था प्रदूषण नियनण बार्व की देवलाइट www.mppcb.nic.in पर भी जपलब्ध रहती एवं श्रुक्क नागरिक इसका अवलोकन कर सकते हैं।

आँत जिस किसी व्यक्ति को उन्हें प्रस्तावित केल-बेतदा लिक प्रोजेक्ट फेस-। के अन्तर्गत बिडीनी गाँद के पास प्रस्तावित लोअर वर बाँध जिला-शिवपुरी एवं अशोक नगर से होने वाले परांचरण एवं प्रदूषण सबदी सुझाद, विचार टीका-टिचणी अथवा अभिति प्रश्तुत करना हो. सो स्म सचना के प्रकारात के 30 दिरस के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय न प्र. प्रदूषण नियंत्रण बार्ड, खालिवर (न प्र.) में प्रस्तुत कर सकते हैं।

उक्त परियोजना है सबसे में लोक सुनवाई का आयोजन पिनाय 19 08 2015 दिन-क्रिनेटर को प्राम-सोनेर हक्ष्मील दिविया जिला दिविया के शासकीय भटन (स्कूल/पंचायत नवन) के समीप में डोपहर 12:00 बजे से प्रारंग होगे 1 इच्युक नागरिक उपरोक्तानुसार लोक सुनवाई में समित लेक होकर भी प्रस्तादित केन-बेतवा सिन् प्रोजेन्ट केम-॥ के अन्तर्गत डिजैनी गाँव के पास प्रस्तादित "लोअर पर बाँध" जिला-शिवपुरी एट अशोक नगर के सबस में अपना मत लिखित अथव मीखिक क्रय से प्रस्तुत कर सकत है।



क्षेत्रीय कार्यालय

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊरिंग बोई कालोनी, ग्वालियर

maria 7264 /क्षेकाप्रनिबो/व्या/2015 या प्रति,

ग्वालियर, दिनांक 14/8/15

130

- कलेक्टर महोदय, जिला दतिया 7.
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दतिया 2
- सरपंच, ग्राम पंचायत, नोनेर, तहसील दतिया जिला दतिया 3.
- महाप्रबंधक,जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दतिया 4.
- 5. कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लिंक रोड, नं.३, रविशंकर नगर, भोपाल
- अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्त) दतिया, जिला दतिया 6.

पर्यावरण प्रभाव अध्ययन अधिसूचना दिनांक 14.9.06 के अंतर्गत पर्यावरण विषय:-प्रभाव अध्ययन अधिसूचना दिनांक 14.9.06 के अंतर्गत प्रस्तावित केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-II के अंतर्गत डिडोबी गांव के पास प्रस्तावित लोअर उर बांच जिला शिवपुरी अशोक नगर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के संबंध में।

संदर्भ:-बोर्ड मुख्यालय का पत्र क. 4726 दिनांक 12.8.2015

उपरोक्त विषय के बारे में लेख है कि पर्यावरण प्रभाव अध्ययन अधिसूचना दिनांक 14.9.06 के अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव अध्ययन अधिसूचना दिनांक 14.9.06 के अंतर्गत केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-11 के अंतर्गत डिडोनी गांव के पास प्रस्तावित लोअर उर बांच जिला शिवपुरी अशोक नगर की प्रस्तावित किया है। इस परियोजना से दतिया जिले में भी कमाण्ड ऐरिया आवेगा। पर्यावरण (संरंक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रकाशित पर्यावरण प्रभाव अध्ययन अधिसूचना दिनांक 14.9.06 में दी गई अनुसूची के अनुसार सभी । प्रकार के प्रोजेक्ट कार्य हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत इकाई द्वारा नियमानुसार प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय लोक सुनवाई हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये रूथे हैं तथा इकाई द्वारा ड्राएट ई.आई.ए. रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है, जिसकी एक प्रति समस्त दस्तादेजों सहित संलग्न है।

उक्त प्रोजेक्ट के संबंध में पर्यावर्णीय लोक सुनवाई हेतु अपर कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 19.09.2015 नियत की गई है। लोक सुनवाई शासकीय हाईस्कूल के पास, वाम नोनेर (दिनास) दितया में सुबह 12:00 बजे से प्रारंभ होगी। प्रोजेक्ट से संबंधित ड्राफ्ट ई.आई.ए.कार्यपालिक स्तर (हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में) तया इसको हिन्दी अंग्रेजी में सोंफ्ट कॉपी आम जनता के अवलोकनार्थ आपके कार्यालय में प्रदर्शित किए जाने हेतु

संलग्न भेजी जा रही है। नियमानुसार आपसे निवेदन है कि उक्त जानकारी पर आम जनता के अवलोकनार्थ आपके कार्यालय में प्रदर्शित करने की कृपा करें। इस आशय की सूचना आम जनता को समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की गई है। आप भी आपके सूचना पटल पर उक्त जानकारी प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

हिंदी अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर हे ग्वालियर, दिनांक १५\ ८/०/५

पृ. क्रमक 3265 /होकाप्रतिबो नवा/2015 प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण धोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

 अपर कलेक्टर, जिला-दितया की और सूचनार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

 प्रभारी आई.टी. शाखा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ अबेषित कर लेख है कि कृपया उपरोक्त इकाई से संबंधित सभी जानकारी नियमानुसार बोर्ड की वेब साईड में अप लोड करने का कष्ट करें।

 कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, सिटी सेंटर, ग्वालियर। कृपया लोक सुनवाई की सूचना मुनादी के माध्यम से प्रभावित गांव के आसपास के क्षेत्र में प्रचार-प्रसार करने का कव्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, व्वालियर

y al

स्याम्य -03



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दीनदयाल नगर, हार्क्सिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर (म.प्र.)—474006

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, की केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-।।. जिला-दितया की प्रस्तावित जन सुनवाई दिनांक 19.09.2015 से संबंधित महत्वपूर्ण डाक की पावती

क्रं.	पत्र क्रमांक	दिनांक	संबोधित अधिकारी/कार्यालय का नाम	प्राप्तकर्ता के हरताक्षर
1.	2264	14-8-15	जिला कलेक्टर, कार्यालय दतिया, जिला-दतिया	DITE IT
2.	32-64	M-8-12	महाप्रबंधक, जिला उद्योग एउँ व्यक्त केन्द्र, जिला–दत्तिया	17 0 15 THE SOLD
3.	32-64	14-8-15	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, किला-दितय	WOOD V. SO
4.	3269	14 [4] [5	अनुविभागीय अधिकारी. राजस्व, जिला–दतिया	SO SHE COS
5,	3264	14-8-15	सरपंच ग्राम पंचायत-नोनेर. जिला-दतिया	911
6.	3264	14 Sis	क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भोपाल (\$7000 कि 1001)	

1

उपस्थिति पत्रक

प्रस्तावित केन बेतवा क्षिक प्रोजेक्ट फेस-11 के अंतर्गत डिडोनी गांव के पास प्रस्तावित लोअर उर बांघ जिला शिवपुरी अशोक नगर की पर्यावरणीय स्वीकृति में उपस्थित अधिकारी एवं जणमान्य नागरिक ।

शासकीय हाईस्कूल के पास, वाम नोनेर (दिनारा) दतिया

परियोजना स्थल : हिडोनी गांव के पास प्रस्तावित लोअर उर बांघ जिला शिवपुरी स्थल :

	अशोक न	200	THE PARTY OF THE P	हस्ताक्षर
, ल	A	घदनाम	संस्था का माम	00
1	मि भार बर लक्षा बार	कलेन्दर	भिला दिवया	Occi
4	भागेनुबुमार्जीन	क्षेत्रीय अधिमरी	भ प्र प्रदूषण तियंत्रण बोर्ड ज्वालियर	
3	मिल्रा भाव प्रिका	.H0 80	216 con निक दिनामारी अस्त्रीत	An-
4	जीरेन्द्र अहर्ने अमित श्रामी	ड D M ठक्रां व उत्तीयम	पाकार विभिन्न	2 8110
6-	विवास की हता प्रीकृत	3	A	that Comst
7	शिमाराभ मा	डार आप्त्र डामिया डाप्पेर	iy	alm &
28	2028TI	स्थान	ना	T FA
0	इसीनामायण ५०	30/204	in) ्रेन्वाडी	303-00
12	अधीर्व कर्	1922 35 Barba	7. A 14 8 8	

5. T	ाम	पदनाम	संस्था का नाम	हरताबार
(A)	EJES WITH BIE	कार्यः योगपतः	21.W-D-A.	eptoge
2 3	निकारोत्र कालम	रा प्र दि स लक्ष्मक	(ALA -13)	
3	मेडी अरी-	Se Monday &	からかいまして かからかい	-X1
14	एन ० पी व साध्य	कार्यमाण n अंडी		done
(5	66. y 3y	जीहार्य क अप्री	SEL SHOWS	
16	312A-4 218F	3G-48	a/220	57 2
17	S. Ne Dimit	APou	w.R.D kdh	العمل في ود
18	G. Gyana in	(ibeng)	- W. N.D. Aales	(For
دا	जी है जीली	मार्चिक्क	रशिश्यन।	inti VS
20	. 967 STRIBINGER			100 P
21	-1- कः कंबर ल्या	0	43.100.17.64	Giver M
21	एस राजभाग	क्रायंगाम	a sportited 2	110. Qra
23	3415. B. M. Prant	of Embor		0
24	विधापं न्युनाय त्यारी	512174) 2014/7		

(3)

Œ,	वाम	पदनाम	संस्था का नाम	हस्ताक्षर
	. 18	7	9	2.0
G	4M121	क्रक	4 27012	ann)
	3) N=112/AE	0900	011-12	301 rac
7	01 1.		W 8	01) 18/01/01
8	ह अवाद्यालानिह		al alg	404994
9	त्राण पाकिता ह	2543	7173	Choline
1	जमम्सप सिंह	3047	हीं ते	Jew Betal
30		2911		
31	हि। जन्मर्थ दुशमान्	\$ 02	ना नर	(5) 2-5 (A)
110	मटे-ड	% य	e1/12	W.Com
32	1 A		513	
33	इदामी लाल	of ora	ーー・カノウス	Cay
34	3 = 91 MIMF	्रम ६७	n off ne	3 -one
24	1 a Buz	8000	(तीतर	वे विश्व
37	7		A Description	0
36	gros/HEURS	पश्सरा	मारायपुरसान	7 31-15/198
37	THE HALL	क्रावन	No E	ड्लमी.
3/	नुकारियहं	A-183	7775	40
31	3 481110	क्षमञ	1126	पेंडाईरेप
39	अप्रशासमाह	215	1120	স্ক্রসূত্র

. वाम	घदनाम	संस्था का नाम	हस्ताक्षर
रामलस्वन महित्वर	8.44	attz	स कालारवर्
गाप्ते इ सिंह भी	5. 202	नीय!	Bucarya
2 स्थाम भालां	& av	7992	
उ चल्यम	क्षेत्रक	गीरी य	4W118
4 EN 27-4	Lean.	-र् क्ष	
45.21 d of 1/4.	क्तु र क्त	नंधार	२१ जेहर १
र अग्रवाकाशिह व	राज क्र	all of the	- Milding
भा मेहरा	4740	नो से र	महेश
48 कार्यमाम अहि	1.	- COLOR 20	व्यवस्थान
49 मेर्डा जिस्ता	WHIO	AIT L	1621
50 and ulm		292	वयम् प्राप्त
51 जहारू मिरं		जीने र	वहा है गुरु
52 हरेगामार्श्न	E BOW	MIT	F S. O. J. J. J. J.
13 49-2	Gina	· >h/c-	70.

			हस्ताक्षर '
नाम	प्रवाम	संस्था का नाम	Bediant
्र ए छ <u>ि</u> अविशाम पारिस	245 889	₹9 ontre€	Carles
- क्रिवन्तरन 	ख्यू सहस्र	नीनी -	EKION CH
7 58 刷 升 4 3	Hallis	सालय	वीजेष शंताब
59 वेजानम् 60 समा	भगा	The the	
62 प्रुका	भग हुन्धुका इक्रा	1 2 1	
63 लायमी ६१ हर्ने	- সুহা ক্র	1 - 1	
65. अग्राव ८६ सम्बद्ध		प्री नामर	
C) 60 H		इसके नीपर	

1

इ. नाम	पदनाम	रांख्या का नाम	हस्ताक्षर
- Miles	100	41	र्विह
३६ देवसिट् या	m 2901	9/90	97-16
2.13		1 1	
39 जानव है कि	ह न्नेहत चेवे	no. C	
	9-0	N	-
20 मार्टीला	न अरेक रवेर) eting (
य दे:बाबू वि		011017	६: वा बुरहर
(1)	50	0 00 0.	0
करी वाजिनाव	149 02971	10/01/21	190101
72			
- 1	-	This.	1.
73 विश्वमिक	-		व जायहित्रा
ू प्रका आह	2412	<u>ब्रीकेट</u>	82311811041
74		नीने र	1800
75 मरी 59		नान र	43.7
	2.0	न्तीने 2	ATTER CARRO
76 अमिक्सिए	LIANS	0 - 3 1	
1)	Pro Pro	word or con c	ara ch
77 04/9/	ym ;	0	
71821	GE 321	A SAILES	मडमा जार्णि
78		001	0
्व वीपक का	म् व्रवेट	ो औने इ	दीपक क
79 71 40 50 1		1 2	
80 Scorce	lo eat	क्राीक	-5 Seraces
195	_		6.1081
81 प्रतिभाष	18 20	1 011012	- 4,111.01
0/			

(4)

K.	वाम	परनाम	संस्था का नाम	हस्ताक्षर
5	मीना आह्वशार		तीतेर	
-				
		1		
	*	-		
	-			
_		-		
-				
	,			

संलग्नक-5

लोक सुनवाई के दौरान प्रस्तुत लिखित सुझाव/आपित्तियों का विवरण

क्र	आपत्तिकर्ता / सुझाव देने वाले व्यक्ति का नाम	71	परियोजना अधिकारी का उत्तर
1.	श्री छदामीलाल अहिरवार, ग्राम नौनेर	परियोजना अधिकारी से अनुरोध है कि नहर का पानी ऊंचाई के कारण सभी किसानों को खेती हेतु मिलेगा।	
2.	श्री घनश्याम अहिरवार, ग्राम नीनेर	केन-बेतवा के प्रोजेक्ट हेतु काम करने के लिये क्या मजदूरी होगी, तथा काम करने वालों को मकान की व्यवस्था होगी। ग्राम नौनेर को इसका लाभ मिलना चाहिये।	को सिंचाई व पीने के पानी का लाम मिलेगा।
3.	श्री ओंकार सिंह	इस परियोजना से किसानों की आर्थिक रिथिति गजबूत होगी। क्षेत्र में सूखा के कारण किसान परेशान हैं। पानी से किसान खुशी महसूस करेंगे।	धन्यवाद
4.	श्री जय प्रताप सिंह परमार, ग्राम नौनेर	हम सभी ग्रामवासी आपकी परियोजना से खुश है।	धन्यवाद
5.	श्री रामपाल सिंह घरमार, ग्राम नौनेर	आपके इस कार्यक्रम तथा इस परियोजना से बहुत खुश हूं। इस योजना से गांव के बहुत लोगों को लाभ मिलेगा।	धन्यवाद
6.	श्री अनंत सिंह यादव. सरपंच रायपुर सानी	हमारे ग्राम को सिंचाई का लाभ होगा। इस परियोजना से ग्राम का जल स्तर बढ़ेगा। इस परियोजना से समस्त ग्रामवासियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नहर से सभी को सुविधा होगी।	धन्यवाद

7	श्री बालकदास महाराज, ग्राम नीनेर	ग्राम नौनेर में कारेकुंअर का मंदिर है। जहां पर पीने का पानी नहीं है। मंदिर में हैंडपंप लगवाने की कृपा करें।	परियोजना नहीं।	ŧÌ.	संबंधित
8.	सुश्री पूजा अहिरवार, ग्राम नोनर	हमारे जुंआ का रास्ता है। इसे पवकी कराने की कृपा करें।	गरियोजना नहीं	सं	संबंधित
9.	श्री सीताराम परिहार, ग्राम काम्हर मडैयन	हमारी जगीन का बटवारा 100 साल रो नहीं हुआ है। कलेक्टर महोदय रो निवेदन हैं कि बटवारा किया जावे।	परियोजना नहीं	सं	संबंधित

(एस.आर. माहोर) अधिशासी अभियंता अ.प्र., रा.ज.वि.अ., ग्वा केन-बेतवा लिंक परियोजना फेस-।। के अंतर्गत लोअर उर बाँघ की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ग्राम-नौनेर, तहसील-दितया, जिला-दितया, दिनांक -

19.09.2015

3



आयोजक : क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्वालियर

जिला : ग्वालियर

आवेदक : राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण,

(जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

केन—बेतवा लिंक परियोजना फेस—।। के अंतर्गत लोअर उर बाँध की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ग्राम—नौनेर, तहसील—दितया, जिला—दितया, दिनांक — 19.09.2015



आयोजक : क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्वालियर

जिला : ग्वालियर

3

3


3

3

आवेदक : राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण,

(जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

NATIONAL WATER DEVELOPMENT AGENCY



WAPCOS LIMITED

(A Government of India Undertaking)

76 C, Sector 18, Gurgaon - 122015, Haryana, INDIA Tel. 0124-2397396, Fax. 0124-2397392

Email: environment@wapcos.gov.in

DECEMBER 2015